

C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. II, First Session, 2019/1941 (Saka)
No. 13, Wednesday, July 03, 2019 /Ashadha 12, 1941 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
* Starred Question Nos. 161 to 169	12-66
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 170 to 180	67-97
Unstarred Question Nos. 1802 to 2031	98-512

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

NOMINATION TO PANEL OF CHAIRPERSONS	513
PAPERS LAID ON THE TABLE	514
MESSAGE FROM RAJYA SABHA	515
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	
2 nd Report	515
ELECTIONS TO COMMITTEES	516-517
(i) All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) at Bhopal, Bhubaneswar, Jodhpur, Kalyani, Mangalagiri, Nagpur, Patna, Raebareli, Raipur and Rishikesh	516
(ii) Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)	517
NEW DELHI INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE BILL, 2019	518-521
STATEMENT RE: NEW DELHI INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE ORDINANCE, 2019	522
SUBMISSION BY MEMBER	
Re: Alleged derogatory remarks made by Puducherry Lt. Governor against Tamils	527-534

MATTERS UNDER RULE 377 597-620

- (i) Regarding flood control measures in Misrikh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Ashok Kumar Rawat 598

- (ii) Regarding pending projects of Godda Parliamentary Constituency, Jharkhand

Dr. Nishikant Dubey 599

- (iii) Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Kekri in Ajmer Parliamentary Constituency, Rajasthan

Shri Bhagirath Choudhary 600

- (iv) Regarding drinking water problem in Jhunjhunu Parliamentary Constituency, Rajasthan

Shri Narendra Kumar 601

- (v) Need to establish a head post office in Kaushambi district, Uttar Pradesh

Shri Vinod Kumar Sonkar 602

- (vi) Need to implement AMRUT scheme in Jhansi Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Anurag Sharma 603

- (vii) Need to construct a pucca bridge on river Ganga between Prayagraj and Bhadohi districts in Uttar Pradesh
- Prof. Rita Bahuguna Joshi 604
- (viii) Regarding compensation to farmers
- Shri Bhagwanth Khuba 605
- (ix) Regarding drinking water problem in Rajsamand Parliamentary Constituency, Rajasthan
- Sushri Diya Kumari 605
- (x) Regarding tribal health care in the country
- Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki 606
- (xi) Need to expedite construction of Gulbarga - Latur new railway line
- Shri Sudhakar Tukaram Shrangre 607
- (xii) Regarding closure of HMT Factory at Ranibagh in Nainital district of Uttarakhand
- Adv. Ajay Bhatt 608
- (xiii) Regarding construction of a railway line between Chapra and Muzaffarpur, Bihar
- Shri Rajiv Pratap Rudy 609

- (xiv) Need to construct an airport at Dhalbhugarh in Jamshedpur Parliamentary Constituency, Jharkhand
- Shri Bidyut Baran Mahato 610
- (xv) Regarding shelter homes for homeless people in Mumbai
- Shri Manoj Kotak 611
- (xvi) Regarding construction of a dam under Pachnada Project in Uttar Pradesh
- Dr. Ramshankar Katheria 612
- (xvii) Need to construct flyover at Hanspal on NH -16 in Bhubaneswar, Odisha
- Shrimati Aparajita Sarangi 612
- (xviii) Regarding formal border trade along the Indo-Bangladesh border
- Shri Adhir Ranjan Chowdhury 613
- (xix) Regarding construction of railway line projects from Tindivanum to Nagari and Tindivanum to Thiruvannamalai in Tamil Nadu
- Dr. M. K. Vishnu Prasad 614
- (xx) Regarding road connectivity in Bilgaon and Jamuguri in Nagaon, Assam
- Shri Gaurav Gogoi 615

- (xxi) Need to construct lower under subway at Kodumudi Railway Station in Tamil Nadu
- Shri A. Ganeshamurthi 616
- (xxii) Need to complete one side Railway platform of Chandkhali Halt Station in West Bengal
- Shrimati Pratima Mondal 617
- (xxiii) Regarding special Economic Status to Andhra Pradesh
- Shri Sridhar Kotagiri 618
- (xxiv) Regarding setting up of National Investment Manufacturing Zone in Nagpur, Maharashtra
- Shri Krupal Balaji Tumane 619
- (xxv) Need to develop N.H. 104 between Sitamarhi and Sursand in Bihar as per laid down norms
- Shri Sunil Kumar Pintu 619
- (xxvi) Need for laying underground cables instead of erecting overhead high voltage power lines by Power Grid Corporation Ltd. in Tamil Nadu
- Shri K. Subbarayan 620

DENTISTS (AMENDMENT) BILL, 2019	621-688
Motion to Consider	624
Dr. Harsh Vardhan	621-624, 677-685
Dr. M.K. Vishnu Prasad	625-629
Shri Nihal Chand	630-634
Dr. T.R. Paarivendhar	635-639
Shrimati Pratima Mondal	640-642
Dr. Shrikant Eknath Shinde	643-645
Shrimati Supriya Sadanand Sule	646-649
Shri Rajiv Pratap Rudy	650-655
Shri Chandra Sekhar Sahu	656-658
Shri Jayadev Galla	659
Shrimati Vanga Geetha Viswanath	660-661
Dr. Subhas Sarkar	662-664
Shri N.K. Premachandran	665-667
Shri Santosh Pandey	668-669
Shri M. Badruddin Ajmal	670
Shri Bhagwant Mann	671
Dr. Bharati Pravin Pawar	672-673

Shri Thol Thirumaavalavan	674-675
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	676
Clauses 2 to 4 and 1	686-687
Motion to Pass	688

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	689
Member-wise Index to Unstarred Questions	690-693

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	694
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	695

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, July 03, 2019/Ashadha 12, 1941 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, I have given notice of an Adjournment Motion. ...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You may raise it in 'Zero Hour' and not during Question Hour.

... (*Interruptions*)

11.01hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Question no. 161, Shri Jagdambika Pal.

(Q. 161)

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। मैंने आपके माध्यम से जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में माननीय रेल मंत्री जी ने कहा है कि बरहनी से काठमांडू रेल लाइन का सर्वे वर्ष 2015-16 में स्वीकृत हुआ था। इसका काफी पोर्शन नेपाल में पड़ता है, इसलिए नेपाल सरकार से अनुमति अपेक्षित है। प्रधान मंत्री जी और हमारी सरकार की नीति नेबर फर्स्ट की है। प्रधान मंत्री बनने के बाद सबसे पहले वे यूरोप और अमेरिका नहीं गए, बल्कि मालदीव या अपने नेबर के जो कंट्रीज हैं, उन्हीं कंट्रीज में गए। हमारी नीति है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रखें। नेपाल की संविधान सभा में भी उन्होंने कहा था कि कनेक्टिविटी के लिए दो बसें काठमांडू से दिल्ली चल रही हैं। आज बरहनी से काठमांडू रेल लाइन बहुत आवश्यक है। नेपाल सरकार से इस संबंध में सर्वे के बाद आगे की कार्रवाई, इसके लिए एक्स्टर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री पैसा देने के लिए तैयार है, इस प्रोजेक्ट को कब शुरू किया जाएगा या इसमें क्या नेपाल सरकार की अनुमति लेने के लिए या आगे एग्रीमेंट करने के लिए रेल मंत्रालय कोई कार्रवाई करेगी ?

SHRI SURESH C. ANGADI: Sir, hon. Member Shri Jagdambika Pal is a very senior Member and he has asked a very appropriate question.

माननीय अध्यक्ष : मंत्री महोदय आप थोड़ा जोर से बोलिए।

SHRI SURESH C. ANGADI: Sir, hon. Member Shri Jagdambika Pal is a very senior Member and he has asked a very appropriate question. Only five kilometres of this rail line is in Indian territory and the remaining 354 kilometres fall in the territory of Nepal. The process is going on and the Ministry of External Affairs is already following it up. Hon. Prime Minister is also having a

very good relationship with Nepal. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, यही हमारी नीति है। हम आज भी इसके लिए प्रयासरत् हैं। नेपाल सरकार जल्दी से जल्दी अनुमति देगी तो सर्वे करा कर, जो भी माननीय सदस्य का प्रश्न है, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। इंडियन टेरिटरी में ऑलरेडी 5 कि.मी. का सर्वे हो चुका है

SHRI JAGDAMBIKA PAL : Hon. Speaker, it makes no difference that only five kilometres of the line is in India and 400 kilometres of the line is in Nepal. The question is that the Government of India has to take initiative and expedite this agreement between the Government of India and the Government of Nepal. इस संबंध में जब रेल मंत्रालय ने सर्वे कर लिया है और चाइना जो 4000 कि.मी. दूर है वह रेल लाइन भारत की सीमा तक लाने की कोशिश कर रहा है। नेपाल हम पर डिपेंडेंट है। आज आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से हमारे वेजिटेबल्स फ्रूट्स को वहां जाने से रोक दिया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी की ऐसी राजनीति है कि कल से दूध और जूसेज को भी रोकने की बात कर रहे हैं। पूरा ट्रेड इंडिया के साथ है, वह सफर कर रहा है। नेपाल के ज्यादातर लोग हिन्दुस्तान में जॉब करते हैं। यदि हम 354 कि.मी. तक काठमांडू में रेल लाइन बना देते हैं, फिर नेपाल के साथ मित्रता, जो हमारी इच्छा भी है, उसमें प्रगाढ़ता आएगी। सारी कनेक्टिविटी होगी, फिर कोई काठमांडू से चाइना की तरफ नहीं देखेगा, सारे लोग भारत आएंगे। आप इस संबंध में क्या कार्रवाई करेंगे ?

श्री सुरेश सी. अंगड़ी : सर, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। काठमांडू और नेपाल पशुपतिनाथ दर्शन के लिए कर्नाटक और काठमांडू का बहुत अच्छा संबंध है। वहां जो भी पुरोहित होता है, वह कर्नाटक से होता है। We are very happy. जैसा संबंध हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। Our Ministry of External Affairs is already expediting the work. As soon as the Government of Nepal gives its consent to this survey, then immediately

this work would be taken up. मेरे मित्र संजय जायसवाल जी का क्षेत्र भी वहां आता है। वे भी बोल रहे थे कि नेपाल, उत्तरप्रदेश और बिहार का संबंध अच्छा होना चाहिए, इसके लिए हम जल्दी से जल्दी प्रयास करके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को नेपाल सरकार जब परमिशन देगी, तभी यह काम करने के लिए हमारी सरकार प्रयास करेगी।

श्री जुगल किशोर शर्मा: अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी एवं रेल मंत्री पीयूष गोयल जी का जम्मू-पुंछ के लोगों की तरफ से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने जम्मू से पुंछ तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो सर्वे करवाना था वह पूरा हो चुका है। अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि कब जम्मू से लेकर पुंछ तक रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया जाएगा ताकि दूर-दराज क्षेत्र के लोग भी परेशानियों और समस्याओं से निजात पाए और उनका देश के दूसरे भागों में भी आना-जाना आसानी से और सुविधा से हो।

श्री सुरेश सी. अंगड़ी: Hon. Member has raised a valid point. Hon. Prime Minister's vision is that every part of the country should be covered by the railway network. सरकार देश में हर आदमी को सस्ती रेल सुविधा देने का प्रयास कर रही है। Earlier, Railway was being politicised. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रास्ते जोड़ने का काम किया था और अब प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी रेल जोड़ने का काम कर रहे हैं, पूरे देश को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसकी पूरी डिटेल्स मैं बाद में माननीय सदस्य को दे दूंगा।

डॉ. संजय जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से है कि जब नेपाल के प्रधान मंत्री और भारत के प्रधान मंत्री दोनों मिले थे, तब उन्होंने मेरे लोकसभा क्षेत्र रक्सौल से काठमांडू के लिए रेल लाइन बनवाने की परियोजना को मंजूरी दी थी। उसका डी.पी.आर. बनना था। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या वे रक्सौल को रेलवे हब के रूप में विकसित करेंगे और रक्सौल से काठमांडू रेल लाइन की क्या स्थिति है? आप इसकी जानकारी दें।

श्री सुरेश सी. अंगड़ी: सर, माननीय प्रधान मंत्री An MoU has already been signed after visit of Hon. Prime Minister Shri Narendra Modi and the Survey has already been completed. और रक्सौल का PET सर्वे में पूरा करके March 2019 for this 200 Km. long electrified broad-gauge line. Another Survey for rail line between Krishan Nagar to Kapilvastu has been sanctioned. यह काम अण्डर प्रोग्रेस है। संजय जायसवाल जी, जो उनके क्षेत्र रक्सौल से पूछ रहे हैं Prioritised construction of new rail line from Raxaul to Kathmandu was announced by hon. Prime Ministers of India and Nepal on 7.4.2018. The MoU was signed in August. The Preliminary Engineering-cum-Traffic Survey, what we call PET, was completed in March 2019 for this 200 km long electrified broad-gauge line.

(Q. 162)

श्री निहाल चन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले भारतीय रेलवे में हो रहे तेजी से विकास और आधुनिकीकरण के लिए केन्द्र सरकार और देश के प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। पिछले पांच सालों में देश के अन्दर माननीय रेल मंत्री जी ने जिस तरह से रेलों का जाल बिछाया है, मेरी एक कांस्टीट्यूंसी से 13 ट्रेनों की शुरुआत हुई है। मैं अपनी तरफ से माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि देश में प्रतिवर्ष कितने एलएचबी कोचेज़ का निर्माण किया जा रहा है। क्या राजस्थान में सरकार नई रेल फैक्ट्री लगाने पर सरकार विचार कर रही है?

अध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में जो लोकल ट्रेन चलती है, उसमें मात्र पांच-छः कोचेज़ होते हैं और दैनिक यात्रियों को बहुत परेशानी होती है। मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि क्या आईसीएफ कोच हटाकर, वहां पर एलएचबी कोच लगाने की प्रक्रिया विभाग पूरी करेगा? यात्री भार को देखते हुए, उनमें अतिरिक्त कोच लगाने की प्रक्रिया को क्या विभाग पूरा करेगा?

SHRI SURESH C. ANGADI: Sir, the Hon. Member has asked a very relevant question. इस देश में लगभग 57,000 हजार कन्वेंशनल कोचेज़ हैं। अभी आलरेडी हम 21 प्रतिशत कोचेज़ चेंज करके एलबीएच कोचेज़ लगा चुके हैं। ये लिंक हॉफमैन बुश कोचेज़ में एक्सीडेंट नहीं होता है, ये सेफ्टी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी का कहना है कि safety is first. प्रधान मंत्री जी का रेलवे मंत्रालय को निर्देश है कि safety, cleanliness and punctuality are the priority. माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि अभी हर साल हम इन कोचेज़ को चेंज करते जा रहे हैं। We are changing the coaches every year. रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम में, इतने टाइम में, I congratulate the officials concerned and public sectors of our railways because they have manufactured the largest number of coaches in India under Make in India project of our Hon.

Prime Minister. पैसेजर्स के बारे में माननीय सदस्य की जो सोच है, वह हमारी भी सोच है। इसके लिए हम जल्दी से जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं और लगभग 57,000 कोचेज़ को हम फेज़वाइज़ मैनर में चेंज कर रहे हैं। We are going to change the coaches for the facility of the passengers as early as possible.

श्री निहाल चन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी छः तारीख को हमारी एक नई ट्रेन की शुरुआत हो रही है। अनूपगढ़ से बठिंडा तक, वाया सूरतगढ़ होते हुए उस ट्रेन की शुरुआत होगी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वर्ष 1998 में तत्कालीन प्रधान मंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मेरी कांस्टीट्यूेंसी हनुमानगढ़ में हनुमानगढ़ से लेकर सरदारशहर तक, वाया रावतसर, एक ट्रेन चलाने की घोषणा की थी, जो अभी पेंडिंग है। श्रीगंगानगर से कैनाललूप होते हुए जयपुर तक का ट्रैक करीबन कम्प्लीट हो गया है, उस पर कब तक नई ट्रेन चलाने के बारे में सरकार विचार कर रही है?

श्री सुरेश सी. अंगड़ी: इस बारे में, हम आपके साथ दीपावली मनाएंगे और आपको अच्छी सुविधा भी मिलेगी। अभी माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के बारे में जो सोच रहे हैं, हम बहुत खुशी से बोल सकते हैं कि आपके साथ दीपावली मनाएंगे।

डॉ. फारूख अब्दुल्ला : सर, मिनिस्टर साहब से मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि बारामुला से बनिहाल तक रेल शुरू हो हो गई है, मनमोहन सिंह जी ने इसको शुरू किया था, मगर जो कोचेज़ हैं, वे कभी भी फिर से नए नहीं लगाए गए और उन कोचेज़ की हालत बहुत खराब है। मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके, एक तो उन कोचेज़ को बढ़ाइए और उन कोचेज़ को बेहतर करिए। हमें दोनों चीजें चाहिए – More coaches and the improvement of coaches that are presently there.

SHRI SURESH C. ANGADI: Sir, the hon. Member has asked a relevant question. I will get the details and let him know afterwards whatever the details are there. We are interested in changing the coaches. We are giving more safety to the people. We are concerned about them.

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, नई सरकार बनने के बाद 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार हुआ है। यह खबर आ रही है कि एक्शन प्लान के दौरान आप सात प्रोडक्शन यूनिट्स का कॉरपोरेटाइजेशन, निजीकरण अथवा निगमीकरण करने जा रहे हैं। कल हमारी सीएलपी लीडर मैडम सोनिया गांधी जी ने इस मुद्दे को उठाया था।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप मूल प्रश्न से संबंधित पूरक प्रश्न ही पूछें।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, यह क्या विषय है, इसके बारे में हमें आप जानकारी दें। यह बड़ा गंभीर मुद्दा है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप एलएचबी कोचेज के विषय में ही प्रश्न पूछिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, इस घोषणा के चलते कर्मचारियों में खलबली मच गई है, उनमें डर पैदा हो गया है।

रेल मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल): माननीय अध्यक्ष जी, फिर एक बार प्रमुख विपक्षी दल के डबल स्टैंडर्ड्स और डबल नीतियों का परिचय इस सदन में फिर एक बार हमें देखने को मिला है। मैं यहाँ यूपीए सरकार के वित्त मंत्री की पहली बजट स्पीच, वर्ष 2004-05, को कोट करना चाहूंगा। पूर्व वित्त मंत्री जी इनकी पार्टी के थे और शायद इनके वरिष्ठ नेता भी हैं, वह कहते हैं :

“... Disinvestment and privatization are useful economic tools. We will selectively employ these tools, consistent with the declared policy. As a first step, I propose to establish a Board for Reconstruction of Public Sector Enterprises (BRPSE). The Board will advise the

Government on the measures to be taken to restructure PSEs, including cases where disinvestment or closure or sale is justified.”

यह कांग्रेस की नीति थी।... (व्यवधान) आप सुनने का साहस रखिए। मैं सभी मुद्दों पर आ रहा हूँ। हम आपके सवालों के जवाब देने में कभी हिचकिचाए नहीं हैं।... (व्यवधान) आप सुनिए।... (व्यवधान) हम सदन को भी बता दें कि इनकी दोगली नीति कैसी चलती है?

माननीय अध्यक्ष जी, देश में जीएसटी लाना था। जीएसटी के लिए एक कॉरपोरेशन बनानी थी। कांग्रेस की सरकार ने 28 मार्च, 2013 को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जिसके अन्तर्गत मैजोरिटी स्टेक प्राइवेट कंपनीज को एलाऊ किया यानी, पूरे देश के जीएसटी का डेटा एक प्राइवेट कंपनी को देना था। हमने सितम्बर, 2018 में प्रधान मंत्री मोदी जी के आदेश पर इसको सरकारी कंपनी बनाया।... (व्यवधान)

SHRI D.K. SURESH: Sir, this is not the question asked to him.
... (Interruptions)

SHRI B. MANICKAM TAGORE: Sir, let him answer the question asked to him.
... (Interruptions)

SHRI T. N. PRATHAPAN : Sir, the question was about Rae Bareli Coach Factory. ... (Interruptions) You please answer to that specific question here.
... (Interruptions)

श्री पीयूष गोयल : जनवरी, 2006 में, कांग्रेस की सरकार ने, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, एनाउंस किया जिसने मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट्स निजी हाथों में दे दिए।... (व्यवधान) यह कांग्रेस की नीति है।... (व्यवधान) बजट स्पीच, 2005-2006 में, उस समय के वित्त मंत्री फिर एक बार कहते हैं कि “... Stamp duty on Stock Exchange ‘Corporatization’...”. ये शब्द हैं।

SHRI BENNY BEHANAN : You please answer the question. ... (Interruptions)

श्री पीयूष गोयल : It further states that :

“...The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, as amended recently, requires all stock exchanges to be corporatized and demutualized. ...*(Interruptions)* Three stock exchanges are not yet corporatized. ...*(Interruptions)* In order to facilitate their corporatization, I propose to grant a one-time exemption to them from stamp duty on the notional transfer of assets...”. ...*(Interruptions)*

अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट करता है कि कांग्रेस सरकार ने कॉरपोरेटाइजेशन नहीं बल्कि प्राइवेटाइजेशन किया था ।...*(व्यवधान)* हमारी सरकार तो कारपोरेटाइज कर रही है ताकि इसके इन प्रोडक्शन यूनिट्स में जॉब्स और निवेश आए, उनकी ग्रोथ हो, वे बढ़ें, जनता की सेवा करें ।...*(व्यवधान)* अच्छे मॉडर्न एलएचपी कोचेज बनाएं । अल्युमिनियम कोचेज बनाए, ट्रेन सेट्स, इलेक्ट्रिक से चलने वाली अच्छी ट्रेनें बनाएं ।...*(व्यवधान)* लेकिन हम ने जो लिखा है कि उसमें कॉरपोरेटाइजेशन होने से सरकार ही मालिक रहेगी ।...*(व्यवधान)* हम अपने हाथों में उसके पूरे शेयर्स रखेंगे ।...*(व्यवधान)* इनकी तरह नहीं कि निजी क्षेत्र को उठा कर बेच दिया ।...*(व्यवधान)* हम उसको कॉरपोरेटाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस यही करती ।...*(व्यवधान)* उसने वर्ष 2007-08 में एनाउंस किया ।...*(व्यवधान)* लेकिन एनाउंस करने के बाद कुछ काम नहीं किया ।...*(व्यवधान)* धीरे-धीरे वर्ष 2014 आ गया ।...*(व्यवधान)* वर्ष 2014 तक इस कोच फैक्ट्री ने एक भी कोच नहीं बनाया था ।...*(व्यवधान)* वे एक पेंट मार देते थे या पेच कस देते थे ।...*(व्यवधान)* कोचेज आईसीएफ से आते थे । ...*(व्यवधान)* कोचेज कपूरथला से आते थे ।...*(व्यवधान)* इनकी सरकार की सिर्फ घोषणाएं थीं, लेकिन काम नहीं होता था ।...*(व्यवधान)* हम लोगों ने उस फैक्ट्री को चलाया । फैक्ट्री में लोगों को नौकरी दी, लेकिन कांग्रेस ने कभी नौकरी

नहीं दी थी ।...(व्यवधान) हम ने देश भर के लोकल लोगों को नौकरियां दी ।...(व्यवधान) उस फैक्ट्री ने पिछले वर्ष 1422 कोचेज बनाए । ... (व्यवधान) हजार की क्षमता थी ।...(व्यवधान) हमारी सरकार के काम करने का यह ढंग है ।...(व्यवधान) आपकी तरह दोगले वचन और बेबुनियाद बातें नहीं करते हैं ।

(Q. 163)

श्री अजय मिश्र टेनी: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी द्वारा बहुत ही विस्तार से उत्तर दिया गया है। माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार वर्ष 2017-18 के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में वियतनाम से 62 करोड़ रुपए की बजाय, 2317 करोड़ रुपये की टेलीविजन इम्पोर्ट किए, जो लगभग 37 गुना वृद्धि थी।

महोदय, मैं समझता हूँ कि हमारे देश के दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ निःशुल्क व्यापार करार का ही प्रभाव है, जिसमें मात्र 5 आसियान देशों, जिनसे हमारी एफटीए की संधि है, कुल आयात के 97 प्रतिशत शेयर्स उन्हीं के हैं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जवाब न पढ़ें, आप प्रश्न पूछें।

श्री अजय मिश्र टेनी: महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। वर्ष 2017-18 से 2018-19 के सापेक्ष 4591 करोड़ रुपये से बढ़कर 7011 करोड़ रुपये हुए हैं, जो 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या अपने देश में 'मेक इन इंडिया' व 'स्टार्ट-अप इंडिया' को बढ़ावा देने तथा देसी टेलीविजन उद्योग को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए पूरी तरह से भारत में निर्मित व असेम्बल किए जाने वाले टीवी व एलईडी सेट को व्यापार की सुगमता के लिए कोई योजना सरकार ने बनाई है?

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जैसा कि उन्होंने स्वयं प्रश्न पूछते समय कहा है कि विदेश नीति को प्रभावित करने के लिए आसियान देशों के साथ हमारी बिना शुल्क इम्पोर्ट की नीति है। वियतनाम से टीवी सेट्स आए हैं। लेकिन मैं सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 'मेक इन इंडिया' में देश में 38 एलसीडी और एलईडी टेलीविजन बनाने की कम्पनियां हैं और 80 परसेंट देश की जो अपेक्षा है, वह भारतीय कम्पनियों से पूरी हो रही है। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में हम लोगों ने 'मेक इन इंडिया' में इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग को आगे बढ़ाया है। मैं सदन को तीन बातें कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2014-15 में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रोडक्शन 1,90,366 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर

4,58,006 करोड़ रुपये आगे बढ़ गया और लगभग 20 लाख लोगों को इसमें नौकरी मिली है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब वर्ष 2014 में हमारी सरकार बनी थी, तब देश में सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्रियां थीं और अब उनकी संख्या 268 हो गई है तथा आज हमारा 1,70,000 करोड़ रुपये का मोबाइल का उत्पादन हो रहा है, जो पहले 18,090 करोड़ रुपये का था। इसमें लगभग 6.7 परसेंट लोगों को डायरेक्ट-इनडायरेक्ट नौकरियां मिली हैं।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के निर्देश में 'मेक इन इंडिया' में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भारत और आगे बढ़े, एलईडी बल्ब बन रहे हैं, लैम्प्स बन रहे हैं और भी चीजें बन रही हैं। हम इसे और आगे बढ़ाएंगे। माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है, लेकिन कई बार विदेश नीति और 'मेक इन इंडिया' को भी साथ मिलकर चलना पड़ता है।

श्री अजय मिश्र टेनी: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया और वास्तव में वर्ष 2014 से 2019 के बीच जिस प्रकार से रोजगार के अवसर बढ़े हैं और हम हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। मैं निश्चित रूप से माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी का मैं धन्यवाद करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि भारत में विदेशी कम्पनियों सहित हमारी कई देसी कम्पनियां भी हैं, जो टीवी सहित बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजों का उत्पादन करती हैं। वे कम्पनियां तीन तरीके से इलेक्ट्रॉनिक चीजों का निर्माण करती हैं, वे या तो पूरी तरह से देश में उन्हें निर्मित करती हैं या बाहर से लाए हुए उपकरणों को असेम्बल करके करती हैं या आपूर्ति करने के लिए ऐसे देशों से जहां इसमें बहुत सारी छूट है, वहां से उत्पाद उन्हें सस्ते पड़ते हैं, इसलिए वे सीधे-सीधे उन्हें इम्पोर्ट करके देश में इनकी आपूर्ति करती हैं। इसका प्रभाव भारत में जो देसी कम्पनियां हैं, उन पर पड़ता है और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी देसी कम्पनियां, जो पूरी तरह से भारत में ही सैट्स का निर्माण करती हैं और असेम्बल किए हुए जो उपकरण हैं, वे भी देश में ही बनाती हैं, क्या उनकी सुविधा के लिए जीएसटी या कस्टम ड्यूटी में आप कोई ऐसी पालिसी बनाएंगे, जिससे देश में निर्माण करने वाली कम्पनियों को बढ़ावा मिल सके?

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष जी, यह जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार हुआ है, इसमें भारतीय कम्पनियों का भी बहुत सहयोग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बगल के नोएडा में मोबाइल की 93 फैक्ट्रियां आई हैं। आज कल मोबाइल भी बनते हैं, कम्पोनेंट भी बनते हैं, चार्जर तथा बैटरीज भी बनती हैं और यह प्रक्रिया आगे बढ़ाने की भी जरूरत है। माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में हमें एक बात सोचनी पड़ेगी कि जब भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन कोई कार्यवाही होती है, तो उसमें विदेशी सहभाग बहुत जरूरी होता है। भारतीय कम्पनियां विदेश की टेक्नोलॉजी से सीखें और आगे बढ़ें, हमारी यह कोशिश है। हम चाहते हैं कि भारतीय कम्पनियां और अधिक कम्पीटिटिव बनें। उन्हें जो सुविधा देनी है, उसके लिए हमारा एमसीएफ का कार्यक्रम चला है, जिसमें हमने काफी लोगों को सहयोग किया है। मैं आपके माध्यम से सदन को बहुत विनम्रता से बताना चाहता हूँ कि बड़े-बड़े मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में आज हिंदुस्तान आ रहे हैं और वे आउटसोर्स करके दुनिया की बड़ी कम्पनियों के लिए बड़े-बड़े प्लांट लगा रहे हैं। हम इसे भी एनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि आज भारत मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहा है, तो भारत एक्सपोर्ट का भी एक बड़ा केंद्र बने। मैं इस बारे में विचार कर रहा हूँ। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ह्यूमन रिसोर्स है, टेलेण्टेड इंजीनियर्स हैं, इसलिए भारत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बनना चाहिए।

श्रीमती हेमामालिनी : माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में 'मेक इन इंडिया' द्वारा बहुत ही अच्छे काम हो रहे हैं। We are very proud of the work being done under 'Make In India'. I want to ask the hon. Minister as to what significant support for the electronic sector has been offered so far under the National Electronic Policy, 2009 by the Government. Also, I want to know whether there are suggestions from electronic manufacturing associations for giving various incentives such as deduction of trade fair expenses etc. for the growth of the industry and exports and whether the Government has positively responded to such suggestions.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, that is a very relevant question asked by the hon. Member. Let me explain it. We have taken a series of measures. First was the M-SIPS whereby we used to give 25 per cent of interest subvention and subsidy. Now, we have come with a latest Electronic Policy, 2019 which lays the whole architecture whereby India's electronic manufacturing becomes an important component of making India's \$1 Trillion digital economy – from software to hardware. We need to understand that electronic software is also an important component of electronic manufacturing and that is our focus.

As regards other incentives, we have always been emphasising that Indian companies should also become proactive, competitive, professional and technology driven. This whole Electronic Policy, 2019 basically stresses upon that. I am quite sure, in the light of the experience of last five years, we will surely be able to achieve the target set for ourselves.

(Q. 164)

श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंडारिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सौराष्ट्र में रेलवे के संबंध में मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

गुजरात राज्य में सौराष्ट्र एक अलग राज्य था। आज़ादी के बाद 1948 में एक राज्य की स्थापना हुई, जिसकी कैपिटल राजकोट थी। अभी सौराष्ट्र गुजरात का थर्ड हिस्सा है। सौराष्ट्र में द्वारका और सोमनाथ दो बड़े मन्दिर भी हैं। ये दोनों आस्था के केन्द्र हैं, जहाँ पूरे भारत से लोग आते हैं।

दिल्ली से अहमदाबाद तक जो राजधानी एक्सप्रेस चल रही है, वह यहाँ से रात को आठ बजे चलकर सुबह नौ बजे अहमदाबाद पहुँचती है और वापस अहमदाबाद से शाम को सात बजे चलकर सुबह सात बजे दिल्ली पहुँचती है।

मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उसका जो मेनटेनेंस का कार्य हो रहा है, वह अहमदाबाद में हो रहा है। यह ट्रेन सुबह से शाम तक दिल्ली में पड़ी रहती है। यदि मेनटेनेंस का काम वहीं पर हो और राजकोट के लिए एक अलग से सुविधा मिल जाए, तो दिल्ली से सौराष्ट्र तक एक डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी।

श्री सुरेश सी. अंगड़ी : सर, माननीय कुंडारिया जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जैसे श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूरे भारत को जोड़ दिया है, वैसे ही वे राजस्थान और गुजरात को भी जोड़ना चाहते हैं। Ahmedabad to Rajkot is 250 kilometers. 250 किलोमीटर जाने में मिनिमम चार घंटे लगते हैं, इसलिए आने और जाने के लिए minimum eight hours are required. For service and maintenance, minimum six hours are required. वह टाइम सेट नहीं होता है। आने वाले दिनों में, what best help we can give to the people of Rajasthan and Ahmedabad, Gujarat, we will study that.

श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंडारिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वही है।

माननीय अध्यक्ष: यही सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आ गया।

श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंडारिया: सौराष्ट्र के साथ 70 वर्षों तक रेलवे में हमेशा अन्याय हुआ है। सोननगर से राजकोट तक सिंगल ट्रैक होने के कारण इस पर रेलवे का भार डेढ़ सौ टका से ज्यादा होता है, इसलिए नयी ट्रेन नहीं मिलती थी। श्री नरेन्द्र भाई की सरकार बनी, तो उस लाइन को डबल ट्रैक करने के लिए 12 सौ करोड़ रुपये मंजूर किये गये, इसके लिए मैं मंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूँ।

राजकोट में जो एम्स दिया गया, उसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी और आरोग्य मंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। डबल ट्रैक का जो काम चल रहा है, वह जल्दी पूर्ण हो और सौराष्ट्र को ज्यादा ट्रेन्स मिलें, मेरा यही प्रश्न है।

श्री सुरेश सी. अंगडी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के विषय को हमने स्टडी किया है। माननीय कुंडारिया साहब ने इसके बारे में कहा है। पूरे देश में डबल ट्रैकिंग का काम चल रहा है। हम जल्दी से जल्दी उसे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। पांच साल पहले के काम पर अब बहुत तेजी से काम चल रहा है। हम जल्दी से जल्दी यह सुविधा देने का प्रयास करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर - 165, श्रीमती कनिमोजी जी।

(Q. 165)

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, the Ministry has given a detailed reply to the question and I thank them for it. They have in the reply said that there are unresolved, pending issues obstructing the progress of the railway line. I would like to ask the Minister if the necessary land has been acquired to complete the project. The project is supposed to be completed by 2021. The entire budgetary allocation is Rs.1,182 crore but so far only Rs.342 crore has been allocated. Will they increase the budgetary allocation and finish the project on time?

SHRI SURESH C. ANGADI: Sir, I would like to say through you that there are 22 projects of new lines, gauge conversion, etc., in Tamil Nadu worth Rs.22,000 crore which are at different stages of progress. From 2009 -2010 to 2013-2014, Rs.879 crore per year has been spent. From 2014 to 2019, Rs.1,979 crore per year has been spent. That is 225 per cent of the UPA Government's spending. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपको सप्लिमेंटरी प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा ।

...(व्यवधान)

SHRIMATI KANIMOZHI: Can I explain my question, Sir?

I am only asking about one particular railway line in Thoothukkudi, I am not asking about what the UPA Government has spent.

SHRI SURESH C. ANGADI: There is a system. The State Government and the Centre have to coordinate on giving land to complete the projects. If the land issue is cleared, immediately the project from the Railways will start.

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, I have a supplementary which is not directly connected to the first question.

The Government has advised to close down five railway printing presses. What is the need to close down these printing presses and what happens to the future of the people whose livelihood depends on these and the people who are employed in these printing presses?

रेल मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल): अध्यक्ष महोदय, फिर एक बार वही बात सामने आती है कि दुनिया आगे चलती जा रही है। ... (व्यवधान)

Sir, it is very unfortunate that the whole world is moving forward but some people, some parties, some alliances are living in history. The whole world is moving towards digitalisation. The whole world is moving towards modern technology. These printing presses were set up by the British many years ago to print tickets and make them available to all the railway stations. Gradually more and more people are booking tickets online, more and more people are engaging in digital and modern technology and the use of these printing presses has declined so drastically that they are totally uneconomical now.

Mr. Speaker, Sir, some of the tickets cost more to print than the total value of the ticket. Unfortunately, some people want us to continue so that tomorrow we will be forced to increase passenger fares because they do not want us to bring efficiency in Railways. We want to bring efficiency in the Railways. To bring efficiency in the Railways, some of these projects which are unviable are being closed down. The jobs of all the people who are working

there are protected. They will be absorbed in other activities of the Railways. I would like to assure the hon. House and the people of India that not a single person will lose his job, everybody's job will be protected. They will be absorbed in other parts of the Railways. However, we will not allow inefficiency to run the Railways like it was in the past many years.

SHRI K. NAVASKANI: Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity. The train service between Karaikkudi, Aranthangi, Peravurani up to Pattukottai has been stopped due to unguarded level crossings. More than 35 unguarded level crossings are on this line. Due to this, the commuters are facing problems. I want to ask the hon. Railway Minister whether he is going to depute guards at all unguarded level crossings.

श्री सुरेश सी. अंगड़ी: सर, इसके बारे में डिटेल लेकर माननीय मैम्बर को बता देंगे ।

श्री पीयूष गोयल: मैं इनका जवाब दे देता हूँ । We are proud that this Government has eliminated Unmanned Level Crossings in the whole broad-gauge network in the country. ...(*Interruptions*) There is not a single Unmanned Level Crossing in the broad-gauge network in the country today. ...(*Interruptions*)

This particular line may not be a broad-gauge line, that is why there could be Unmanned Level Crossing for which we have set up a protocol. As per that protocol, the train runs and stops and the person closes the gates. ...(*Interruptions*) Then the train runs further. That is for Unmanned Level Crossing on the narrow-gauge or other gauges. But on the main line – the broad-gauge network – there is not a single Unmanned Level Crossing today in the country. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य आपस में चर्चा न करें। माननीय मंत्री जी आप उनको जवाब न दें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप उनकी आज्ञा से जवाब मत दीजिए।

प्रश्न 166, श्री विजय कुमार दुबे।

(Q.166)

श्री विजय कुमार दूबे : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि प्रश्न पूछने का यह मेरा पहला अवसर है और मैं नया सदस्य हूँ। मैं माननीय रेल मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने तमाम योजनाओं को इस देश के कोने-कोने तक ले जाकर जनता को सुविधाएं दी हैं और देश का नाम आगे बढ़ाया है।

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा प्रश्न है कि नेपाल की सीमा और बिहार की सीमा से लगा इस देश का आखिरी छोर कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र, पूरी दुनिया में शान्ति का संदेश देने वाले भगवान महात्मा बुद्ध की धरती है। वह बौद्ध सर्किट एरिया है। वहां विकास आज तक काफी दूर रहा है। इस कुशीनगर लोकसभा से हमें होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री मिली हैं। साठ साल इस देश का नेतृत्व करने वालों ने दिया, लेकिन विकास नहीं दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने प्रधान मंत्री जी को इस बौद्ध सर्किट एरिया को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है। ... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूँ कि अब इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान के बाद देश-विदेश से इस क्षेत्र में सैलानी आएंगे। क्या वह इस लोकसभा क्षेत्र के पनियहवा, खड्डा, पडरौना, रामकोला, कप्तानगंज के जीर्ण-क्षीण पड़े रेलवे स्टेशन का भी सौन्दर्यीकरण, आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण करने का कार्य करेंगे और करेंगे तो कब तक करेंगे?

रेल मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी इस सरकार ने संवेदना ऐस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए दिखाई है। यह अपने आप में ऐतिहासिक है। देश में जहां पर 115 ऐस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आज 87 डिस्ट्रिक्ट्स में रेलवे की सुविधाएं पहुंचती हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी सक्षम हैं, प्लीज आप बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी एक मिनट रुकिए। मैं माननीय सदस्यों को फिर आग्रह कर रहा हूँ कि सदन में कोई भी

माननीय सदस्य बैठे-बैठे टिप्पणी नहीं करेगा। आपको प्रश्न पूछना है तो आप टेबल पर दें। मैं आपका सप्लीमेंट्री अलाउ करूंगा। Please sit down.

... (Interruptions)

SHRI PIYUSH GOYAL: If you ask a political question, we will give a political answer. ... (Interruptions) As far as aspirational districts are concerned, our Government has started the work of encouraging more and more aspirational districts to be connected.

We have just now sanctioned nearly Rs. 5,000 crore to connect three or four Aspirational Districts of Uttar Pradesh with the main network. जहाँ तक माननीय सदस्य का सवाल है, देश के अलग-अलग क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य अपने-अपने हिसाब से होता है। समय-सीमा के हिसाब से नई-नई योजनाएं आती हैं, उनका सर्वे होता है, उनकी चिंता सरकार भी करती है। मैं आपको आश्चस्त करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तीव्र इच्छा है कि इस पूरे देश के कोने-कोने तक रेल की कनेक्टिविटी पहुंचे। उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। कई सारे प्रोजेक्ट्स जो पहले अनाउंस होते थे, लेकिन उन पर काम नहीं होता था। हमारी सरकार जब कुछ अनाउंस करती है तो उस पर काम भी करती है।

श्री विजय कुमार दूबे: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि कुशीनगर का बौद्ध सर्किट एरिया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु माननीय प्रधान मंत्री जी ने दे दिया, उसका 20 प्रतिशत निर्माण बाकी है। कुशीनगर विधान सभा क्षेत्र, जो आगे आने वाले दिनों में, पूरे देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक दर्शनीय स्थल के रूप में जाना जाएगा, आज भी रेल सुविधा से दूर है। क्या मीटर गेज, जो सरदार नगर से चलकर हेतिमपुर तक आया है, अभी भी सरकारी जमीन सरकार के अधीन है। क्या बड़ी लाइन बिछाकर इसे उक्त बौद्ध सर्किट एरिया से जोड़ने का काम किया जाएगा? यदि किया जाएगा तो कब तक?

श्री सुरेश सी. अंगड़ी: सर, माननीय सदस्य की अपने क्षेत्र के बारे में जो सोच है, वह काफी अच्छी है। यह जल्दी से जल्दी स्टडी करके, उसके बारे में एग्जामिन करके रिपोर्ट दे दी जाएगी।

श्री रेबती त्रिपुरा: धन्यवाद, माननीय स्पीकर सर। मैं ईस्ट त्रिपुरा से आता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: कृपया सब ताली बजायें, माननीय सदस्य आकांक्षी जिले से आए हैं।

श्री रेबती त्रिपुरा : धलाई जिला, देश की ऐस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है और मेरे डिस्ट्रिक्ट में दंबूर लेक एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। त्रिपुरा के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, यह उनमें से एक है। वहां जाने के लिए जो रोड कनेक्टिविटी है, वह बहुत बुरी हालत में है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या रेल मंत्रालय वहां जाने हेतु कोई कनेक्टिविटी देने की प्लानिंग कर रहा है? माननीय मंत्री जी एक और प्रश्न है। जंपुई हिल, जहां ऑरेंज होते हैं, त्रिपुरा के ऑरेंज बहुत फेमस हैं, यह आप जानते ही होंगे। यह हिल एरिया भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो कि रेल कनेक्टिविटी से बाहर है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वहां भी रेल मंत्रालय कनेक्टिविटी देने की प्लानिंग कर रहा है?

श्री सुरेश सी. अंगड़ी: सर, मैं माननीय रेल मंत्री जी के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि पहली बार माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का काम किया गया है। त्रिपुरा में हमारे मुख्य मंत्री श्री बिप्लब कुमार देब जी हैं। वहां के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, उनको पूरी तरह स्टडी करके कि उनके डेवलपमेंट हेतु क्या-क्या चाहिए, हम उसे पूर्ण करके उसकी डिटेल् दे देंगे।

माननीय अध्यक्ष: श्री बी. मणिकम टैगोर। यह प्रश्न आकांक्षी जिले का है। आप बैठै-बैठे बोल रहे थे, इसलिए मैंने आपको बुलाया है।

SHRI B. MANICKAM TAGORE: Hon. Speaker, Sir, Virudhunagar is an Aspirational District. In 2018, the Government had announced it as an Aspirational District. The project of Madurai –Aruppukottai - Thoothukudi

rail link is still pending. An announcement was made that the Silambu Express would run thrice a week. There was a demand for a daily train which has not been met. As far as improvement of railway stations is concerned, there are stations like Thiruthangal and Sivakasi which have not been considered. I would like to ask the hon. Minister whether in the coming year, it will be taken into consideration under the Aspirational Districts Programme.

SHRI SURESH C. ANGADI: You know very well since you were an hon. member during the 14th Lok Sabha also. Hon. Prime Minister Shri Narendra Modi for the first time called a meeting of all the State Legislative Assembly Members, Members of Parliament of both Lok Sabha and Rajya Sabha in the Central Hall under the Chairmanship of the Speaker to study whatever is to be done for the development of the 115 aspirational districts.

Whatever he is saying on the development of the stations is an on-going process; whatever remaining information is there, I will get the detail and submit to him.

(Q. 167)

श्री राजन बाबूराव विचारे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ कि इनके कार्यकाल में अच्छे काम हुए हैं। मैं आपके माध्यम से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने देश और राज्यों में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए कितने स्टेशनों का चयन किया है? क्या उसमें विशेषतः महाराष्ट्र के ठाणे रेलवे स्टेशन को सम्मिलित किया गया है?

SHRI SURESH C. ANGADI: Sir, the hon. Member Shri Rajan Vichare comes from Thane.

For Thane station, we have already spent Rs. 27 crore. The refurbishment of railway stations is an on-going process. We are making progress in Thane railway station. Refurbishment and upgradation of stations is in continuous progress: circulating area, platform surface, waiting hall, retiring rooms, toilets, FOBs and many other facilities are being provided.

He is saying that Thane is a station of historical importance. Places of historical importance visited by Mahatma Gandhi, Swami Vivekananda and others are being taken into consideration for showcasing the culture of the country in different stations. So, as the hon. Member has asked, work in this station is already in progress for improvement.

श्री राजन बाबूराव विचारे: अध्यक्ष महोदय, ठाणे रेलवे स्टेशन एक ऐसा ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, जहां से रेलवे की पहली ट्रेन बोरीबंदर से ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 में चली थी। इसको लगभग 164 साल पूरे हो गए हैं। इस स्टेशन से करीब 7-8 लाख यात्री प्रतिदिन आवागमन करते हैं। मध्य रेलवे के अंतर्गत मुंबई के बाद प्रतिदिन सर्वाधिक 50 लाख रुपये प्रतिदिन की आय देने

वाला यह स्टेशन है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इस स्टेशन के लिए क्या-क्या अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं और क्या इसे वर्ल्ड क्लास स्टेशन का दर्जा दिया जाएगा?

SHRI SURESH C. ANGADI: Sir, as per the hon. Prime Minister's vision, train safety is the first priority; second is punctuality; and then cleanliness. Any facility the hon. Members require for passenger safety, we are already doing in all the stations. यह देश का एक पुराना और अच्छा रेलवे स्टेशन है। इंटरनेशनल लेवल पर स्टडी की जाएगी और स्टडी करने के बाद जो भी अतिरिक्त सुविधाएं लोगों को दी जानी चाहिए, उसे रेलवे करने को तैयार है। Development is an on-going process in all the railway stations in the country. आने वाले दिनों में उसे और अच्छा बनाने का हम प्रयास करेंगे।

(Q. 168)

श्री गिरिधारी यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत और सेन्ट्रल एशिया के बीच जो व्यापार का संबंध है, वह बहुत पुराना है। जब भौगोलिक स्थिति अच्छी नहीं थी, बहुत विकट स्थिति थी तो उस समय भी हमारे और मध्य एशिया के बीच व्यापार होता था। मध्य एशिया के देशों का समुचित विकास नहीं होने के कारण बहुत सारी वस्तुएं दूसरे देशों से मंगायी जाती हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने सेन्ट्रल एशिया में जो सुरक्षा संबंधी समस्याएं हैं, व्यापार करने में जो सुरक्षा संबंधी समस्याएं आ रही हैं, उस संबंध में क्या प्रयास किए हैं और सुरक्षा की उन समस्याओं के समाधान के लिए क्या सरकार कोई प्रयास कर रही है?

श्री पीयूष गोयल : हमारे इन देशों के साथ बहुत अच्छे और निकट के संबंध हैं। वास्तव में सुरक्षा की इतनी समस्या नहीं है, जितनी भाषा की समस्या है। प्रोडक्ट्स की रजिस्ट्रेशन में समस्या आती है, डिस्प्यूट सैटलमेंट इत्यादि ट्रेड रिलेटिड विषय हैं, जिन पर हमारी लगातार उनसे बातचीत चल रही है।

सुरक्षा की समस्या पर अगर उस पूरे क्षेत्र को सही तरीके से देखें, तो उसके बारे में पूरे विश्व में बातचीत का सिलसिला लगातार चलता रहता है। हमारा फॉरेन आफिस भी इन चीजों की चिंता करता है। लेकिन उसमें डायरेक्टली भारत का कोई बहुत बड़ा रोल या योगदान उस क्षेत्र की सुरक्षा समस्याओं के साथ नहीं जुड़ा हुआ है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य क्या आप सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री गिरिधारी यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य एशिया में सुरक्षा की समस्या तो है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने अपने स्तर से नहीं करके उसको बाहर दे दिया है। समस्या तो पूरे सेन्ट्रल एशिया में है, जितने भी देश हैं, उनमें है। अगर भारत सरकार प्रयास नहीं कर पाई है, तो वह अलग बात है।

श्री पीयूष गोयल : महोदय, मैंने यही कहा है कि समस्या पूरे क्षेत्र में है। लेकिन उसमें भारत सरकार उन देशों की सुरक्षा के लिए यहां से कोई अरेंजमेन्ट कर दे, मेरे ख्याल से सदन में किसी को भी ऐसा नहीं लगता होगा।

श्रीमती रमा देवी : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का जवाब बहुत अच्छे ढंग से दिया हुआ है। फिर भी मैं यह जानना चाहती हूँ कि विगत तीन वर्षों के दौरान मध्य एशिया के साथ व्यापार करने में किन-किन देशों के साथ प्रतियोगिता महसूस की गई है और इस प्रतियोगिता में सफलता के लिए कौन-कौन से प्रयास किए गए हैं? मेरा प्रश्न यह है कि मध्य एशिया के देश कज़ाख़िस्तान, किर्गिजस्तान, यूरेशिया और संघों के सदस्य हैं। ईएईयू जिसमें रशिया, अर्मेनिया और बेलारूस अन्य तीन देश शामिल हैं। इनके साथ मुक्त व्यापार करार की संभावनाओं का पता लगाने में थोड़ी भाषा की समस्या होती है और थोड़ी दिक्कत भी आती है। लेकिन हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी चाहते हैं कि देश-विदेश में हमारा व्यापार फैले और वहां की जो दिक्कतें हैं, उनसे हम रूबरू हों और उनका निराकरण कर सकें। क्या मंत्री जी यह बताना चाहेंगे कि इसको करने में आपको कितना समय लगेगा और इसे कैसे कर सकते हैं और इन विदेशों से व्यापार करने में क्या-क्या सुविधाएं दे सकते हैं?

श्री पीयूष गोयल : महोदय, भारत की प्राथमिकता है कि पूरे विश्व में जहां-जहां पर इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट की संभावनाएं हैं, उनको और गति दी जाए। जब हमने एक ज्वाइंट फिजेबिलिटी स्टडी की, तब ध्यान में आया कि ईएईयू के साथ काफी अपार संभावनाएं हैं। उसके तहत हमने ज्वाइंट फिजेबिलिटी स्टडी में इन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने में जो सिग्निफिकेंट पोटेंशियल दिखा, उसके संबंध में उज़्बेकिस्तान के साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट को शेयर किया है कि हम मिलकर जो ये पांच देश हैं और जिन तीन देशों का इन्होंने नाम लिया है, बेलारूस, रशिया और अर्मेनिया, इन आठों देशों का जो यह समूह है, इसके साथ आगे चलकर अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेन्ट हो सके, तो हम इसके लिए जरूर प्रतिबद्ध हैं कि पूरे विश्व से हमारे अच्छे संबंध बनें और व्यापार के और भी मार्ग खुलें।

DR. SHASHI THAROOR: Mr. Speaker, the hon. Minister has given some reasons in his statement as well as orally but he has not mentioned the biggest obstacle which is that historically our trade with Central Asia has gone through what is today Pakistan and the Northern part of Afghanistan. As long as that relationship remains the way it is, land route to Central Asia will essentially be impossible, let alone unviable.

The question is, whether the Minister would consider embarking on a serious effort to create regional comprehensive trade agreements with massive concessions in order to make up for the extra cost that would be involved in trade with these countries that would have to go by air rather than by land. There are many such countries. As you can see, Kazakhstan has a fairly decent figure, but it is mainly oil and gas. We really need to do more in terms of finished goods. These countries could be a market for our goods if we would actually make gesture from our side as well.

SHRI PIYUSH GOYAL: I would undoubtedly agree with the hon. Member that there is huge potential for trade with these countries. I would like to draw his attention to part (a) and (b) of the reply where we have talked about low accessibility and poor connectivity. Obviously, these are the barriers that come in the way of having trade in this region.

In the coming days, we will try to work on it. The hon. Prime Minister has developed very good personal relations with the leadership of these countries. The nation and the people-to-people ties between these two countries are also very strong. We would certainly very much encourage bilateral agreements or

an FTA with this region. But they normally work as the EAEU. So, it will need a lot of engagement. As the hon. Member, who was formally handling the Foreign Ministry, is well aware that these are issues that prolong over a long period of time. Every nation secures its own national interest and national priorities. The process has been initiated by our sending them the joint statement.

I can assure the hon. Member that the Government will be working towards a resolution of the free trade or some sort of arrangement with these countries.

(Q.169)

श्री विष्णु दयाल राम: अध्यक्ष जी, रेलवे द्वारा मानव रहित फाटकों को बंद किया जाना एक स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए मैं निश्चित रूप से आदरणीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ। परंतु कभी-कभी मानव रहित रेलवे फाटकों को बंद कर देने से कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि गांव रेलवे लाइन के दोनों भाग में स्थित है तो एक भाग में स्कूल, शिक्षण संस्थान और सरकारी अस्पताल है वगैरह हैं। ऐसे में उन जगहों पर जाने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। रेलवे द्वारा इन कठिनाइयों को भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही आरओबी, आरयूबी और एलएचएस बनाने का भी कार्य किया जा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र के तीन ऐसे स्थान – पजरीकला, लालगढ़, और डाली हैं, जहां पर लोगों को असीमित कठिनाइयां हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इन जगहों पर एलएचएस बनाने की कोई योजना रेलवे मंत्रालय बनाएगा?

श्री सुरेश सी. अंगड़ी : सर, 01.04.2019 को पूरे देश में 22,388 लैवल क्रॉसिंग्स थीं, जिनमें मैन्ड लैवल क्रॉसिंग्स 21,340 थीं और अनमैन्ड लैवल क्रॉसिंग्स 1,048 थीं। All unmanned level crossings on Broad Gauge have been eliminated on 31.01.2019. सर, यह प्रधान मंत्री जी के निर्देश पर और हमारे रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के मार्गदर्शन में हुआ था। इसके लिए मैं उनका अभिनन्दन करता हूँ। From 2009 to 2014, in five years, elimination of UMLCs was @ 1137 per year whereas in 2014 -19 the progress was only 1,789. So, it was 57 per cent higher. From 2009 to 2014, the elimination of manned level crossings was only 199 per year in 2014-19. The yearly progress was 462. So , it has been increased by 132 per cent.

Regarding the construction of ROBs/RUBs, the growth in this regard is 66 per cent in 2014-19, which is more as compared to earlier the progress

during 2009-14. यह काम भी प्रोग्रेस में है। हर जगह पर एलएचएस और आरओबी कंस्ट्रक्शन करने और ट्रेनों की सुविधा करने के लिए हम प्रयासरत हैं।

श्री विष्णु दयाल राम: अध्यक्ष जी, मानव रहित फाटकों को बंद करने से रेलवे दुर्घटनाओं में कमी आई है। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि क्या इससे ट्रेन्स की पंच्युएलिटी में भी सुधार हुआ है? यदि सुधार हुआ है तो ज़ोन वाइज़ ट्रेनों की पंच्युएलिटी अभी क्या है?

श्री सुरेश सी. अंगड़ी : सर, यह काम करने से बहुत सारा सुधार तो आया है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले कर हम माननीय सदस्य को भेज देंगे।

SHRI NITESH GANGA DEB : Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak. This is the first time that I have come here as an MP. Actually, I had given an Unstarred Question. I would like to thank you for allowing me to put a supplementary to this Starred Question.

In my constituency, in two areas, namely, Redhakhhol and Bamra, there are unmanned level crossings. I would like to request the hon. Minister to kindly look into the matter.

SHRI SURESH C. ANGADI: The hon. Member is very much concerned with the development of his constituency. I will get the report from the officials. हम इस बारे में पूरी डीटेल्स उनको बाद में भेज देंगे।

SHRI DAYANIDHI MARAN: As per the statement, there are around 21,340 manned level crossings. When do you propose to eradicate them? In Tamil Nadu, most specifically, there are around 1419 manned level crossings in Broad Gauge and nine in Meter Gauge.

Kindly tell us specifically when you will eradicate the same. Kindly give the reply in English.

12.00 hrs

SHRI PIYUSH GOYAL: I will certainly answer you in English.

The hon. Member is very rightly concerned, as are the other Members here, that we have to quickly look at replacing the Manned Level Crossings also with underpasses or overbridges. For that, the Ministry of Railways is working with all the State Governments. Wherever a large number of vehicles are crossing, those LCs, particularly the ones which are in cities and National Golden Quadrilateral, we are focussing on them on a priority basis. Therefore, very recently, after the new Government came in, the hon. Prime Minister has asked the Ministry of Railways to work out a scheme by which, on a high priority, on the Golden Quadrilateral which has the highest carrying capacity and highest used rail network, we can quickly eliminate all the Manned Level Crossings at the first phase. But ideally the country will have to proceed towards eliminating all the Manned Level Crossings.

In Tamil Nadu also, on specific level crossings where the traffic is very high, we are working with the State Government. For all Road Overbridges, the policy is that 50 per cent share is borne by the State and 50 per cent by the Centre. On under bridges, at the LC point, the Railways spend the entire money but we certainly have to prioritise where the demand of the passenger

traffic, of the trucks or freight or the vehicles is highest; they have to be given priority. After all, the total cost of a project for eliminating 21000 Manned Level Crossings would run into a few lakh crores of rupees. So, it is obvious that it will take a few years and we will work in a graded manner.

12.01hrs

NOMINATION TO PANEL OF CHAIRPERSONS

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 9 के अंतर्गत मैंने श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन को सभापति तालिका के सदस्य के रूप में नामित किया है।

माननीय अध्यक्ष : मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं, तथापि इनके लिए आज की कार्यवाही में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इन मामलों को अन्य अवसरों पर उठाया जा सकता है। इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

12.02 hrs**PAPERS LAID ON THE TABLE**

माननीय अध्यक्ष : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएँगे ।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): मैं संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का 68वां वार्षिक प्रतिवेदन।
- (2) प्रतिवेदन के अध्याय 9 में उल्लिखित मामलों में संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह स्वीकार नहीं किए जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 101/17/19]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
(SHRI V. MURALEEDHARAN):** Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council for Cultural Relations, New Delhi, for the year 2017-2018.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Council for Cultural Relations, New Delhi, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council for Cultural Relations, New Delhi, for the year 2017-2018.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 102/17/19]

12.03 hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:

“In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 1st July, 2019 considered and agreed without any amendment to the Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2019 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 28th June, 2019.”

12.04 hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

2nd Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND
MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, I beg to present the
Second Report of the Business Advisory Committee.

12.04 ½ hrs

ELECTIONS TO COMMITTEES

- (i) **All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) at Bhopal, Bhubaneshwar, Jodhpur, Kalyani, Mangalagiri, Nagpur, Patna, Raebareli, Raipur and Rishikesh**

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): I beg to move the following:-

“That in pursuance of Section 4(g) of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) Act, 1956 read with Section 6 of the AIIMS (Amendment) Act, 2012, the members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to each of the ten All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) at Bhopal, Bhubaneshwar, Jodhpur, Kalyani, Mangalagiri, Nagpur, Patna, Raebareli, Raipur and Rishikesh, subject to the other provisions of the said Act.”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 के साथ पठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) अधिनियम, 1956 की धारा 4 (छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, कल्याणी, मंगलागिरी, नागपुर, पटना, रायबरेली, रायपुर और ऋषिकेश स्थित दस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), में से प्रत्येक के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(ii) **Agricultural and Processed Food Products Export
Development Authority (APEDA)**

THE MINISTER OF RAILWAYS AND MINISTER OF COMMERCE AND
INDUSTRY (SHRI PIYUSH GOYAL): I beg to move the following: -

“That in pursuance of clause (d) of sub-section (4) of Section 4 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) Act, 1985 read with rule 3 of APEDA rules 1986, the members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) subject to the other provisions of the said Act and rules made thereunder.”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1986 के नियम 3 के साथ पठित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) अधिनियम, 1985 की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्याधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.06 hrs

NEW DELHI INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE BILL, 2019*

**THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF COMMUNICATIONS
AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY**

(SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Hon. Speaker, Sir, with your permission, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment and incorporation of the New Delhi International Arbitration Centre for the purpose of creating an independent and autonomous regime for institutionalised arbitration and for acquisition and transfer of undertakings of the International Centre for Alternative Dispute Resolution and to vest such undertakings in the New Delhi International Arbitration Centre for the better management of arbitration so as to make it a hub for institutional arbitration and to declare the New Delhi International Arbitration Centre to be an institution of national importance and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. SPEAKER: Motion moved:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment and incorporation of the New Delhi International Arbitration Centre for the purpose of creating an independent and autonomous regime for institutionalised arbitration and for acquisition and transfer of undertakings of the International Centre for Alternative Dispute Resolution and to vest such undertakings in the New Delhi International Arbitration Centre for the better management of arbitration so as to make it a hub for institutional arbitration and to declare the New

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 3.07.2019.

Delhi International Arbitration Centre to be an institution of national importance and for matters connected therewith or incidental thereto.”

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Hon. Speaker Sir, I do appreciate the intention of the hon. Minister to set up the New Delhi International Arbitration Centre to encourage arbitration in India, but I am afraid I have to object the introduction of this version of the Bill because of three reasons.

Firstly, we need an autonomous arbitration centre which is independent of the Government, especially since arbitration involving PSUs is a common feature in our country. The Bill vests the powers of direction and control with the Central Government in relation to the arbitration centre. Therefore, the hon. Minister must remove these powers from his general superintendence powers; otherwise, independence will not be there and it will not be seen as an arbitration centre.

Secondly, the Bill specifies that every rule made under it, shall be placed before Parliament. Now we have to give enough elbow room to the Centre to change its arbitration rules for administering disputes. But the fact is that the world is changing in the field of arbitration. The Singapore Centre for International Arbitration has amended its rules multiple times since 2010 and is actually receiving many cases that should come to India. Its proceeds are only

burdensome to put this before the Central Government. I would like to request that this also has to be looked at again.

Thirdly, the relationship between the Centre and the parties are contractual in nature. Thus, the Centre must be held accountable and should work in a transparent manner. The limitation of liability of the Centre under this law is too broad and it will fail the purpose of achieving an arbitration law rather than adopting a wide exception such as good faith. The Bill should adopt a more acceptable standard for the question of the Centre's liability. The transparency standards also need to be increased. Of course, the Centre is deemed to be under the ambit of the RTI Act which is also a challenge that the hon. Minister appears to have overlooked.

So, Sir, let me request you, we do need a robust International Arbitration Centre that can make India the hub of arbitration. Right now, many Indian cases are going to Singapore because we are not doing it. Therefore, if the hon. Minister would withdraw this Bill and think of these objections and come back with a Bill that can truly meet international standards, he could introduce that.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Hon. Speaker, Sir, I am little amused by the observation of the hon. Member. On the one hand, he is supportive of the idea that India must develop as a hub of domestic and international arbitration, but on the other hand, he comes with a 'however'.

This Bill has been enacted pursuant to a recommendation of a Committee headed by Justice Srikrishna consisting of many eminent Jurists. The Body which we are supposed to take over by this Bill has done only 55 arbitrations in 25 years. Who will man this Body? It will either be a retired Supreme Court Judge, or a retired High Court Chief Justice, or by eminent people in the field of arbitration.

Hon. Member, let me tell you very clearly and categorically that we are keen as a Government that India must emerge as a big hub of arbitration. I think, after introduction when we debate the Bill you will have ample opportunity to raise queries and I will have some time to respond to your queries. This Bill is very clear.

Lastly, I must say that we are sitting here to run the country with the mandate of the people of India. Here something is said where Government of India cannot even give gentle directions to a Body for a right cause -- I fail to understand this. Do not belittle the mandate of the people of India and the responsibility which dawns upon us on that side and this side. That is all I have to say.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि सांस्थानिक माध्यस्थम् के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त व्यवस्था का सृजन करने के लिए नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र की स्थापना तथा उसका निगमन करने और अंतर्राष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केन्द्र के उपक्रमों के अर्जन और अंतरण के लिए तथा माध्यस्थम् के बेहतर प्रबंधन के लिए उपक्रमों को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र में निहित करने के प्रयोजनों के लिए

जिससे नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र को संस्थागत माध्यस्थम् का केन्द्र बनाया जा सके और उसे एक राष्ट्रीय महत्ता की संस्था घोषित करने के लिए तथा उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए । ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I introduce* the Bill.

* Introduced with the recommendation of the President.

12.11 hrs

**STATEMENT RE: NEW DELHI INTERNATIONAL
ARBITRATION CENTRE ORDINANCE , 2019***

**THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE; MINISTER OF COMMUNICATIONS
AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY
(SHRI RAVI SHANKAR PRASAD):** I beg to lay on the Table an explanatory
statement (Hindi and English versions) showing reasons for immediate
legislation by promulgation of the New Delhi International Arbitration Centre
Ordinance, 2019 (No. 10 of 2019).

* Laid on the Table and also placed in Library See No. LT 103/17/19.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, yesterday in Zero Hour, an hon. Member, Shrimati Locket Chatterjee, mentioned about cut money which is a type of bribery....(*Interruptions*) It is said that it will be 25 per cent with the party workers and 75 per cent of cut money is kept with the ... (*Not recorded*)

Sir, if any such wild allegation is raised in the West Bengal Legislative Assembly against the Prime Minister and if it is not expunged, it will not look good. ...* (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने जो बताया है, मैं सारी प्रोसीडिंग्स को देखकर व्यवस्था दे दूंगा।

...(व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: Our Chief Minister is one of the honest and best Chief Ministers of the country. Sir, law and order situation also cannot be discussed on the floor of the House. If it is allowed, then Uttar Pradesh and Bihar situation should also be discussed on the floor of the House. ...(*Interruptions*)

So, I believe that it should be expunged from the proceedings of the House and it should not be kept in the proceedings of the House....(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर ऐसा कोई भी असंसदीय, आपत्तिजनक विषय होगा तो उसकी प्रोसीडिंग्स देखकर मैं आपको इसका उत्तर दूंगा।

...(व्यवधान)

* Not recorded

माननीय अध्यक्ष : श्री पल्लब लोचन दास ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बात न करें ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : केवल श्री पल्लब लोचन दास की बात रिकॉर्ड में जाएगी ।

...(व्यवधान)... *

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह बंगाल विधान सभा नहीं है । कृपया बैठ जाइए ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पल्लब लोचन दास की बात के अलावा और कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ हैं । आप बैठ जाइए ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री पल्लब लोचन दास ।

...(व्यवधान)

श्री पल्लब लोचन दास (तेजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसे बंगाल विधान सभा मत बनाओ ।

...(व्यवधान)

* Not recorded.

श्री पल्लब लोचन दास: माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया है। हर बच्चे को एजुकेशन देना सरकार का पहला दायित्व होता है। अभी असम में एक ऐसी भी जगह है, हम लोगों ने प्रिन्सली स्टेट्स को तोड़कर एक भारत बनाया, लेकिन उसी टाइम में हम लोगों ने टी स्टेट को स्टेट बनाकर रखा।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप आपस में बात न करें। हमारे नए माननीय सदस्य कितनी बढ़िया बात बोल रहे हैं, कृपया आप इसे सुनें। इन्हें एप्रिशिएट करना चाहिए।

श्री पल्लब लोचन दास: सर, स्टेट को हम लोगों ने टी स्टेट बनाकर रखा, स्टेट विदिन द स्टेट। स्टेट के जो रूल्स होते हैं, वे रूल्स विदिन द टी स्टेट फॉलो नहीं होता है। बंगाल तथा असम के टी गार्डेन में जितने भी वर्कर्स हैं, एक तो वे इंडस्ट्रियल वर्कर हैं और दूसरा, वे इस देश के नागरिक हैं। देश के नागरिक के हिसाब से उनको जो भी सुविधा मिलनी चाहिए थी, वह सुविधा उनको नहीं मिल रही है। अभी स्कूल में जो प्लैन्टेशन लेबर एक्ट बनाया गया, इसमें लिखा गया कि उनके लिए वहां पर प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था है, लेकिन अपर प्राइमरी तथा सेकेन्डरी एजुकेशन की लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

महोदय, इसके लिए मैंने कल भी बोला था कि प्लैन्टेशन लेबर एक्ट को अमेन्ड करना चाहिए। राइट टू एजुकेशन के थ्रू वहां पर सेकेन्डरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल, रेजिडेन्शियल स्कूल तथा कॉलेज या बड़ा स्कूल बनाया चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूँ।

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): Sir, I would like to raise a matter regarding the Indian citizens, stranded in a conflict between foreign workers near Tengiz Oil Field, Kazakhstan. Over 150 Indians, including the workers from Kerala, got trapped after a brawl erupted between a large group of foreign and local employees at the major oil and gas project in Western Kazakhstan.

Sir, we do not know as to what happened to our friends in Kazakhstan. The Ministry of External Affairs told that diplomatic discussions are going on.

But we do not know as to what the present situation is. So, I urge upon the Central Government to intervene in this matter and save the Indians in Kazakhstan. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन को श्री के. मुरलीधरन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मुम्बई में दो ईएसआईसी के अस्पताल हैं। कामगारों की पगार के पैसे में से कुछ राशि ली जाती है, जो उनको मेडिकल सुविधा प्रदान करने के लिए होती है। एक अस्पताल में पिछले साल आग लग गई थी, जिसमें 14 लोगों की मृत्यु हो गई और वह अस्पताल आज तक बंद पड़ा है। दूसरा अस्पताल 300 बेड्स का है, लेकिन सौ बेड्स से ज्यादा उसकी ऑक्यूपेन्सी नहीं रहती है। वह काफी जर्जर अवस्था में है। कामगार कल्याण केन्द्र योजना के माध्यम से केन्द्र सरकार कामगारों के कल्याण के लिए उनकी पगार से पैसे काटती है। मुम्बई में पिछले दिनों भारी बारिश के चलते एक दीवार गिरने से कई मजदूरों की मौत हो गई। भारी बारिश के चलते कामगारों के स्वास्थ्य के लिए इन दोनों अस्पतालों में सुविधाएं देना आवश्यक है। एक अस्पताल बंद पड़ा है और दूसरा काफी जर्जर अवस्था में है, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। कर्मचारियों के निवास स्थान की हालत भी काफी जर्जर है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि इन दोनों अस्पतालों में से एक को शुरू किया जाए और दूसरे में आरोग्य की सुविधाएं बढ़ाई जाएं।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री मनोज कोटक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सत्यदेव पचौरी (कानपुर):माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे संसदीय क्षेत्र कानपुर महानगर में बहुत पुरानी बीआईसी की लाल इमली मिल है, जो वर्ष 2013 से बंद चल रही

है। उसमें अभी भी 600 कर्मचारी चौकीदार के रूप में अन्य पदों पर कार्यरत हैं और दो वर्षों से उनके वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि वे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, जब दो वर्षों से उनके वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है, तो उनके परिवार की क्या स्थिति होगी? उनके बच्चे बीमार हैं, वे स्कूल जा नहीं सकते, उनका घर भूखमरी के कगार पर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान उन कर्मचारियों के बकाया भुगतान की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ और शीघ्रातिशीघ्र उन कर्मचारियों का भुगतान किया जाए। जो मिल वर्ष 2013 में बंद हो गई है, उस मिल के बंद होने के बारे में भी निर्णय किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री सत्यदेव पचौरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

12.20 hrs

SUBMISSION BY MEMBER

**Re: Alleged derogatory remarks made by Puducherry
Lt. Governor against Tamils**

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Mr. Speaker, Sir, with a heavy heart I would like to draw the attention of this august House and especially the present-day Government to the nauseating remarks made by the so-called ...* of Puducherry. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उन पर सदन में टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप लिखित में दे दें।

...(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU : Sir, these remarks insult the 10-crore people of Tamil Nadu who have got a rich heritage and culture. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उन पर सदन में टिप्पणी नहीं कर सकते। आप लिखकर दीजिए।

श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर।

...(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU: Sir, I have given a notice for an Adjournment Motion on the same issue. ...(*Interruptions*)

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। नियम-प्रक्रिया के अंदर है कि जो संवैधानिक पद पर हैं, उनके ऊपर सदन में टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए। आप हमेशा उठते हैं।

...(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU : Sir, please give me 15 seconds. ...(*Interruptions*) What is stated by the ...* of Puducherry is not true. ...(*Interruptions*) Sir, I will quote the remarks of the ...* of Puducherry made on her Twitter account on 30th June, 2019. Then, you can understand the seriousness of the language. I quote:

“Poor governance, corrupt politics, all the people who have been elected from Tamil Nadu by the people of Tamil Nadu are corrupt politicians, indifferent bureaucracy, highly selfish and cowardly attitude of the people.” ...(*Interruptions*)

Sir, these remarks are very serious. The Government should give an answer to this issue. ...(*Interruptions*) The Leader of the House is here. The Government should give an answer to this issue right now. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य। मैंने व्यवस्था दे दी है। उस व्यवस्था में कायम रहें।

...(व्यवधान)

* Not recorded.

12.22 hrs

(At this stage, Shri T.R. Baalu, Shri B. Manickam Tagore and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति हैं, उनके बारे में टिप्पणी नहीं कही जा सकती।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: This is no way.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको कहने का मौका दे दिया। अब प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर। मोहन देलकर जी की बात के अलावा कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)... *

श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली): अध्यक्ष महोदय, सारे केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक व्यवस्था की गम्भीर समस्या है। वहां पर विधान सभा न होने की वजह से वहां पर जिला पंचायत है, जिला परिषद है, नगर परिषद है। भारत सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जब पंचायत राज इंस्टीट्यूशन बना, पंचायती राज कानून बना, तब यह निर्णय हुआ था कि सारे केन्द्र शासित प्रदेशों को जितनी भी उनकी जिला पंचायत हैं, नगर परिषद हैं, उनको सारे अधिकार दिए जाएं। यह फैसला भारत सरकार की तरफ से हुआ था। इस फैसले के तहत 30 विभाग जिला पंचायत और नगर परिषद को यह निर्देश देते हुए दिए गए थे कि उनका फंड, उनकी फंक्शनरी, उनका स्टाफ, उनका कंट्रोल सारा का सारा जिला पंचायत और नगर परिषद को देना चाहिए।

* Not recorded.

लेकिन सर, वहां पर इसका अमलीकरण नहीं हुआ। इसके बाद, भारत सरकार ने और खास कर गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया था और लिखित में ये निर्देश दिए थे कि 30 विभागों के अधिकार जिला पंचायत, जिला परिषद और नगर परिषद को तुरन्त दिए जाएं और इस पर अमल किया जाए। सर, आज स्थिति ऐसी है कि ये विभाग के सारे अधिकार जिला पंचायत को न देने की वजह से वहां पर हमारी जितनी भी भारत सरकार की लोकप्रिय कल्याणकारी योजनाएं हैं, वे सारी प्रभावित हुईं। ...(व्यवधान)

इससे लोगों का नुकसान हुआ है। ...(व्यवधान) सारी सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंचती है, इससे लोग परेशान हैं। मैं भारत सरकार से विनती करता हूं कि वर्ष 2001 में गृह मंत्रालय ने जो निर्देश दिया था, जिसमें सारा कंट्रोल और अधिकार जिला परिषद और नगरपालिका परिषद को देना चाहिए, उस निर्देश का तुरंत पालन करे। ...(व्यवधान) इस पर भारत सरकार सरकार और गृह मंत्रालय गंभीरता से सोचे। दोबारा यह निर्देश जारी करे ताकि जो निर्देश जारी हुए, उन पर अमल सही तरीके से हो। जितनी भी लोकप्रिय योजनाएं हैं, वह अच्छी तरह से लागू हों, ...(व्यवधान) कर्मचारियों के ऊपर पूरा कंट्रोल जिला परिषद का हो, यह नियम बनाया जाए, यह निर्देश दिया जाए। मैं इसके लिए भारत सरकार से विनती करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बालू जी, आप नियम के अंतर्गत नोटिस दीजिए, मैं उस पर विचार करूंगा।

...(व्यवधान)

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष महोदय, 1947 में देश के आजाद होने के बाद देश ने संघीय ढांचा या फेडरल स्ट्रक्चर के कन्सेप्ट को स्वीकारा। लेकिन कुछ राज्य सरकारें इसका गलत उपयोग करती हैं। ...(व्यवधान) देश के प्रधान मंत्री लोगों को पानी देना चाहते हैं, बिजली देना चाहते हैं, सड़क देना चाहते हैं, मकान देना चाहते हैं। आयुष्मान योजना के अंतर्गत पांच लाख रुपये सालाना लोगों को देना चाहते हैं। ...(व्यवधान) वह शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं लेकिन कुछ राज्य सरकारें इसका दुरुपयोग करती हैं और केन्द्र सरकार के आदेश को नहीं

मानते हैं।... (व्यवधान) मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह ऐसी व्यवस्था करें कि देश की सभी राज्य सरकारें संघात्मक सरकार की विकास संबंधी जनकल्याणकारी योजनाओं के सुझाव एवं निर्देश का तुरंत कड़ाई से अनुपालन करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, डॉ. मनोज राजोरिया और डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री गोपाल शेटी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): I would like to bring the facts on record. ... (Interruptions). As per Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: केवल संसदीय कार्य मंत्री जी का वक्तव्य रिकार्ड पर जाएगा।

... (व्यवधान)

SHRI PRALHAD JOSHI: Rule 352(v) says:

“A Member while speaking shall not reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms.”

अभी तो मोशन नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है, इसे जीरो ऑवर में ... (व्यवधान) They have not moved the Motion. During *Zero Hour*, they cannot discuss either the statement or behaviour of the Government in any manner. ... (Interruptions). So, I appeal to them - let them give notice of the Motion and Government will consider that. ... (Interruptions)

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय, मुझे किशनगंज से लोगों ने चुन कर भेजा है। मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि वहाँ से लाखों की तादाद में लोग जॉब ऑपर्युनिटी नहीं होने के कारण हिन्दुस्तान के अलग-अलग हिस्सों में जाकर इन-ह्यूमन कंडीशंस में काम कर रहे हैं।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से अपील है कि किशनगंज में इंडस्ट्रीज खुलनी चाहिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खुलनी चाहिए, स्कूल और कॉलेज उपलब्ध कराने चाहिए।

सबसे अफसोस की बात यह है कि वर्ष 2013-14 में यूपीए सरकार ने वहां एएमयू की शाखा खोलने का निर्णय लिया। उस वक्त की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उसके लिए 137 करोड़ रुपये एलोकेट किए, लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले पांच सालों में सिर्फ दस करोड़ रुपया दिए गए हैं। मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि किशनगंज की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। वहां पर फैक्ट्री और स्कूल-कॉलेज की सुविधा होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: हम सदन में पहली बार चुनी गई महिला सदस्यों को बोलने का मौका दे रहे हैं। आप सदन में व्यवधान डाल रहे हैं, यह उचित नहीं है।

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी (कोडरमा): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र कोडरमा के दो राष्ट्रीय राजमार्गों की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और 31 पर यातायात बहुत ज्यादा है। दोनों ही राष्ट्रीय राजमार्गों के सौ किलोमीटर के अंदर कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है।

मैं सदन के माध्यम से मांग करना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग-2 बगोदर के पास ट्रॉमा सेंटर खोला जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग-31 के पास कोडरमा घाटी है, जो झारखंड और बिहार दो राज्यों को जोड़ती है। यहां आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और इलाज के अभाव में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को काफी परेशानी होती है। ...(व्यवधान) मेरी मांग है कि इन दोनों जगह पर ट्रॉमा सेंटर खोले जाएं।

एनएच-31 पर कोडरमा में कर्मा मेडिकल अस्पताल का शिलान्यास माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया है। मेरी मांग है कि इसका निर्माण भी जल्द से जल्द हो। धन्यवाद।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अगर आप अपनी सीट पर जाएंगे तो मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से जवाब देने के लिए कहूंगा।

...(व्यवधान)

12.31 hrs

(At this stage, Shri T.R Baalu, Shri S.S. Palanimanickam, Shri Bhagwant Mann and some other hon. Members went back to their seats.)

माननीय अध्यक्ष: जब माननीय रक्षा मंत्री जी बोलें तब सदन में अपनी सीट से कोई टिप्पणी नहीं करेगा, जब मैं अलाऊ करूंगा तभी बोलेंगे।

माननीय रक्षा मंत्री जी।

...(व्यवधान)

रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): माननीय अध्यक्ष जी, मैं 'Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha' के रूल 352 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): What about the conduct of ... *

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: माननीय रक्षा मंत्री जी की बात के अलावा किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान)... *

श्री राजनाथ सिंह: इसमें साफ लिखा हुआ है। Rule 352(v) says:

“A Member while speaking shall not -

“reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms; ”

एक्सपलेन करते हुए इसमें कहा गया है -

* Not recorded.

“Explanation:- The words 'persons in high authority' mean persons whose conduct can only be discussed on a substantive motion drawn in proper terms under the Constitution or such other persons whose conduct, in the opinion of the Speaker, should be discussed on a substantive motion drawn up in terms approved by the Speaker; ”

मैं कहना चाहता हूँ कि यदि ये गवर्नर के कंडक्ट पर चर्चा करना चाहते हैं तो इनके द्वारा एक सब्सटेंटिव मोशन मूव किया जाए, इस पर चर्चा हो सकती है ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप नोटिस दे दें, इस पर चर्चा करेंगे ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नोटिस देने के बाद मैं व्यवस्था दूंगा ।

...(व्यवधान)

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मेरा संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती स्वास्थ्य व मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में अति पिछड़ा है। इस क्षेत्र की गरीब जनता के इलाज के लिए दूर-दूर तक व आसपास के किसी जिले में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और प्राइवेट अस्पताल वाले मनमाने तरीके से पैसा वसूल करते हैं। उन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इस क्षेत्र की गरीब जनता को अपना इलाज कराने के लिए लखनऊ व दिल्ली जाना पड़ता है। यहां के लोगों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है व उचित शिक्षा का अभाव है, इस कारण यहां के लोग लखनऊ व दिल्ली जाने में असमर्थ होते हैं। यहां जो लोग हिम्मत करके आते हैं, उनमें से बहुत लोगों की मौत दूरी होने के कारण आधे रास्ते में ही हो जाती है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए ताकि यहां की गरीब जनता को कम खर्च में समय पर इलाज मिल सके और गंभीर बीमारियों को रोका जा सके। धन्यवाद।

श्री बालक नाथ (अलवर): माननीय अध्यक्ष जी, 17 तारीख से सदन में सभी राज्यों के माननीय सांसदों की एक बड़ी मांग की जा रही है, चाहे राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो और यूपी के बहुत से इलाके हैं, जहां पीने के पानी का अभाव है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि अलवर में जहां भी पानी का संकट है इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी योजना लाएं। मेनिफेस्टो में माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि आने वाले पांच वर्षों में हर घर तक पाइप लाइन के द्वारा पानी आएगा। उसको जल्द से जल्द हर जिले के अंदर, हर घर के अंदर, हर गांव के अंदर पानी की सुविधा सुनिश्चित हो, शुद्ध जल मिले। इसके साथ-साथ मैं अपनी सरकार से यह भी आग्रह करता हूं कि सब्सिडी की एक ऐसी योजना लाकर, जो घर आज बने हुए हैं या नए बनने वाले हैं, उनमें वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा जब बरसात का पानी बरसता है, उनको सब्सिडी देकर ऐसा टैंक निर्माण करने की सुविधा दी जाए,

जिससे वे अपने घरों में पीने का पानी संरक्षित कर पाएं और उसको इकट्ठा कर पीने के उपयोग में लाएं। मैं अपनी सरकार से पुनः यही आग्रह करता हूँ कि अलवर और पूरे राजस्थान के 13 जिलों में यह सुविधा प्रदान करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: सभी माननीय सदस्यों को इसे अपने-अपने इलाके में करना चाहिए।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, डॉ. मनोज राजोरिया, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री रामचरण बोहरा और श्री सी.पी. जोशी को श्री बालक नाथ द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए।

श्री सुब्रत पाठक (कन्नौज): धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरे जैसे प्रथम बार चुनकर आने वाले सदस्यों को बोलने का अवसर प्रदान किया गया है।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा सांकेतिक जल संरक्षण के वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र कन्नौज में आलू की खेती के तुरंत बाद मक्के की खेती बड़े पैमाने पर किसानों द्वारा की जाती है। मक्के की खेती प्रचंड गर्मी के मौसम में होने के कारण उसकी सिंचाई में पड़े पैमाने पर भूगर्भ जल का दोहन हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप जलस्तर दिन-प्रतिदिन नीचे जा रहा है। भविष्य में सामान्य जनमानस के समक्ष शुद्ध पेयजल का भारी संकट आसन्न हो सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जनपद कन्नौज और आस-पास के इलाकों में मक्के की सिंचाई के लिए ड्रिप इरीगेशन की विशेष कार्य योजना तैयार कराकर पानी का बचाव करते हुए कम पानी में अच्छी पैदावार वाली फसल के उन्नतशील बीज की व्यवस्था तथा सिंचाई के लिए बरसात व प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ावा देने की कार्य योजना पर सरकार तत्काल विचार कर उसे अमल में लाए। इसके साथ ही आलू आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु सरकार की ओर से योजना बनाई जाए ताकि अधिक फसल होने पर भी आलू को फेंकने जैसी नौबत न

आए और हमारे अन्नदाता किसानों को वाजिब मूल्य मिल सके। दुनिया भर में कन्नौज की पहचान इत्र और अरोमा ऑयल से है। अतः कन्नौज में अरोमा यूनिवर्सिटी बनाने का प्रबंध हमारी सरकार गंभीरतापूर्वक करे। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, डॉ. मनोज राजोरिया और श्री मुकेश राजपूत को श्री सुब्रत पाठक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

***SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA):** Hon'ble Prime Minister of the country shri Narendra Modi ji has a dream for doubling the income of farmers by 2022. I congratulate our hon'ble Prime Minister and the NDA government for implementation of various programs to make our farmers progress economically. It shows that our government is Pro-farmer.

Areca nut is grown in 13 states of the country. Especially in Karnataka the crop is grown in 16 districts. However, areca nut growers are in great distress. Areca nut is considered auspicious and it is very much essential in all religious functions and ceremonies. In northern India areca nut is used for consumption by a large number of people. Areca nut grown in parts of Shimoga district in Karnataka is used to make Painting works and adhesive. So, it can be understood that areca nut is used by all sections of the people of the country.

However the growers of such an important crop are in a pathetic condition for three reasons. Firstly, the areca nut crop is affected by Fruit rot disease and Yellow leaf disease. Such diseases are causing huge drop in the yield of the crop. Therefore I urge upon the government through you to take steps to develop a proper pesticide to prevent the disease in a scientific way.

My second point is that there is rampant illegal trade of areca nut from neighbouring countries such as Bangladesh etc. Illegal import of areca nut is also causing loss to the national exchequer to the tune of Rs. 5000 crores due

* English translation of the speech originally delivered in Kannada.

to evasion of custom duty by illegal traders. There is a need to put an end to the illegal trade of areca nut. The security in the border States should be strengthened to prevent illegal import of areca nut.

My third point is that the Union Government should announce Support Price for areca nut and also a special package should be introduced to protect the interest of the areca nut growers in the country.

I urge upon the Union Government to take appropriate measures to protect our areca nut growers, who are adversely affected by heavy rains in the country especially in Karnataka. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका देंगे।

...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, Opposition members should also be given the opportunity to speak. There should not be any discrimination between the Ruling Party members and the Opposition party members.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य मैं अभी जीरो ऑवर की लिस्ट लॉटरी में निकली, उसको पूरा कर रहा हूँ। उसके बाद माननीय सदस्यों के निवेदन पर मैं उनको अलाउ करूंगा। आप उनको बोलने दीजिए, उनको डिस्टर्ब मत कीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ऐसा नहीं है। मैंने श्रीमती सोनिया गांधी जी को कल पूरा टाइम दिया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

एडवोकेट अजय भट्ट : आपने मुझे पहली बार सदन में बोलने का मौका दिया है। मैं नैनीताल-ऊधमसिंह नगर से चुनकर आया हूँ। मान्यवर, इसी सदन में वर्ष 1967 में यानी 52 साल पहले जमरानी बांध परियोजना का मामला उठा था, जो आज तक भी पूरा नहीं हो पाया है। वर्ष 1974 में इसकी विस्तृत परियोजना बनाई गई और योजना स्वीकृत भी हो गई। जमरानी बांध परियोजना की लागत उस समय 61.25 करोड़ थी इस परियोजना की तकनीकी भारत सरकार ने एवं प्रशासनिक स्वीकृति तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने दी, क्योंकि हम पहले उत्तर प्रदेश सरकार के साथ थे।

मान्यवर, उत्तरप्रदेश और हमारा लंबे समय तक एम.ओ.यू. नहीं हुआ था, लेकिन इस बार एम.ओ.यू. हो गया है, सारी स्वीकृतियां आ गई हैं। कुल 16 स्वीकृतियां हमने ले ली हैं और भाबर क्षेत्र, बरेली का गंगेटिक क्षेत्र, रामपुर क्षेत्र और तराई क्षेत्र के लिए यह योजना है। भाबर क्षेत्र के लोगों ने कहा है कि अगर ये योजना नहीं बनती है तो भाबर उजड़ जाएगा। हमारे पास उतना पैसा नहीं है। आज इसकी पूरी लागत 2584 करोड़ रुपये हो गई है इसलिए इसको नेशनल प्रोजेक्ट में लिया जाना अतिआवश्यक है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट में लेकर इसका तुरंत निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री अजय भट्ट द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री बंदी संजय कुमार (करीमनगर): महोदय, मुझे पहली बार इस सदन में आपने बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से तेलुगु में बात करना चाहता हूँ।

* Hon'ble Speaker Sir, suicides are committed in various regions for various reasons. But, in Telangana, due to ... ** negligence, 27 intermediate students committed suicide. An inexperienced company by the name 'Globerena', was awarded works pertaining to Intermediate Board, as a result 3 lakh students out of 9 lakh students failed in intermediate exams. A three member committee has submitted it's report and ... ** has expressed his displeasure on this development but Telangana... ** has neither responded on this issue nor consoled parents of those students. No action has been taken till date. ... ** personally consoles families of celebrities but he completely ignored families of 27 students who committed suicide. Therefore, an inquiry should be conducted in this incident and appropriate action should be taken by the Union Government.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अगर आप रीजनल लैंग्वेज में बोलें तो पहले नोटिस दे दें।

...(व्यवधान)

DR. T. R. PAARIVENDHAR (PERAMBALUR): Hon. Speaker, thank you very much for giving me an opportunity to speak during 'Zero Hour' on a matter relating to my constituency. I am also one amongst the first-time speakers; I am a first-time MP. I have been elected from Perambalur Parliamentary constituency. It is one of the backward constituencies where 70 per cent of the

* English translation of the speech originally delivered in Telugu.

** Not recorded.

people are engaged in agriculture. It is unfortunate that they cannot sell their produce anywhere except in the local areas, due to which we are unnecessarily encouraging middle men or brokers. So, the poor are becoming much poorer. Therefore, I would request the Government, through you, that we badly need a railway line which will connect four nearby districts. The produce of the farmers will be taken to those four nearby districts. Of course, they can sell their produce there at a better price, at a fair price and thereby they can improve their standard of living.

Secondly, there is no industry in my area, and so, there is no industry, so, there is no employment. When there is no employment, educated youths remain unemployed and they become restless.

Therefore, if these four places, namely, Ariyalur, Perambalur, Thuraiyur and Namakkal are linked by train, there will be a better development in my Constituency by which we can eradicate the problem of unemployment.

Further, I would also request the Minister to improve the standard of life of the farmers. This is very important. This proposal for the railway line is pending for the last 50 years. After 72 years of Independence of our country, this is the only area where people have not seen the Indian Railways. This is the situation there. At one point of time, there was a survey of land at the cost of Rs. 16.5 lakh. But nothing has happened. So, I urge the Government to take action in this respect.

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): अध्यक्ष जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि किसानों की समस्या पर सदन में एक व्यापक चर्चा कराने की अनुमति दें।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप लिखकर दे दीजिए ।

श्री अर्जुन लाल मीणा ।

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): महोदय, मैं राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र से आता हूँ ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य को इसलिए दूसरी बार बोलना पड़ रहा है, क्योंकि एक बार माननीय सदस्य रहने के बाद भी हम आपस में 542 सदस्यों को जानते नहीं हैं । मैं उनमें से एक हूँ । अब इस सदन में कोशिश करेंगे कि सभी 542 माननीय सदस्य आपस में परिवार को जानें, व्यक्तिगत रूप से जानें, इसकी एक व्यापक कार्ययोजना बनाएंगे । मैं भी उनमें से एक हूँ ।

श्री अर्जुन लाल मीणा : महोदय, दिल्ली से मुंबई, नेशनल हाइवे नम्बर-8 मेरे संसदीय क्षेत्र से गुजरता है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय और देश के प्रधान मंत्री जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जो नेशनल हाइवे नम्बर-8 उदयपुर से गुजरता है, उसे फोर लेन से सिक्स लेन बनाने के लिए मार्च, 2017 में स्वीकृत हुआ है । इसके लिए 1244.10 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है । सरकार ने इसके लिए आईआरबी कंपनी को ठेका दिया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस कंपनी ने ठेका लिया है, उसने छोटी कंपनियों को इस सबलेट कर दिया है । वहां रोड निर्माण का मलबा नदी-नालों को अवरुद्ध कर रहा है । उदयपुर के टीडी, बारापाल, काया, परसाद, पडूना, खैरवाड़ा आदि क्षेत्रों में काफी प्राकृतिक नाले और नदियां हैं, वे अवरुद्ध हो रही हैं । खैरवाड़ा, जो एक बड़ा कस्बा है, वहां वर्ष 2006 में जब अधिक बारिश हुई थी तो पूरे कस्बे की सड़कों पर पानी भरा होने की वजह से अवरुद्ध हो गया था । वहां ओवरब्रिज बनाने का भी प्रस्ताव एनएचएआई ने दे रखा है । आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वहां पर खम्भे वाला ओवरब्रिज बने । मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूँ । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं डॉ. मनोज राजोरिया को श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

श्री संजय सेठ (राँची): अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र राँची के चाण्डील (इचागढ़ विधानसभा) में आज से 35 साल पहले 'स्वर्णरेखा-पर्यूषी परियोजना - झारखण्ड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल' के तहत चांडिल डैम का निर्माण हुआ था। उसमें 14,000 परिवार विस्थापित हुए, लेकिन सिर्फ 1150 लोगों को ही नौकरी मिली और 2000 लोगों का सर्वे भी नहीं हुआ। वहां स्थिति इतनी दयनीय है कि डैम के विस्थापित लोग मजबूर हो गए हैं और वे खाने के लिए तरस रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि उसका पुनः सर्वे कराया जाए और नर्मदा जल नीति के तहत ही चांडिल डैम के विस्थापितों को भी न्याय मिले। वर्ष 2019 तक जो लोग 18 साल तक आयु वाले हो गए हैं, उनका भी नाम उस पुस्तिका में जोड़ा जाए। मगर अभी तक इस दिशा में कोई निर्णय नहीं हुआ है।

अध्यक्ष जी, मेरा विनम्र आग्रह है, मैं उनकी पीड़ा चुनाव के समय देखकर आया हूँ। मैं बताना चाहूंगा कि उस विधान सभा क्षेत्र में हमें लगभग 70,000 वोट्स की लीड मिली। मैंने लोगों को विश्वास दिलाया था कि मैं लोक सभा में इस प्रश्न को उठाऊंगा और विस्थापितों को न्याय दिलाऊंगा।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री संजय सेठ द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री प्रद्युत बोरदोलोई।

माननीय सदस्य आज दूसरी बार सदन में बोल रहे हैं। कल इन्होंने सदन में बोला है और आज भी बोल रहे हैं। यह नए सदस्य हैं।

SHRI PRADYUT BORDOLOI (NOWGONG): Sir, Assam is in the grip of floods again. Floods will probably subside in a few days or in a week or two but it will leave behind a trail of devastations. In Assam, what will stay on is the year-long phenomenon of river bank erosions. What is very regrettable is that the river bank erosion is not considered as a calamity. The undercurrents of Brahmaputra are so strong that they hit the river banks like torpedoes. Unless

the water is channelized, this is a problem. So, it should be mitigated and so also is erosion.

The recurring floods and erosion have caused a huge drainage on the precious resources of a small State like Assam, and that is why, this should be the responsibility of the Government of India. I would like to urge, through you, Sir, the Jal Shakti Ministry that it should treat the water management in a holistic manner. It should also include the riparian countries like China, Bhutan, Bangladesh on the one hand, and on the other hand, the riparian North-Eastern States like Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Manipur besides Assam. There should be a River Valley Authority and it should manage the water resources.

Sir, through you, I want to make one request that this should be the responsibility of the Government of India. I want to tell you that at a time when the rest of the country is reeling under water crisis, we could put up water refineries in Assam; we could construct pipelines; and we could give minimal *swachh pure paani*, *Manasarovar's paani*, to the rest of the country. My request to the Government of India, through you, is that they should look after us and we will, in turn, take care of the rest. Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष : बहुत अच्छा सुझाव है।

श्री गौरव गोगोई और श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री प्रद्युत बोरदोलोई द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI PRASUN BANERJEE (HOWRAH): Thank you, Sir, for giving me time to speak on an important issue.

I am elected from Howrah Parliamentary constituency, West Bengal. Sir, through you, I draw the kind attention of the Railway Minister. In spite of several attempts, the South-Eastern Railway authorities did not provide under-passes at three highly busy railway crossings, namely (i) Baksara Gate level crossing No. LC 06, (ii) Jana Gate level crossing No. S/S 01 and (iii) Batore Gate level crossing No. S/S 02, which is much more important and which is situated at the heavy and busy traffic track on the mainline.

Sir, as the entire Baksara area is highly populated, through you, I am demanding the Railways to provide suitable alternatives at these level crossings so as to get rid of the daily pain of the public from wastage of time in going to their schools, colleges and offices. It is not out of place to mention that on several occasions, the patients died in the ambulance while waiting for the gate to open.

Sir, my request, through you, to our Railway Minister is that steps may be taken as quickly as possible to construct these under-passes.

माननीय अध्यक्ष : कई माननीय सदस्य बोलने के लिए हाथ उठा रहे हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ, मैं सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दूंगा, लेकिन मेरा इस बार प्रयास है कि 46 नई महिला सदस्य चुन कर आई हैं। इसी सत्र में पहली बार चुन कर आने वाली सभी महिला सदस्यों को इस सदन में बोलने का मौका मिले, उसके बाद मैं पुराने माननीय सदस्यों को बालने का मौका दूंगा। हमारे सदन के नेता, माननीय प्रधान मंत्री जी और सोनिया गांधी जी की भी

यही इच्छा होगी कि पहली बार चुन कर जो माननीय महिला सदस्य आई हैं, उन सभी को बोलने का मौका मिले।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): 78 महिला सदस्य चुनकर आई हैं, उनमें से 46 नई हैं।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती रंजीता कोली। माननीय पहली बार चुन कर आई सदस्य हैं।

श्रीमती रंजीता कोली (भरतपुर): अध्यक्ष जी, आपने मुझे सदन में पहली बार बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे लोक सभा क्षेत्र भरतपुर में पेयजल व सिंचाई की उपलब्धता की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। पानी की परेशानी दूर करने हेतु यमुना जल समझौता किया गया, जो गुड़गांव केनाल भरतपुर फीडर के माध्यम से भरतपुर जिले को मिलना था, लेकिन राजस्थान की सीमा पर उस समझौते के अनुसार पानी नहीं पहुंच पा रहा है। मैं जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस योजना के माध्यम से मेरे लोक सभा क्षेत्र भरतपुर में पानी उपलब्ध कराया जाए।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती रंजीता कोली द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती केसरी देवी पटेल (फूलपुर): अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे सदन में अपनी बात कहने की स्वीकृति प्रदान की। मैं जनपद प्रयागराज क्षेत्र के फूलपुर लोक सभा सीट से सांसद निर्वाचित होकर आई हूँ। प्रयागराज का पौराणिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक और राजनीतिक इतिहास रहा है। प्रयागराज की महिमा और ख्याति देश ही नहीं, पूरे विश्व में किसी से छिपी नहीं है। मैं बहुत-बहुत बधाई और आभार प्रकट करती हूँ देश के प्रधान मंत्री आदरणीय श्री मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी जी का, जिन्होंने प्रयागराज की महिमा और ख्याति को महाकुम्भ के माध्यम से चार चांद लगाने का काम किया है। आपने सिर्फ नाम ही नहीं बदला है, बल्कि पूरे जनपद का कायाकल्प कर दिया है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आबादी वाला शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां बहुत संख्या में नौजवान हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन के द्वारा किए गए सर्वे की ओर आकर्षित कराना चाहती हूँ, जिसमें जनपद प्रयागराज में बेरोजगारी की दर सर्वाधिक 8.9 प्रतिशत बताई है, जो बहुत चिंता का विषय है। कुल 45 शहरों का सर्वे हुआ था। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए जनपद प्रयागराज में नए उद्योगों की स्थापना की जाए और जो उद्योग बंद पड़े हुए हैं, उन्हें चालू कराया जाए तथा डिफेंस कॉरिडोर, जिसकी घोषणा केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है, उसका विस्तार करके उसमें जनपद प्रयागराज को भी संबद्ध किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती केसरी देवी पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती गीताबेन वी. राठवा (छोटा उदयपुर): अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं पहली बार लोक सभा चुनाव में चुनकर आई हूँ। मैं अपने संसदीय क्षेत्र छोटा उदयपुर से संबंधित कुछ समस्याओं को आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहती हूँ। वड़ोदरा, डभाई, छुछापुरा और तनखला रेलवे की छोटी लाइन पहले चालू थी, लेकिन कुछ सालों से बंद है। यहां बड़ी लाइन डाली जाए। यहां जमीन का प्रश्न नहीं है। मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि यहां से 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' की दूरी मात्र 10 से 12 किलोमीटर है। इसे भी रेलवे लाइन से जोड़ा जाए, तो पर्यटकों को बहुत खुशी मिलेगी।

महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि हमारे क्षेत्र में बहुत बड़े पर्यटन स्थल पावागढ़ को माननीय मोदी जी ने पर्यटन स्थल का दर्जा दिया है। मैं मोदी जी का आभार मानती हूँ। वहां वड़ोदरा, हालौल, पावागढ़, शिवराजपुर और पावीजैतपुर को रेलवे से जोड़ा जाए, तो पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। वहां पुरानी लाइन तो है, लेकिन नवीनीकरण करने का काम बाकी है। अतः मेरा आपके माध्यम से मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े कार्यों को शीघ्र से शीघ्र कराने का निवेदन है, ताकि क्षेत्र की जनता को लाभ मिले।

मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व एवं राज्य नेतृत्व, जिन्होंने मुझे सेवा करने के लिए बड़ा प्लेटफार्म दिया, के प्रति आभारी हूँ। मैं अपने मतदाताओं के प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे जिताया और मुझे सेवा करने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती गीताबेन वी. राठवा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM): Hon. Speaker, Sir, I am thankful to you for allowing me to give my maiden speech. I am a first-time elected representative to this august House.

I am also thankful to the Leader of my Party and the hon. Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Y.S. Jaganmohan Reddy for deeming me very good worthy of this gathering.

Sir, I represent the aspirations of more than 22 lakh people of which nearly 14.5 lakh are electorates of Amalapuram constituency. Our people have been longing for a railway line since Independence. However, it has remained a distant dream even till date. Everyday our people traverse nearly 100 kilometres to Rajahmundry and 250 kilometres to Vijayawada and face numerous troubles to reach the railway line. It is due to lack of railway line that development activities like transport, trading, employment and tourism are on hold.

Here, I would like to state that our State being the largest producer of coconut, equal to Kerala, we lack railway transport facilities. So, there is an urgent need of a railway line.

13.00 hrs

Sir, though the previous Government under Shri Narendra Modiji had sanctioned one bridge over Gautami River, one of the tributaries of the Godavari, the work has not yet started and our dream remains far from fulfilment. While we desperately need two more railway bridges immediately, to connect Kakinada with Narsapuram, over the Vainateya and the Vasishta, both being two other major tributaries of the Godavari, but unfortunately, the alignments have been changed more than three times so far, and the process of land acquisition has not even begun.

The majority of people who reside in these areas are Dalits, and the others belong to backward classes and economically poorer sections of the society. They have been living there since generations with same small and micro landholdings, but with deep emotional attachments. Therefore, the compensation has to be not only just and fair but also commensurate with the pain of their emotional detachment as well.

Sir, I appeal to the hon. Finance Minister and the hon. Railway Minister, through you, to expedite the matter and complete the sanction process in this Budget Session itself, and the land acquisition should also be completed at the earliest.

SHRIMATI MALA ROY (KOLKATA DAKSHIN): Hon. Speaker, Sir, as we all know, Kolkata Metro started its operations in 1984 and is India's oldest metro service. During this period of time, we have experienced many suicides and suicidal attempts in the Metro. A large portion of the Kolkata Metro runs

through the parliamentary constituencies of Kolkata Dakshin, Kolkata Uttar and Jadavpur. So, I would like to request the hon. Minister to look into this matter very seriously and take immediate steps to introduce platform screen doors at all the Kolkata Metro stations to enhance the safety and security of the people.

Thank you.

KUMARI GODDETI MADHAVI (ARAKU): Hon. Speaker, Sir, at the outset, I would like to thank you for giving me an opportunity to speak for the first time in this august House.

I would also like to thank our hon. Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy *garu* for encouraging and giving a 26-year old woman representing the tribal community a chance to contest elections.

I wholeheartedly thank the people of my constituency Araku also for showing immense faith in a young person like me.

As I said earlier, I represent the Araku constituency which is a reserved constituency. We have huge reserves of mineral wealth which have been exploited for so many years. As a result, the lives of the poor tribal people have not improved considerably and the forests, being the main source of their livelihood, are being lost at a rapid rate.

There was a proposal to start a bauxite mine which again would displace a large number of people. I specially thank our CM, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy *garu* for putting that project on hold. I request the hon. Environment Minister to evaluate the loss of livelihood of tribal community before granting clearance to the mining project.

In my constituency, there is dire lack of drinking water facilities and this seriously affects the health of the people living in my constituency. I humbly request through you, Sir, the hon. Minister for Drinking Water to include my constituency under the available scheme of Comprehensive Drinking Water Project to improve the drinking water facilities in my constituency at the earliest in this financial year itself.

Thank you.

श्रीमती शारदा अनिल पटेल (महेसाणा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नये सांसदों को बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं माननीय प्रधान मंत्री और श्री अमित भाई का भी आभार मानती हूँ।...(व्यवधान)

मैं अपने राष्ट्रीय एवं राज्य नेतृत्व, जिसने मुझे सेवा करने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, मैं उसकी भी आभारी हूँ। मैं अपने मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास कर के बड़े बहुमत से जिताया और मुझे सेवा करने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म दिया।...(व्यवधान)

महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र महेसाणा में गांवों में रहने वाले निवासियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उक्त जिले में सर्व-सुविधा युक्त वैलनेस सेंटर खोले जाने की आवश्यकता है, जहां पर एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी एवं अन्य भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रणालियां एक ही छत के नीचे उपलब्ध हों, ताकि लोग आयुष मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकें।

हम मानते हैं कि 'प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर'। अतः इस सदन के माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि महेसाणा में एक सर्व-सुविधा युक्त वैलनेस सेंटर शीघ्र ही खोला जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, डॉ. किरिट पी. सोलंकी एवं श्री नारणभाई काछड़िया को श्रीमती शारदाबेन अनिलभाई पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती गोमती साय (रायगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देती हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: गोमती साय जी तीन बार जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रही हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती गोमती साय: अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं पहली बार अपने लोक सभा क्षेत्र रायगढ़, छत्तीसगढ़ से चुनकर आई हूँ। मैं अपने क्षेत्रवासियों का इस सभा के माध्यम से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जशपुर की निवासी हूँ। जशपुर बालासाहेब देशपांडे और कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी की कर्मभूमि रही है। जशपुर अत्यंत पिछड़ा जिला है, जहां बहुतायत राष्ट्रपति जी के दत्तक पुत्र पहाड़ी कोरवा समाज के लोग भी निवास करते हैं। जिला जशपुर रेल लाइन से अछूता रहा है, जबकि जशपुर झारखंड की राजधानी रांची, ओडिशा के औद्योगिक नगर राउरकेला एवं मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र रायगढ़ के बीच में बसा हुआ है। हमारा जशपुर पूरे छत्तीसगढ़ में पढ़ाई के मामले में टॉप पर है। बोर्ड की परीक्षा में यहां के छात्र-छात्राएं टॉप 10 में आते हैं। हमारे यहां पाठ में आलू और मिर्च की तथा पत्थलगांव क्षेत्र में टमाटर की बंपर खेती होती है। इतना सब होने के बावजूद भी जिला जशपुर रेल लाइन से अछूता रहा है। आदरणीय कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी ने वर्षों से रेल लाइन लाने हेतु प्रयास किया था।

मैं माननीय महोदय जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे निर्वाचन क्षेत्र रायगढ़ एवं जशपुर में कोरबा से लोहरदगा तक रेल लाइन स्वीकृत करने की कृपा करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती गोमती साय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री हंस राज हंस जी भी पहली बार बोलेंगे । हंस जी सूफी संत हैं, कभी आप सबको भी सुनाएंगे । हंस जी सूफी भजन भी गाते हैं और संत भी हैं ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सबके पास समय होगा, तो प्रोग्राम कराएंगे ।

...(व्यवधान)

श्री हंस राज हंस (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आपका शुक्रिया । हुजूर आपकी मेहरबानी, मैं पहली बार चुनकर आया हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया । दिल्ली के उत्तर-पश्चिमी हल्के से मुझे चुना गया । मैं अपने महबूब नरेन्द्रभाई मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ । ... (व्यवधान) मेरे इलाके के बहुत सारे मरहले हैं, मसले हैं, लेकिन मैं पहली बोल रहा हूँ, तो सोचता हूँ:

वस्ल की शब न छेडूंगा किस्सा-ए-गम,
ये किसी और दिन सुना लूंगा ।

मेरे सदगुरु, मेरे बाबाजी ने मुझे एक प्रेयर सिखाई थी, मैं वह आपसे शेयर करता हूँ । शायद वह आप सब के काम आए । ये बहुत बड़े लोग बैठे हैं, मेरे वतन के रहनुमा बैठे हैं । पहले इनको भी दर्जा-बदर्जा बाअदब, प्रणाम, नमस्कारम, चरण स्पर्श । वह प्रेयर है:-

ज़िदगी दी है, तो जीने का हुनर भी देना
पांव बख्शे हैं, तो तौफीक-ए-सफर भी देना,
गुफ्तुगू तूने सिखाई है, कि मैं गूंगा था,
अब मैं बोलूंगा, तो बातों में असर भी देना ।

मेरे उलझे हुए ख्वाबों को तराजू दे दे ।
मेरे भगवान मुझे जज्बात पर काबू दे दे ।
मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से ना लूं ।
और एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे ।

हुजूर पंजाब की सरजमीं में मेरा जन्म हुआ। वह इतनी जरखेज धरती थी। कहते थे कि बंदे को मारकर भी वहां दबा दो तो वह जिंदा हो जाता था। आह! किसी की नजर लग गई। वह धरती न हम बचा सके, पानी हम न बचा सके, जवानी हम न बचा सके। वह पहले आतंकवाद की शिकार हो गई, फिर नशे की शिकार हो गई। वह धरती जिस पर गुरु नानक साहब, जगतगुरु हमारे बड़े साहब ने कहा था “नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात”। यहां सूफियों ने नारा लगाया था कि-

न मैं मस्त हूं, न हूं शराबी मुझे मैकदे की खबर नहीं,
तेरे इश्क ने वह नशा दिया, मुझे हर नशे से बचा लिया।

जहां नाम की मस्ती थी वहां लोग नशे की गिरफ्त में आ गए हैं। कहते हैं कि मुकाम किसका था, मुकीम कौन हुआ। मैं दिल्ली आ गया। सर, उत्तर पश्चिमी हल्के में भी यही हाल है। नौजवान, बच्चे ड्रग्स की लत में जा रहे हैं। स्कूलों के इर्द-गिर्द भी ड्रग्स बिक रही है। मैं सारे रहनुमाओं को विनती करता हूं कि पुरजोर कोशिश करें, इस जवानी को बचाएं, अपने फ्यूचर को बचाएं। सरकार, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे मेहबूब प्रधानमंत्री साहब गरीबों की बात करते हैं। एक लता जी का गाना था-

बुझे तो ऐसे जैसे किसी गरीब का दिल,
जले तो ऐसे जैसे चिराग जलते हैं।

गरीब आदमी मर रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। शुक्र करो उन्होंने फिक्र की है, वह कंसपर्ड हैं। मेरी अर्जी यही है, गौर से सुनिएगा, लोगों की हालत यह है कि-

चेहरा बता रहा था कि मरा है भूख से,
सब लोग कह रहे थे कि कुछ खा कर मर गया।

ऐ लोगों उन गरीबों की फिक्र करो। मैं उस समाज की बात करता हूं जो गरीब नहीं, अति गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, गटर में मर रहे हैं। मैं सफाई सेवकों की बात करता हूं। उनके लिए हां का नारा लगाओ। वह रोज मरते हैं, लेकिन उन्हें हर्जाना नहीं मिलता है। कोई एक्सीडेंट में मर जाए, तो करोड़ों रुपया दिया जाता है। उनके नौजवान बच्चे मर रहे हैं, उनके लिए कोई नहीं है। आखिर में,

मैं यह बात करना चाहूंगा कि माननीय अमित शाह साहब ने बोला था कि कश्मीर जम्मू से सूफी किधर गए। मैं थोड़ा वजाहत कर देता हूँ कि सूफीयज्म क्या है। सूफीयज्म यह है कि मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग। ए लोगों मौत याद रखो। इस मिट्टी में कुछ दफन हो जाएंगे, कुछ का संस्कार हो जाएगा। जात धर्म मजहब सब आपके साथ लूट जाएंगे।

मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे,
खुशबू है तो हर दौर को महक आएंगे हम लोग।
हम रूह -ए - सफ़र हैं हमें नामों से ना पहचान,
कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग।

ऐ मेरे खूबसूरत एम.पी. साहिबान। आप बहुत खूबसूरत हैं, आपका हुस्न सलामत रहे, मेरा इश्क सलामत रहे। जिंदा रहो। खुश रहो और गरीबों की सोचो। भारत माता की, जय। वाल्मिकी महाराज की, जय।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री हंस राज हंस द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह सदन है, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य नए हैं। मैं फिर माननीय नए सदस्य से आग्रह करता हूँ कि सदन में इस तरीके से नारेबाजी नहीं की जाती। आप अपनी बात कहें।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Thank you Speaker Ji for giving me this opportunity and I also thank the people of my constituency who have reposed faith in me and sent me here.

I have been here for the last two weeks and listening to a lot of people speaking about water crisis in various constituencies. Mostly, they are all man-

made disasters or the result of greed of some people. What I am bringing here to your notice is something totally different.

Nagarjuna Sagar dam was conceived in the year 1952. It was constructed in my constituency. During that time, the people of my constituency worked there and built it with their own hands. They sacrificed so much and thought that, at some point of time, they would also get water and some benefit from it.

The water from Nagarjuna Sagar has been used by the villagers or towns downstream, but unfortunately the Palnadu Region, where I come from, has been a drought-prone area for the last 50 years or so. If you check all the data that is available for the last 50 years, then you will come to know that every time there is a drought it is always in the Palnadu Region.

Therefore, I would request the Jal Shakti Ministry to do Varikapudisela Project, which is a lift irrigation project and which can draw water from backwaters of Nagarjuna Sagar and provide water to almost 4,50,000 households and can irrigate up to 1,20,000 acres of farm land. There is a hitch in doing this project, which is that the lift irrigation has to be done through forest areas. So, we need permission from the Ministry of Forests wherein five acres of land has to be given to this project.

I sincerely hope that both the Ministries will look into this issue and speed-up the whole project. Thank you very much, Sir.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं फिर से आग्रह करता हूँ कि मैंने व्यवस्था दी है कि कोई भी माननीय सदस्य आसन पर नहीं आए। इसके लिए मैंने सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स

से आग्रह किया कि वे अपने-अपने माननीय सदस्यों से आग्रह करेंगे। अब कोई माननीय सदस्य, अगर आसन पर आएगा तो मुझे नाम लेकर पुकारना पड़ेगा।

श्री एस. ज्ञानतिरावियम।

*** SHRI GNANATHIRAVIAM (TIRUNELVELI):** Hon. Speaker Sir, Vanakkam. Long live Dr. Kalaignar. Under the able guidance of DMK leader Thalpathi Thiru M.K. Stalin, I wish to raise an important issue pertaining to Tirunelveli parliamentary constituency in this august House. This is my maiden speech in this august House. I request that the Union Government should focus on removing the wastes and carry out the cleaning work in the river Thamirabharani with a special fund allocation of Rs.500 Crore. Similar to Kumbhmela, it has been the practice of organizing Thamirabarani Pushkarani once in 144 years and it was held last year. the Union Government has been allocating funds for carrying out cleaning work of river Ganges under Namami Gangae scheme. Similarly, the Union Government should allocate Rs 500 Crore for Thamirabharani. Every year around 13.5 tmc of surplus water from Thamirabharani drains into the sea. In order to benefit water starved Tamil Nadu, particularly Tuticorin and Tirunelveli districts, the drinking water schemes should be implemented. This is the need of the hour. Thamirabharani-Karumeniyar-Nambiyar flood canal scheme should be immediately implemented providing irrigation facilities to 24000 hectares of

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

land through 252 ponds. During the year 2009, the then Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Kalaignar M. Karunanidhi announced this flood canal scheme with an allocation of Rs. 369 Crore. The AIADMK Government which came to power thereafter kept this scheme pending for long. Now an amount of Rs 896 Crore is required for implementing this Scheme. I therefore urge upon the Union Government to immediately implement inter-linking of rivers, especially the rivers that flow through the southern part of this country. I urge that Rs 500 Crore should be allocated as a special package for carrying out cleaning work in river Thamirabharani. I urge that the Union Government should come forward to immediately implement the Thaamirabharani-Karumeniyar-Nambiyar flood canal scheme at a cost of Rs 900 Crore. Thank you.

श्री हंसमुखभाई सोमभाई पटेल (अहमदाबाद पूर्व): माननीय अध्यक्ष जी, मुझे मौका देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हिन्दुस्तान के इस सर्वोच्च और सम्मानित सभा गृह में पहली बार मुझे बोलने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं आनन्द और गौरव की अनुभूति प्राप्त करता हूँ। यह गौरव प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, आदरणीय श्री अमित शाह जी और देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी और मेरे संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूँ और इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र के रख्याल गांव के पास से एक रेलवे लाइन गुजर रही है। रख्याल गांव में एक रोड था जो करीब 20-25 गांवों को कनेक्ट करता था। थोड़े समय पहले रेलवे वालों ने रोड को तोड़ दिया, क्योंकि कोई लैंडफिल का काम हो रहा था। हालांकि रोड रेलवे लाइन के क्षेत्र में है, लेकिन 20 से 25 गांवों को वह कनेक्ट करता है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय रेल मंत्री जी से विनती करता हूँ कि रोड को पुनःस्थापित किया जाए जिससे 20-25 गांवों को रोड कनेक्टिविटी मिले।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और डॉ. किरीट पी. सोलंकी को श्री हंसमुखभाई सोमभाई पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): Sir, this is my maiden entry in Parliament. Thank you very much for giving me this opportunity. This is the first time I entered Parliament even without entering the Assembly. I am really thankful to my hon. Chief Minister for giving me this chance.

I would like to talk about the poultry industry. As far as poultry industry is concerned, hon. President, the hon. Minister, Shri Sarangi, the Opposition leader, Shri Adhir Ranjan Chowdhury and others spoke about Green Revolution, White Revolution, and Blue Revolution. But no one spoke about the poultry industry which is contributing the cheapest protein in the form of eggs and chicken to the nation. Poultry industry, which has come from the backyard farming, has grown to the extent of contributing Rs.1 lakh crore to the GDP of the country. We are the third largest egg producers, and the fifth largest chicken producers in the world. It is a self-grown industry. No one has supported the poultry industry – neither the State nor the Centre. It was for the first time, the hon. Chief Minister, Shri K. Chandrasekhar Rao has started supporting the poultry industry. After that, others followed suit. Now, a few States are supporting the poultry industry. At present, the poultry industry is in dire crisis because of absolute shortage of maize, which is the main constituent of the poultry feed.

Through you, Sir, I would like to request the Agriculture and Commerce Ministers to permit import of maize. Whenever there was a crisis in the poultry

industry during 1989-90, the NAFED had supported the poultry industry by purchasing eggs and putting them in the cold storage. Whatever losses which were incurred, the same was made good by the country and the Egg Coordination Committee. I would like to request the Ministers to also look into this issue. Thank you once again for giving me this opportunity.

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट (पुणे): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। महाराष्ट्र के पुणे शहर से मैं आया हूँ और छत्रपति शिवाजी महाराज, संत ज्ञानेश्वर और तुकाराम का वंदन करके मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ।

महोदय, पुणे में गत सप्ताह कंस्ट्रक्शन साइट पर जो मजदूर लोग रहते हैं, वहां 40 लोगों की मौत हुई है और मुम्बई में 20 लोगों की मौत हुई है। पुणे एक स्मार्ट सिटी की तरफ जा रहा है, वहां इस तरह से मजदूरों की मृत्यु होना अच्छा नहीं लगता है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को विनती करता हूँ कि डिजास्टर मैनेजमेंट और कॉर्पोरेशन के डीसी रूल में मजदूरों के लिए जो प्रबंध किया गया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा से मजदूर आते हैं, काम करते हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनायी जा रही हैं, लेकिन इन गरीब लोगों के रहने के लिए जगह नहीं होती है।

मैं केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, चाहे वह नगर परिषद हो या कॉर्पोरेशन हो, इनको ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से पहले ही मजदूर लोगों का प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि वे मेहनत से काम करते हैं, पूरा काम अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन असंगठित होने के नाते उनको सुरक्षा नहीं मिलती है। उनको सुरक्षा देने के लिए केन्द्र सरकार को डिजास्टर मैनेजमेंट रूल और डीसी रूल में सुधार करके कोई प्रबंध करना चाहिए। यही मेरी आपसे विनती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे नेता नरेन्द्र मोदी जी और अमित शाह जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और पुणेवासियों ने मुझे यहां भेजा है, उनको भी मैं नमस्कार करके अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री गिरीश भालचन्द्र बापट द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सुश्री दिया कुमारी (राजसमन्द) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राजस्थान की बिगड़ती लॉ एंड आर्डर सिचुएशन की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। वर्तमान में राजस्थान में कानून-व्यवस्था बहुत ही बिगड़ी हुई है। महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति बहुत ही गंभीर एवं दुखद है। अपहरण व रेप की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले कुछ महीनों में चार-पांच घटनाएं तो मेरे ही लोक सभा क्षेत्र में घटित हुई हैं। जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के अधिकारियों के पास जाते हैं, तो यह सुनने को मिलता है कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वे लोग यह भी कहते हैं कि जब आपकी सरकार थी, तब कुछ सीसीटीवी सैंक्शन हुए थे। मेरे ही एरिया राजसमन्द क्षेत्र में 400 सीसीटीवी सैंक्शन हुए थे और अभी तक सिर्फ 50 ही लगे हैं। अजमेर में 800 सैंक्शन हुए थे और अभी तक 132 ही लगे हैं। कंट्रोल सेंटर्स भी स्थापित नहीं हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा और बोलने दिया जाए। यह बहुत ही गंभीर स्थिति है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह राज्य का विषय है। राज्य के विषय को आप संसद में न उठाइए।

...(व्यवधान)

सुश्री दिया कुमारी : महोदय, बहुत ही गंभीर स्थिति है। मुझे आप बोलने का मौका दें।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह पहली बार है, निर्देश दे दिया है। आप बोलिए।

...(व्यवधान)

सुश्री दिया कुमारी : महोदय, ये सारी घटनाएं ज्यादातर माइनर्स और वूमैन्स को साथ ही हो रही हैं। अभी जयपुर में दो दिन पहले एक माइनर के साथ एक घटना हुई थी। उसके बाद जयपुर में धारा 144 लगा दी गई थी। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थीं, लेकिन कोई भी पुख्ता कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसी घटनाएं राजस्थान में बार-बार होती रहती हैं, हर दूसरे-तीसरे दिन अखबार खोलते ही इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं।...(व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्थान में महिला सुरक्षा एवं आम जन सुरक्षा के लिए राज्य सरकार पर किसी प्रकार का दबाव बनाया जाए कि वह पुख्ता कदम उठाए, ताकि इस तरह की घटनाएं बार-बार न हों।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री रामचरण बोहरा, श्री सी. पी. जोशी और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती दिया कुमारी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अबु हसन खान चौधरी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वे नए सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करूंगा कि वे यह प्रयास करें कि स्टेट सब्जेक्ट को यहां पर न उठाएं। वे यह कोशिश करें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अभी जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, उनकी बहुत लंबी लिस्ट है। अगर आप सभी चाहते हैं कि सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिले, तो

सब अपनी बात को एक-एक मिनट में समाप्त करें। दू द पाइंट बोलेंगे, सब्जेक्ट पर बोलेंगे, तो सबको मौका मिलेगा। अब सभी वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

SHRI ABU HASEM KHAN CHOWDHURY (MALDAHA DAKSHIN): I would like to draw your attention and the attention of the Government of India to the severe problem being faced in Malda District of West Bengal.

The Malda District is famous for its varieties of mangoes. A lot of people are dependent on the mango crops for their livelihood. At present, the greatest difficulty is marketing.

In the past, our major buyers would come from East Bengal which is now Bangladesh. After Partition, 30 per cent mango growing areas went to Bangladesh. As a result, the Malda District lost its principal market. The mangoes of Malda are now sold mostly in Kolkata or in Assam. What is sold is a very small portion of what is being produced.

The problem of marketing might be solved if a food processing plant is set up in the Malda District. A food processing plant can process mangoes and make varieties of mango products. It can also bring in fruit and vegetable crops such as litchis, pineapples, oranges and tomatoes from northern districts and other surrounding districts. It would generate better incomes for the rural people of North Bengal.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): अध्यक्ष जी, मेरठ-हस्तिनापुर रेल मार्ग स्वीकृत किया जा चुका है परन्तु आर्थिक दृष्टि से अलाभप्रद मानते हुए इस रेल मार्ग का निर्माण मंत्रालय टालता आ रहा है। हस्तिनापुर हमारी ऐतिहासिक व धार्मिक परम्परा का अत्यंत महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है। यह नगर

वर्तमान में विश्वविख्यात जैन तीर्थ है तथा इसके निकट ही केवल तीन किलोमीटर की दूरी पर सैफपुर करमचंदपुर नामक गाँव पंज प्यारे में से एक भाई धर्म सिंह का जन्म स्थान है, जहाँ विशाल गुरुद्वारा बना है। देश और दुनिया से बड़ी संख्या में इन स्थानों पर दर्शनार्थी आते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि यह रेल मार्ग आर्थिक दृष्टि से अलाभप्रद सिद्ध होगा परन्तु यदि वैसा हो भी, तब भी देश के दो प्रमुख अल्पसंख्यक वर्गों- जैन तथा सिख समाज की भावनाओं का सम्मान करने तथा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परम्परा में हस्तिनापुर का विशिष्ट एवं अनन्य स्थान होने के कारण मंत्रालय के सामाजिक दायित्व के नाते भी मेरठ से हस्तिनापुर की रेलवे लाइन को बिछाने का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किए जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से विशेष कर रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान भारत की जो सामरिक और सुरक्षा की क्षमता है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूँ। यह सारा सदन जानता है कि भारत के एक ओर पाकिस्तान है और भारत के दूसरी ओर चीन है। पिछले नौ वर्षों में चीन अपनी सुरक्षा के ऊपर, रक्षा के ऊपर जो खर्चा करता है, वह 83 प्रतिशत से भी ज्यादा रियल टर्म्स में बढ़ा है। उसके विपरीत भारत अपने रक्षा के ऊपर जो खर्चा करता है, वह हर साल घटता जा रहा है।

पिछले वर्ष इसी सदन की एक ऐस्टिमेट कमेटी, जिसकी अध्यक्षता बहुत ही वरिष्ठ सांसद, हमारे पूर्व सांसद श्री मुरली मनोहर जोशी जी कर रहे थे, उस समिति ने एक रिपोर्ट दी कि वर्ष 2017-18 में भारत की रक्षा के ऊपर जो पैसा खर्च हुआ है, वह 1.60 प्रतिशत भारत की जीडीपी का है और पिछले 58 सालों में यह सबसे कम खर्चा है। जो इंटरिम बजट सरकार ने फरवरी में पटल पर रखा था, उसमें इसकी मात्रा घट कर 1.52 प्रतिशत हो गई है। अध्यक्ष जी, यह इसलिए प्रासांगिक है, क्योंकि जो भारत का कैपिटल एक्सपेंडिचर डिफेंस के ऊपर था, वह वर्ष 2009-10

में 45.3 प्रतिशत था। मैं एक मिनट और आपका लूँगा, क्योंकि विषय महत्वपूर्ण है। वह पिछले वर्ष घट कर 31.28 प्रतिशत रह गया है। इस सदन की...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बजट पर बोलना, यह बड़ा विषय है। मैं आपको मौका दूँगा।

श्री मनीष तिवारी: अध्यक्ष जी, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। इस सदन की कई समितियों ने, रक्षा की स्थायी समिति ने, ऐस्टिमेट कमेटी ने इसकी ओर सरकार का ध्यान आकृषित किया है। मैं यह उम्मीद करता हूँ कि जो वित्त मंत्री हैं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बिधूड़ी जी, मैंने आपको अभी बोलने की इजाजत नहीं दी है।

श्री मनीष तिवारी : वह पहले रक्षा मंत्री थे। यह जो परिस्थिति बनती जा रही है, वे इस परिस्थिति को बजट में सुधारेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री वाई.बी. राघवेन्द्र। मैं नहीं चाहूँगा कि फिर किसी माननीय सदस्य के लिए घंटी बजाऊँ, इसलिए संक्षिप्त में अपनी बात कहें।

SHRI B. Y. RAGHAVENDRA (SHIMOGA): Mr. Speaker, Sir, there is a digital network problem in Karnataka, especially in the rural areas. The Malenadu hilly areas and coastal regions of Karnataka are particularly badly affected with this problem. BSNL is a public sector undertaking of the Union Government. Its equipment need regular maintenance but there is a lack of supply of diesel to the generators, providing distilled water to the battery, and lack of network towers. The Union Government has launched the concept of Digital India. Under this concept, most of the young people are wholly dependent upon the digital network for their work and also for Government works. It is common now that young generations are having to leave their parents and go in search of jobs to various metro cities and settle there.

During vacation, if they intend to visit their parents, they do not get proper network to finish their day to day activities. Due to this reason, they are avoiding the visit to their parents' place.

So, hon. Speaker, Sir, through you, I would like to know from the hon. Minister whether the Government has planned any new project to install new mobile towers in hilly and forest areas. If not, he should give priority to these badly affected areas.

Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष: कुमारी शोभा कारान्दलाजे को श्री बी.वाई. राघवेन्द्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

KUMARI RAMYA HARIDAS (ALATHUR): Hon. Speaker, Sir, Thrissur Government Medical College Hospital is the most important hospital as far as the number of patients is concerned. Patients from different parts of Thrissur, Palakkad and Malappuram are coming to this hospital by train, especially cancer patients. Therefore, I humbly submit that suburban stations such as Mulagunnathukavu and Wadakkanchery may be developed as satellite centres of Thrissur and Shornur respectively. Besides this, stoppages may be provided for the trains like Palakkad Punalur Palaruvi Express, Kochuveli Nilambur Rajya Rani Express and Trivandrum Madurai Express passing through these stations.

I also urge the Government to sanction a new passenger train from Palakkad to Palani, which is a very prominent pilgrimage destination in South India.

Thank you, Sir.

श्री रामस्वरूप शर्मा (मंडी): महोदय, मैं सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र मण्डी के अति महत्वपूर्ण सीमांत जिले लाहौल स्पीती, किन्नौर व पांगी किलाड के विकास की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

महोदय, इन जिलों का देश के अन्य भागों से वर्ष में लगभग 6 माह तक कोई सम्पर्क नहीं रहता है। सर्दियों में अत्यधिक बर्फ पड़ने के कारण यहाँ का तापमान मायनस 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इन जिलों में संचार सेवाएं भी अपर्याप्त हैं। चीन की सीमा के करीब होने के कारण यहाँ संचार सेवाओं को विकसित करने की अत्यंत आवश्यकता है। चाइना का मोबाइल नेटवर्क हमारी सीमा में 10-15 किलोमीटर अंदर तक पाया जाता है।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने पिछले 5 वर्षों में जनजातीय क्षेत्रों के लिए अनेक सराहनीय विकासात्मक योजनाएं शुरू की हैं। इसी के परिणामस्वरूप जनजातीय क्षेत्र की जनता ने एक बार पुनः मोदी जी को प्रचण्ड बहुमत दिया है।

महोदय, वर्तमान सरकार उत्तरी-पूर्वी सीमांत राज्यों के लिए विशेष पैकेज दे सकती है, तो हिमाचल के इन जिलों के लिए भी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत विशेष धन आवंटित कर, इस क्षेत्र के समग्र विकास में अमूल्य योगदान दे सकती है। विशेषकर दूरसंचार क्षेत्र में बीएसएनएल के अतिरिक्त निजी कंपनियों का भी सहयोग लिया जा सकता है। जब जनजातीय क्षेत्र के लोगों का 6 माह की बर्फबारी के कारण जन-जीवन अस्त-व्यस्त रहता है, तो केवल दूरसंचार ही एकमात्र उनका सहारा होता है, जिसके कारण वे लोग अपने सगे-संबंधियों से बातचीत कर सकते हैं।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि जहाँ-जहाँ आवश्यक हो, वहाँ बीएसएनएल व जियो के नेटवर्क से जनजातीय क्षेत्र के लोगों को जोड़ने की अतिशीघ्र व्यवस्था करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रामस्वरूप शर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): Sir, the Rural Employment Guarantee Scheme better known as Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme plays a significant role in addressing the issue of rural distress. Millions of rural workers depend upon this scheme for their survival. The demand for increase in wages is genuine and comes from all the States. The Rural Development Ministry notified revised wage rates for 29 States and Union Territories this year. Even after a higher budgetary allocation for MGNREGS, the hike in wages is meagre, ranging from Rs. 1 to Rs. 17 in various States. The wages paid under MGNREGS remains below the minimum wages in many States.

The Committee set up by the Union Rural Development Ministry have recommended that the wages paid to unskilled agricultural labourers under MGNREGS should be the minimum wage fixed by the respective State or the current wages as per the consumer price index for the agricultural labourers, whichever is higher.

So, I request the Government to consider the Committee's recommendations and take steps for fixing the wages accordingly.

Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को एडवोकेट अदूर प्रकाश द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे सदन में बिना पढ़े बोलने का प्रयास करें क्योंकि पढ़ कर बोलने के लिए नियम 377 है। जीरो आवर में बिना पढ़े बोलने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, यह खबर आई है कि महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में तिवारे डैम दरार के कारण टूट गई है। इससे बहुत सारे लोग मर चुके हैं। बहुत बड़े इलाके में बाढ़ की स्थिति पैदा हो चुकी है। खबर है कि अभी तक 6 लोगों की मौत हुई है, काफी लोग लापता हैं। यह भी खबर आ रही है कि डैम की ऑथोरिटी को पहले ही चेतावनी दी गयी थी कि इस डैम की हालत बुरी है, खराब है।

माननीय अध्यक्ष: क्या यह डैम दिल्ली का है?

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, अगर इसे सुधारने की कोशिश की गयी होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सदन में सरकार की तरफ से एक बयान पेश हो कि वहां की हालत क्या है। कितने लोगों की मौत हुई है, कितने मिसिंग हैं, किस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, इसकी जानकारी वे सदन को दें।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अगर कोई सदस्य राज्य के विषय के बारे में बोलते हैं तो आप कहते हैं कि राज्य के विषय के बारे में न बोलें और आप इतने बड़े नेता होकर राज्य के विषय के बारे में बोलते हैं।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, यह नेशनल डिजास्टर है।...(व्यवधान) यह राज्य का विषय नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं व्यवस्था के लिए बैठा हूँ। आपको तो व्यवस्था देने की जिम्मेदारी नहीं दी गयी है, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Speaker, Sir, first of all I would like to place on record the magnanimous decision in nominating me in the panel of chairpersons for which I express my sincere thanks.

माननीय अध्यक्ष: आप लम्बे समय तक बैठते हैं, नियम-प्रक्रिया को जानते हैं। जब आपका नाम सभापति पैनल के लिए नामित हुआ तो सभी माननीय सदस्यों ने ताली बजाई है। यह अच्छा लगता है। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, यह भी कहिए कि वे जब चेयर पर बैठें तो हम लोगों को ज्यादा मौका दें।...(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Thank you, Sir. I have given a notice of adjournment and my Zero Hour submission is in that regard. Two days ago, the hon. High Court of Madras had issued a judgement banning the admission of wards of poor workers on some technical grounds. The admission is going to close by 6th of July. Immediate intervention from the Ministry of Labour as well as the Ministry of Health is required. In all the ESIC medical colleges, daughters and sons of poor workers are entitled to get admission. There is 35 per cent of reservation for these ESI workers who are having the benefit under the ESIC. Unfortunately, because of the verdict of the High Court, it is being banned. So, I seek the urgent intervention of the Ministry of Labour as well as the Ministry of Health. The hon. Minister of State for Parliamentary Affairs Shri Arjun Ram Meghwal is here. I request the Government to kindly respond to this

and take immediate action so as to file an appeal before the Division Bench, and if the verdict is against it, then to go to the Supreme Court so as to safeguard the interest of the poor workers' children.

माननीय अध्यक्ष: एडवोकेट ए.एम. आरिफ को श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आज सबको मौका दिया जाएगा।

श्री एम. के. राघवन।

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Hon. Speaker, Sir, I would like to highlight the drawback in the provision of 10 per cent reservation for economically weaker sections as per the 124th Amendment which is affecting the people of Kerala. The norm ensuring 10 per cent reservation for economically weaker students in medical admissions may affect the chances of deserving students from the State of Kerala. Already, prospective students for NITs, IITs and IIMs have missed the opportunities. Unfortunately, the yardstick adopted while preparing the Amendment Bill was based on the social and economic situation prevailing in North India. The landholding criterion of 2.3 cents in the cities and 4.6 cents in the rural areas is the villain in this issue.

In Kerala, according to the Government standards, the minimum land requirement for construction of a house is three cents. Therefore, the minimum land holding should be increased to at least 1,500 square feet.

According to reports, under the provisions of the 124th Constitution Amendment only those children who are living in rental accommodation and

who are purely landless will be benefited, leaving behind majority of the aspirants of the forward community.

The State Government of Kerala is not acting on this issue till this time. Therefore, I urge upon the hon. Ministers of Law and Social Justice to kindly intervene and re-examine the provisions of the Amendment and bring a further amendment so that the EWS children from Kerala belonging to the forward community could avail of the benefits of the 124th Amendment.

Thank you.

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया।

महोदय, यह किसानों से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय है और राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान में पिछले कई महीनों से किसानों के साथ धोखा हो रहा है तथा उनका शोषण किया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से मांग है कि केन्द्र सरकार इस पर ध्यान दे। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र की जनता ने मुझे दोबारा चुनकर भेजा है। उस क्षेत्र में डेयरी और अन्य कई संस्थान हैं जो कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए संस्थान हैं। आज उनके ऊपर सुनियोजित तरीके से हमले हो रहे हैं। वहां कुछ ऐसे अधिकारी लगाए गए हैं, जो खुद भी एसीबी में ट्रेप हुए हैं। ऐसे अधिकारियों को वहां भेजकर लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए बोर्ड को भंग करने का काम किया जा रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है। वहां दुग्ध उत्पादन तथा पशुपालन करने वाले सभी किसान परेशान हैं। कलेक्टर पर हज़ारों किसानों ने धारणा दिया और वहां प्रदर्शन किया। वहां के किसानों और डेयरी बोर्ड के चेयरमैन को सिर्फ परेशान किया जा रहा है। उस संस्थान को भंग करने के लिए काम किया जा रहा है। ... (व्यवधान) सुनियोजित तरीके से उनको परेशान करने का काम किया जा रहा है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इसमें हस्तक्षेप करें। माननीय राहुल गांधी जी यहां नहीं हैं। उन्होंने दस दिन में कर्ज़ माफ करने की भी बात कही थी।

अध्यक्ष महोदय, आज वहां का किसान परेशान है। वहां न तो कोई कर्जा माफ हुआ और न ही दूसरा कोई काम हुआ। वहां के किसान परेशान हैं।... (व्यवधान) वहां के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि ऐसे लोगों पर हस्तक्षेप करके कार्रवाई की जाए।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री सी.पी. जोशी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका, सदन का और अपनी सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ।

महोदय, पटना विश्वविद्यालय बिहार का ही नहीं, बल्कि देश का एक ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना वर्ष 1917 में हुई थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुए 100 वर्ष से अधिक हो गये हैं। यह पूरे भारत का सातवां विश्वविद्यालय है। यह ओल्डेस्ट विश्वविद्यालय है। मैं समझता हूँ कि इस विश्वविद्यालय का नाम बहुत देशों में है। इस विश्वविद्यालय से निकलकर कई महापुरुषों ने देश तथा समाज की सेवा करने का काम किया है। कई राजनेता, दो राजनेता तो अभी यहां बैठे हुए हैं, एक तो श्री अश्विनी कुमार चौबे जी है, वे माननीय अध्यक्ष के रूप में वहां काम कर चुके हैं और दूसरे, श्री रविशंकर जी हैं। इसमें जय प्रकाश जी का भी कंट्रीब्यूशन है, राष्ट्रकवि दिनकर जी का है, साहित्यकार उषा किरण जी का है। यह बहुत ही संवेदनशील मामला है, इसलिए मैं आपका तथा सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहा हूँ।

सर, यह विश्वविद्यालय 100 वर्ष पुराना हो गया है। इसका शताब्दी वर्ष भी मनाया गया था और माननीय प्रधान मंत्री जी उसके मुख्य अतिथि थे, उसमें शिरकत किए थे। मुझे याद है, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी अभी माननीय मंत्री है, जब वे वर्ष 1977 में छात्रसंघ के अध्यक्ष थे तो उन्होंने पूरे देश के छात्रसंघों के पदाधिकारियों का तीन दिवसीय सम्मेलन कराया था और उस समय निर्णय हुआ था कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। तत्कालीन प्रधान मंत्री मोरारजी भाई देसाई, जिन्होंने डेलीगेशन को बुलाया था, उस समय भी

आश्वासन देने का काम किया गया था। राज्य सरकार ने न जाने कितनी दफा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया है। सर, मैं पुराना मैम्बर हूँ। मैं छह बार सांसद रह चुका हूँ। कोई ऐसा साल नहीं था, जब मैंने केन्द्रीय विश्वविद्यालय की मांग को लेकर सदन का ध्यान आकृष्ट न करवाया हो, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हो सकी।

महोदय, आज मैं पुनः आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विशेष तौर पर माननीय प्रधान मंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ और आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि इसमें हस्तक्षेप कीजिए।

माननीय अध्यक्ष: श्री सुशील कुमार सिंह, श्री बिद्युत बरन महतो तथा कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राम कृपाल यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राम कृपाल यादव : पूरे देश की भावना इससे जुड़ी हुई है। इसमें से न निकलकर देश के अन्य भाग में ये लोग ... (व्यवधान) महोदय, अंतिम बात सुन ली जाए। मैं लगातार तीन दिन से प्रयास कर रहा हूँ। बड़ी कृपा हुई, महती कृपा हुई कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं यह कष्ट और पीड़ा के साथ कह रहा हूँ। लोगों की डिमांड है, पूरे बिहार के लोगों की मन-भावना है, डिमांड है कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। आपकी बहुत कृपा होगी।

महोदय, मैं पुनः आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह मांग करता हूँ कि अविलम्ब कार्रवाई की जाए और पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। पूरा बिहार इसके लिए आभारी रहेगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री सुशील कुमार सिंह, श्री बिद्युत बरन महतो, श्री जनार्दन सिंह सिंग्रीवाल और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राम कृपाल यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Hon. Speaker, Sir, Vanakkam. I thank you for the great opportunity given to me to make my maiden speech in this august House.

Sir, I am a first-time Member from a humble agricultural background and I can proudly say that I am the first woman MP from Karur as well. I thank the people of Karur and the Congress Party for this great opportunity.

Karur is known for the textile industry and is the fourth largest textile exporter in the country. It is also a leading player in building bus body and mosquito net. It generates around Rs.6000 crore in foreign exchange through export. The industry employs more than three lakh people out of which 70 per cent are women.

Through you, Sir, I would like to draw the attention of the Government to the most important crisis - the rising unemployment and the plight of the textile industry - that my constituency Karur, the Western part of Tamil Nadu and the State of Tamil Nadu as a whole is facing.

The rising competition from the neighbouring countries and the hasty implementation of GST have put the textile industry into a big stress. Also, the Basel III norm, classifying textile sector as stressed sector, has tightened the hands of the bankers and financial institutions in lending money to the textile units. Since most of the textile chains fall under MSME category, NPA-classified units are being reported every day. This leads to the closure of thousands of business houses and thus resulting in unemployment.

Recently, in Tamil Nadu 10 lakh people with higher qualifications, like MBA and M.Tech. had applied for the sweeper job. This indicates the state of unemployment that is there in the country. Aspiring young men and women are jobless. The dreams of the families and parents of a great future for their children are being shattered. Make-in-India cannot be a mere slogan. It should be implemented in letter and spirit.

I quickly come to a few solutions to revamp the industry. Most of the textile industries flourish under MSME. I urge upon the Government to introduce 20 per cent tax rate for the partnership firms with sales up to Rs.10 crore....(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shrimati V. Geetha.

SUSHRI S. JOTHIMANI : Sir, please allow me to finish by making only two points. Please give me one minute to suggest two or three solutions. I do not want to politicise the issue....(*Interruptions*)

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Thank you, Speaker, Sir, for giving me this opportunity.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य को मैं पहले भी मौका दे चुका हूँ। माननीय सदस्य सात दिन में दूसरी बार बोल रही हैं।

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH : I would like to draw the attention of the Minister of Finance to the problems of more than 30,000 gold appraisers who are working with banks all over India.

Banks earn profits on the secured gold loans. The appraisers are playing a key role in disbursing loans but they do not have either job security or

suitable remuneration. Banks collect appraising charges as well as processing charges from the customers. The State Bank of India is the largest public sector bank in India. Against the gold loan of Rs. 1 lakh, the SBI pays just Rs.100 to the appraisers, whereas other public sector banks pay Rs.500 for the same job. The appraisers working all over India are facing problems. I would request the Government to save these gold appraisers from the hardships that they are facing. Thank you.

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): अध्यक्ष महोदय जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे सत्रहवीं लोक सभा में पहली बार बोलने का मौका मिला है। मेरा विषय ब्लड शुगर स्टैन्डर्ड के संबंध में है। अभी हाल ही में स्पेन में बड़ी-बड़ी कंपनियों की एक मीटिंग हुई थी, जो ब्लड शुगर की दवा बनाती हैं। उसमें कहा गया, अभी फास्टिंग ब्लड शुगर की लिमिट 120 है, उसको 100 कर दिया जाए। इसका मतलब यह है कि चालीस प्रतिशत दवा ज्यादा बिक्री होगी और देश में 70 प्रतिशत लोग बीमार की श्रेणी में आ जाएंगे।

अगर हिस्ट्री देखी जाए, वर्ष 1997 में फास्टिंग में ब्लड शुगर की लिमिट 160 थी, उसको धीरे-धीरे कम करके 120 कर दी गई। मेरा कहना है कि उससे हॉस्पिटल पर प्रेशर होगा, यह मानक डब्ल्यूएचओ तय करता है। क्यों नहीं हमारे यहां इस तरह का मैकेनिज्म हो, लैबोरेटरीज हो, जिसमें हम इसको वैरिफाई करें कि उनके मानक सही हैं या नहीं? इससे कम से कम यह पता लग जाएगा।। अगर 70 प्रतिशत लोग बीमार की श्रेणी में आ जाएंगे तो इससे हॉस्पिटल पर प्रेशर होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री अजय कुमार, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री राहुल कस्वां और डॉ. मनोज राजोरिया को श्री पी. पी. चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आज माननीय सदस्य वकील से डॉक्टर हो गए हैं।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): It is more dangerous when a lawyer becomes a doctor.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Doctor is saved only by a lawyer.

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में भारत में पीएसयूज की आर्थिक व्यवस्था बहुत कमजोर होती जा रही है। बीएसएनएल और एमटीएनएल की चर्चा इस सदन में हो चुकी है। मैं आज इंडिया पोस्ट की चर्चा करना चाहूंगा। आज इंडिया पोस्ट बीएसएनएल और एमटीएनएल से ज्यादा लॉस में किंग हो गया है, लगभग पन्द्रह हजार करोड़ रुपये का लॉस हो गया है। इसके कारण वह सैलरीज नहीं दे पा रहा है। मैं चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार जो बजट ला रही है, नीति आयोग की रिपोर्ट में लगभग पचास पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेचने की बात चल रही है, जैसे एनटीपीसी, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और स्टील ऑथरिटी ऑफ इंडिया है। इसे बेचने के बजाए इसे कैसे बचाया जाए, यह देखना चाहिए। हम चीन में देखते हैं कि चीन के स्टेट ऑनड इंटरप्राइजेज हैं वे दुनिया भर में बहुत प्रोफिट करते हैं लेकिन आज भारत पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज कमजोर हो रहा है।

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): माननीय अध्यक्ष, हमारे यहां रेल आवागमन को एक बहुत सस्ता माध्यम माना जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र लालगंज के रेल संबंधी समस्याओं की तरफ आकृष्ट कराना चाहती हूँ। हमारा संसदीय क्षेत्र माननीय प्रधान मंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लगा हुआ है और दूसरी छोर से उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी के पूर्व संसदीय क्षेत्र गोरखपुर के करीब है। हमारे यहां के लोगों को अगर महानगरों या अन्य प्रदेशों में जाना हो तो काफी दूरी तय करनी पड़ती है। हमारे क्षेत्र के लोगों की काफी दिनों से मांग है कि वाराणसी से लालगंज होते हुए और आजमगढ़ से गोरखपुर तक एक नई सीधी रेल लाइन का प्रबंध जल्द से जल्द से किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य आप एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दीजिए।

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। मैं आपका ध्यान देश में बढ़ रहे साइबर अपराध विशेषकर एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस नये जमाने के अपराध ने देश में पुलिस की चुनौती को और बढ़ा दिया है। मेरे संसदीय क्षेत्र जयपुर में पिछले दो दिनों से साइबर अपराधियों ने कई लोगों के खातों से लाखों रुपये निकाल लिए। अभी परसों 29 तारीख को एक अस्सी वर्षीय पेंशनर के खाते से 26,000 रुपये निकाल लिए। जब वह बैंक गया तो बैंक वालों ने उसे मना कर वापस भेज दिया। जयपुर में पिछले समय लगभग 36 करोड़ रुपये साइबर क्राइम के माध्यम से निकाले गए हैं।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि पिछले कई दिनों से राजस्थान में बलात्कार के केस बढ़ रहे हैं।

14.00 hrs

जयपुर में सात वर्षीय बालिका के साथ जिस तरह से रेप किया गया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस पर केंद्र सरकार द्वारा इंटरफेरेंस करके राज्य की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को ठीक किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री राहुल कासवान और श्री मनोज राजोरिया को श्री रामचरण बोहरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जनार्दन सीग्रीवाल (महाराजगंज): माननीय अध्यक्ष जी, यह मामला मेरे संसदीय क्षेत्र के छात्रों और अभिवावकों से जुड़ा हुआ है। मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज, बिहार में वर्ष 2012 में केंद्रीय विद्यालय महाराजगंज जिला सिवान की स्थापना हुई थी। केंद्रीय विद्यालय स्थापना काल के बाद से ही आज तक श्री गौरी शंकर हाई स्कूल उज्जैन दुरौंदा जिला सिवान के परिसर में यह विद्यालय चल रहा है। भवन आज भी नहीं है और जमीन की आवश्यकता है।

मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विभाग के माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि महाराजगंज केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन और भवन निर्माण के लिए राशि उपलब्ध कराएं।

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का समय दिया, आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री जनार्दन सीग्रीवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

KUMARI AGATHA K. SANGMA (TURA): Mr. Speaker, Sir, I thank you very much for giving me an opportunity to speak.

माननीय अध्यक्ष : कुमारी अगाथा के. संगमा, आपको कल भी मौका दिया था, कल आप उपस्थित नहीं थीं।

कुमारी अगाथा के. संगमा : महोदय, यह कल बाय मिस्टेक आ गया था, मैंने लास्ट वीक दिया था। लेकिन आज मैंने इंटेन्शनली दिया है।

Sir, this summer season has seen punctuated multiple heat waves. According to the IMD report, the average temperature is higher than the 2018 summer. But the latest report of the Centre for Science and Environment has conclusively established that electricity demand of Delhi is directly linked to temperature and humidity conditions. In fact, over 50 per cent of the electricity consumed in Delhi during summer months is to cool the buildings. Interestingly, demand for electricity is more during nights. This clearly shows that the buildings in this city are not able to cope up with the environmental conditions and it is forcing people to use more energy-intensive air-conditioning to keep their buildings cool. 'Mid-night demand peaks' indicate that the households are more stressed. Given the fact that ACs throw waste heat outside and make cities hotter, it is also a coal-based power which is one

of the leading green house gas emissions. It is a vicious cycle. Hotter it gets, the more we need to cool and the more ACs we need to use.

I would like to urge upon the Government to ensure that steps are taken to make buildings more energy-efficient. That also takes care of the cooling aspect of the buildings. I would request the Government to take measures in terms of legislations, notifications, etc. so that buildings are made in more sustainable and energy efficient. With the result, buildings would become cooler and we would not need to use that much of air-conditioning at this time of summer.

माननीय अध्यक्ष: कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को कुमारी अगाथा के. संगमा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, according to the Press Release dated 22nd November, 2018, the Cabinet Committee on Economic Affairs had taken a decision that the procurement of 100 per cent jute bags for all sectors and 20 per cent for sugar will be made. But this procurement is not being made. This is a decision of the Central Government and the aim is to help the jute industry. The jute industries are really suffering. In two districts of Hooghly and North 24 Parganas of West Bengal, we have at least 25 jute mills. They are all suffering. I would request that the Ministry of Textile must implement this Cabinet decision which was taken for the purpose of procurement of jute bags from the jute mills. But no procurement is being made. Around 60 per cent jute mills have closed down and lakhs and lakhs of

jute workers have become unemployed. Therefore, my request is that procurement should start immediately.

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने की अनुमति दी इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा विषय पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत कृषि की दृष्टि से आर्थिक उन्नति का आधार है। मैं जानती हूँ कि महात्मा गांधी जी ने कृषि को 'भारत की आत्मा' कहकर पुकारा था। आज भी भारत की ग्रामीण जनता कृषि पर ही आधारित है। हमारी सरकार के नेतृत्वकर्ता ने कृषकों की चिंता की है।

माननीय अध्यक्ष जी, यशस्वी प्रधान मंत्री जी के सपने को पूरा करने के लिए योजना बनाकर काम करने की अति आवश्यकता है, तभी हम किसान की आय को दोगुना कर सकते हैं। जैविक कृषि की उन्नति, फल, साग-सब्जी एवं दुधारू पशुपालन की समेकित योजना प्रत्येक जिले में लागू की जाएगी तभी इस कल्पना को पूरा किया जा सकता है। इसके लिए कृषि विभाग को जागरूकता अभियान चलाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्षेत्रवार भूमि के स्वास्थ्य के अनुरूप फसलों को चिह्नित करना होगा, साथ ही उनकी उपज का उचित मूल्य मिले इसकी व्यवस्था भी साथ-साथ करनी पड़ेगी। कृषि विभाग ने कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की है, लेकिन कृषि विज्ञान केन्द्र निष्क्रिय पड़े हुए हैं। राजस्थान के सारे कृषि विज्ञान केन्द्र काम नहीं कर रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र का कृषि विज्ञान केन्द्र ऐसा है, जिसको देखकर दुःख होता है कि वहां घास भी उगी हुई नहीं है और वैज्ञानिकों पर लाखों रुपये प्रति महीने खर्च होता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि हम कृषि की आय को दोगुना करना चाहते हैं, दस गुना करना चाहते हैं तो समेकित योजना बनाकर काम किया जाना चाहिए।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to raise an issue during 'Zero Hour'.

For the last one week or so we have been deliberating on history and history is a very interesting subject. Through you, I would like to draw the

attention of the House to the fact that the West Bengal Assembly passed a Resolution to conduct an investigation on the mysterious death of the late Shyama Prasad Mookherjee when he was incarcerated in Jammu and Kashmir. Till date no such investigation has been conducted. But the Resolution of the West Bengal Assembly is still there. It was sent to the Union Government, especially to the then Home Ministry to conduct an investigation to find out what was the cause of the death of the late Shyama Prasad Mookherjee.

The late Shyama Prasad Mookherjee was the first *Udyog Mantri* of Independent India. He relinquished the post of Ministership in 1950. After that my father took over from Eastern India as the representative. Both of them visited Cuttack, my Parliamentary constituency, where Shyama Prasad Babu was accorded a very huge reception. He was very much popular not only in Bengal but also in Eastern India and also in the country. Later on, no doubt, he became the founder of the *Bhartiya Jan Sangh*. He was fighting against the mistake that was being committed by interpolation of article 370 and later article 35A.

But my point here is this. A Resolution was moved by West Bengal Assembly and sent to the Union Government to conduct an impartial investigation relating to his death. I would now urge upon the new dispensation that has come to power at the Centre, to take this up and conduct an impartial investigation into the cause of his death. The mysterious disappearance of Netaji Subhas Chandra Bose has been investigated. I would now like to urge

upon this Government to conduct an investigation relating to the death of Shyama Prasad Babu.

Thank you.

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, बात न करें, प्लीज। आप नोट कर लें जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): स्पीकर महोदय, आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र का महत्वपूर्ण विषय उठाने की अनुमति दी है। मैं अहमदाबाद से आता हूँ। केन्द्रीय विद्यालय के बारे में देखा जाए तो बहुत हाई क्वालिटी एजुकेशन इन विद्यालयों के बारे में देखने को मिलती है। अहमदाबाद शहर रेलवे लाइन की वजह से दो भाग में बंटता है, एक पूर्वी भाग है और एक पश्चिमी भाग है। सभी केन्द्रीय विद्यालय पश्चिमी भाग में हैं। पूर्वी भाग में एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। राइट टू एजुकेशन में ऐसा प्रावधान है कि 6 किलोमीटर के दायरे में ही एजुकेशन मिलती है, किन्तु फिर भी इनको वहां एडमिशन नहीं मिलता है। मेरी आपके माध्यम से सरकार और मंत्री जी से प्रार्थना है कि मेरे मतक्षेत्र गोमतीपुर, लाबा, निकोल, इन्द्रपुरी, अमराईवाडी में कम से कम 2 केन्द्रीय विद्यालय खोलने की अनुमति मिले। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि हमारे ऊपर बहुत केन्द्रीय विद्यालय के लिए का दबाव आता है। आजकल सभी सांसदों पर केन्द्रीय विद्यालय के लिए दबाव आता है। केन्द्रीय विद्यालय की जो 10 सीटें हमें देने का अधिकार है, उसे 50 तक बढ़ाया जाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. किरिट पी. सोलंकी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): माननीय अध्यक्ष जी, आज जो इशूज मैं यहां उठाने जा रहा हूं, उसकी नैशनल और हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है। जितने भी माननीय सदस्य यहां हैं, कट अक्रॉस द पार्टी लाइन वे मुझे इसमें सपोर्ट करेंगे। इससे पहले कि मैं इशूज बोलूं, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। जब आप स्माइल करते हैं, हमारे पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि स्माइल के साथ ही घंटी बज जाती है। अतः कृपया दो मिनट स्माइल मत कीजिए।

सर, जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, उसका 100वां साल हमने आब्जर्व किया। माननीय राहुल जी और पंजाब के हमारे माननीय मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने उसमें शिरकत की थी। सर, जलियांवाला बाग में जो दो आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स हैं, एक तो फ्लेम शेल्ड स्ट्रक्चर है, दूसरा जो शहीदी वेल है, उस पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे रेनोवेट करने के लिए उसका ब्यूटीफिकेशन करने के लिए उस पर काम शुरू किया, लेकिन अफसोस की बात है कि शहीदी कुएं के ऊपर 100 साल पुराना जो स्ट्रक्चर था, उसे तोड़ दिया गया है, जो कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी और देश के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसके लिए मिनिस्टर ऑफ कल्चर से कहें कि जिन्होंने तोड़ा है, उनके ऊपर कार्यवाही हो और उसके जैसा दूसरा स्ट्रक्चर वहां बनवाया जाए। धन्यवाद।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): अध्यक्ष जी, धन्यवाद। आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है। मैं सत्रहवीं लोक सभा में पहली बार अपने क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण विषय को आपकी अनुमति से उठाने जा रहा हूँ। महोदय, मैं बिहार के औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से चुनकर आया हूँ, जो पूरा का पूरा पठारी व जमीनी तपिश, अत्यधिक तापमान, प्रचण्ड लू चलने वाला और भू-जल के अभाव वाला इलाका है। देश में जल की कमी को महसूस करते हुए इस गंभीर विषय पर अपना संज्ञान लेकर और इस दिशा में ठोस कार्यवाही के लिए हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने पहल शुरू की है। इसके लिए एक जल शक्ति मंत्रालय का गठन भी हुआ है, लेकिन मैंने आज अखबार में एक खबर पढ़ी, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा देश के लगभग 300 जिलों के

लगभग 1600 प्रखण्डों को चिह्नित किया गया है, जो जल क्षेत्र के अभाव वाले इलाके हैं, जिसमें हमारे संसदीय क्षेत्र का आधा हिस्सा है जो गया जिले में आता है। गया जिले का नाम तो उस सूची में है लेकिन औरंगाबाद जिले का नाम उस सूची में नहीं है, जबकि हमारे यहां लोगों को तीन-तीन किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है।

पानी का कोई विकल्प नहीं है। भूजल का स्तर इतना नीचे चला गया है कि लगभग सारे हैण्डपम्प्स सूख गए हैं। मेरा आपके माध्यम से, सरकार से, जलशक्ति मंत्रालय से यह निवेदन है, आग्रह है, मांग है कि औरंगाबाद जिले को भी उस सूची में शामिल किया जाए, ताकि वहां पीने के पानी का प्रबन्ध भारत सरकार की उस योजना के माध्यम से हो सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं डॉ. निशिकांत दुबे को श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कई विषयों पर जब चर्चा होगी, बजट, रेल आदि ऐसे विषय हैं, जिन पर डीटेल्ड चर्चा होगी, उस समय आप डीटेल्ड बात कह सकते हैं। शून्य काल में केवल वही सब्जेक्ट उठाना चाहिए, जो अर्जेंट मैटर हो। इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि बजट पर पहली बार इतनी लम्बी चर्चा होगी कि आप जितना बोलना चाहेंगे, उतना समय आप लोगों को मिलेगा।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, मेरा एक सवाल है। आप कह रहे हैं कि अभी इम्पोर्टेंट अर्जेंट मैटर उठाइए, क्या एक भी कैबिनेट मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं? लोग किसके लिए बोलेंगे? इतने दूरदराज एरिया से आए हैं, पहली बार बोलेंगे। ...(व्यवधान) यहां एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप विराजें, मैं व्यवस्था देता हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट बैठिए, मैं व्यवस्था देता हूँ।

...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, please give me one minute....(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य सुरेश जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय वरिष्ठ सदस्य, अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है और माननीय मंत्री जी मुझसे इजाज़त लेकर गए हैं।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : सर, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंटरी अफेयर्स भी यहां नहीं हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, please give me one minute....(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : कोई आवश्यकता नहीं है, नियम में ऐसा नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंह जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): स्पीकर साहब नए लोगों को मौका दे रहे हैं।... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : लेकिन वे सुनें तब न। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र सिंह जी, आप बोलिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही गंभीर विषय पर आपके माध्यम से संसद का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो देश के लिए बहुत गंभीर है। आज ... * के एक न्यायाधीश ने बयान दिया है कि ... * ... (व्यवधान) मुझे बोलने दीजिए। ... * में परिवारवाद और जातिवाद के आधार पर नियुक्ति हो रही है, फैसले हो रहे हैं। यह देश के लिए बहुत ही गंभीर विषय है और गंभीर सवाल है। इस विषय पर दोनों सदनों में चर्चा करनी चाहिए।

अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करता हूँ कि अगर न्यायपालिका पर भरोसे का संकट पैदा हो जाएगा तो लोकतंत्र पर संकट होगा। अभी तक लोकतंत्र की जितनी भी संस्थाएँ हैं, उनमें न्यायपालिका एक ऐसी संस्था है, जिस पर देश के करोड़ों लोगों का भरोसा है। जब व्यवस्थापिका पर परिवारवाद और जातिवाद का संकट पैदा हुआ तो बहस खड़ी हुई, देश की जनता ने परिवारवाद और जातिवाद को खारिज किया। मैं इस बात को चिन्तापूर्वक, आपके माध्यम से, देश और संसद को बताना चाहता हूँ कि जब न्यायपालिका पर परिवारवाद और जातिवाद का एक न्यायाधीश द्वारा ही आरोप लगाया जा रहा है तो फैसला कहां होगा?

अध्यक्ष जी, जब लोगों की उम्मीद न्यायपालिका से टूट जाएगी तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, मुझे लगता है कि लोकतंत्र पर खतरा पैदा हो जाएगा, फिर अराजकता फैल जाएगी, कानून टूटने लग जाएंगे। इसलिए इस गंभीर चिन्ता पर पूरे सदन को बहस करनी चाहिए और एक रास्ता निकाला जाना चाहिए कि न्यायपालिका पर भरोसा कायम रहे।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

* Not recorded.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): अध्यक्ष महोदय, मैं दो लाइन बोलना चाहती हूँ कि

नारी जब जागती है तो अधिकार मांगती है
प्रेम से पुकारो तो प्यार बांटती है
मां बहन और बेटी बन कर समाज को संभालती है
अपराधियों का दुर्गा बन कर संहार करती है।

आज हम यह इसलिए सुना रहे हैं कि नारियों को थोड़ी-सी जगह मिली है और वे अधिकार से अपना काम कर रही हैं। अध्यक्ष महोदय बहुत अच्छी तरह महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। आपने पहली बार चुनी गई महिलाओं को बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ।

शून्य काल के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्रांतर्गत पूर्व मध्य रेलवे जोन के समस्तीपुर रेलवे मंडल अंतर्गत दरभंगा, रक्सौल रेल खंड पर अवस्थित गुरहनवा रेलवे हॉल्ट बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। जहां यात्रियों के लिए न तो पेयजल की व्यवस्था है और न ही शौचालय की व्यवस्था है। वहां प्रतीक्षालय भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है।

महोदय, उक्त गुरहनवा रेलवे हॉल्ट, भारत-नेपाल सीमा पर अवस्थित है, जो बाढ़ प्रभावित इलाका भी है, जहां वर्षा के दिनों में रेलवे ट्रैक पर पानी का जल-जमाव हो जाता है, जिससे ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होता है। इस लिहाज से प्लेटफॉर्म का उच्चीकरण भी नितांत आवश्यक है। स्टेशन भवन काफी पुराना होने के कारण जर्जर हो चुका है। वहां यह तकलीफ वर्षों से है। मैं पूरी बात कहना चाहती हूँ। प्रतिदिन सैकड़ों यात्री रेलवे से यात्रा करते हैं, इसके बावजूद यहां विभागीय फोन भी नहीं है। मीटर गेज के वक्त यहां पर कंट्रोल फोन लगा है, परन्तु बड़ी लाइन सेवा प्रारंभ होने के बाद कंट्रोल फोन का कनेक्शन नहीं जोड़ा गया है और न ही मैग्नेट फोन दिया गया है। जिससे यात्रियों को गाड़ी की आगमन-प्रस्थान की सही जानकारी नहीं मिल पाती है।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध होगा कि जनहित में संसदीय क्षेत्रांतर्गत पूर्व मध्य रेलवे जोन के रक्सौल सीतामढ़ी रेलवे खंड पर अवस्थित गुरहनवा रेलवे हॉल्ट पर बुनियादी

सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही, एक कार्य योजना के तहत वहां जर्जर हो चुके प्रतीक्षालय को बनावाया जाए। आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं।

श्री हरीश द्विवेदी (बस्ती): माननीय अध्यक्ष जी, देश और दुनिया के सभी हिन्दुओं की आस्था के केन्द्र, भगवान श्री राम के जन्म के लिए राज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराई थी। वह स्थान मखौड़ा धाम बस्ती जिले में है। वहां प्रति वर्ष हिन्दुस्तान और दूसरे देशों के श्रद्धालु लाखों की संख्या में 84 कोसी परिक्रमा करते हैं, लेकिन वे घाघरा नदी को नाव से पार करके जाते हैं। वह यात्रा पांच जिलों में जाती है – बस्ती, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी और गोंडा।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि घाघरा नदी पर शेरवाघाट के एक पुल का कार्य बहुत दिनों से लंबित है, उसको बनवाने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री रितेश पाण्डेय और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री हरीश द्विवेदी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अजय टम्टा (अल्मोड़ा): अध्यक्ष महोदय, मुझे 17 वीं लोक सभा में पहली बार बोलने का मौका मिला है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षण कर रहा हूँ। मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से चुन कर सांसद बना हूँ। सीमांत क्षेत्र नेपाल, चीन और तिब्बत का जो बॉर्डर है, उसमें पिथौरागढ़ में पिछले 25 सालों से रनवे का काम चल रहा था, एयर पट्टी बनने का काम चल रहा था, उस पर एयर लैंडिंग नहीं थी। आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन से, सरकार के माध्यम से डीजीसीए और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्लियरेंस के बाद रनवे पर जहाज उतरने की अनुमति मिली। 8 अक्टूबर, 2018 को गृह मंत्री, वर्तमान में रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उत्तराखंड के माननीय मुख्य मंत्री और हम सभी सांसदों के माध्यम से इसका शुभारंभ किया गया। इस रनवे पर प्राइवेट एयर हेरिटेज के माध्यम से जहाज उड़ाने का काम किया गया। इसमें लगातार एक महीने की टिकट की बुकिंग भी हुई। यह

सीमांत क्षेत्र है। हमें इस जगह जाने में 20-22 घंटे लगते हैं। जहाज से यात्रा करने के लिए देहरादून, पंत नगर और पिथौरागढ़में रनवे का काम चल रहा था, उड़ान का काम चल रहा था, मगर 9 फरवरी, 2019 को विमान ने पंत नगर से पिथौरागढ़ के लिए उड़ान भरी तो विमान का फाटक हवा में खुल गया।

चालक दल ने बहुत सूझ-बूझ से काम लिया और विमान की लैंडिंग कराई। इसमें किसी तरह का जान-माल का नुकसान नहीं हुआ। चूंकि इसे 'उड़ान' योजना के अंतर्गत लिया है, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसे एयर इंडिया या हैरिटेज कम्पनी या जो भी इसे चलाना चाहते हैं, वे चलाएं। यह सीमांत क्षेत्र का मामला है, सीमांत के लोगों को सुविधा देने का मामला है, इसलिए इस अति महत्वपूर्ण मामले को सरकार के समक्ष लाना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री अजय कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अर्जुन सिंह (बैरकपुर): महोदय, मैं आपको नमन करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं पहली बार सांसद बना हूं। मैं अपने संसदीय क्षेत्र से लगे हुए जिले की बात रखना चाहता हूं। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समस्या के बारे में मैं बोलना चाहता हूं। हिंदू धर्म में गाय प्राचीन काल से वंदनीय और पूजनीय रही है। गाय की स्मगलिंग पश्चिम बंगाल के तमाम बार्डर इलाकों में इस कदर हो रही है कि मुझे शर्म से कहना पड़ता है कि यह घिनौना काम राज्य सरकार, 'पीसी भाइपो' की जो सरकार है, उसके माध्यम से हो रहा है। भारतवर्ष से बांग्लादेश में लाखों गायें जाती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बीएसएफ के जो अधिकारी हैं, यदि इसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें मिथ्या मामले में फंसाया जाता है।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से यही आग्रह करना चाहता हूं कि बांग्लादेश से फेक करेंसी आती है और ड्रग्स आती है। पश्चिम बंगाल के युवाओं को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है।...(व्यवधान) वहां व्यापक रूप से फोर्स की व्यवस्था की जाए और सीसीटीवी कैमरा बार्डर पर लगाए जाएं, ताकि इस अत्याचारी शासन

को खत्म किया जाए।... (व्यवधान) ये ... * समुदाय के लोग हैं, इनको खत्म किया जाए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री अर्जुन सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मारगनी भारत।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सिर्फ श्री मारगनी भारत की बात रिकार्ड में जाएगी।

... (व्यवधान)

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Hon. Speaker Sir, thank you for giving me the opportunity to speak. I would like to draw your attention to the road accidents happening everywhere, in fact, every second, across the country. Day before yesterday, in Jammu and Kashmir valley, almost 35 people were killed in a mishap. In this connection, I would like to draw your kind attention to my constituency, Rajahmundry, which is located on the National Highway 5 running between Kolkata and Chennai.

In my constituency, there are five major accident-prone junctions, where the situation is really petrifying. Out of these five major accident-prone junctions, only one junction was sanctioned by the hon. Minister. The rest of the four junctions have to be sanctioned. ... (Interruptions). I will give my proposal and complete it. ... (Interruptions).

* Not recorded.

I request hon. Minister and the Government of India to sanction one single flyover, so that the traffic coming to the city comes under the flyover and all the major vehicles will go on the flyover. So, you could save as many lives as possible, and you will be considered remarkably noble. I would like to urge upon the hon. Minister to initiate the work at the earliest.

श्री सतीश कुमार गौतम (अलीगढ़): अध्यक्ष जी, मैं अपने लोक सभा क्षेत्र अलीगढ़ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जहां केंद्र शासित अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी है। जिस तरह से बीएचयू में एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण मिलता है, कांग्रेस की गलतियों के कारण मेरी यूनीवर्सिटी में न एससी को आरक्षण मिलता है, न ओबीसी को आरक्षण मिलता है, न एसटी को आरक्षण मिलता है। कांग्रेस के रहते हुए यह आरक्षण खत्म किया गया।...(व्यवधान) पूर्व के एचआरडी मिनिस्टर ने यूनीवर्सिटी को पत्र जारी किया था। आज मेरे क्षेत्र के एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चे तड़प रहे हैं, क्योंकि वे उस यूनीवर्सिटी में पढ़ नहीं सकते हैं। यह कांग्रेस की देन थी कि आज उस यूनीवर्सिटी में आरक्षण नहीं है।...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Sir, he cannot make wild allegations against the Congress party...*(Interruptions)*

श्री सतीश कुमार गौतम : केंद्र की सरकार के पैसे से वह यूनीवर्सिटी संचालित होती है, लेकिन आज कांग्रेस की बदौलत वहां एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि चूंकि केंद्र सरकार के पैसे से यह यूनीवर्सिटी चलती है, इसलिए उसमें एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों को आरक्षण मिलना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री सतीश कुमार गौतम द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Thank you, Mr. Speaker, Sir. I am going to raise an urgent matter of public importance; and I would make it very quick.

Sir, Bytedance, which runs *Helo* and *TikTok* Apps is the world's most valuable start-up. Its App *TikTok* has reportedly crossed one billion downloads worldwide, and has over 300 million users in India. Its applications collect 45 per cent more information and permissions than any other Apps granting them intrusive access to their users.

Bytedance also runs a network of paid influencers, who receive Rs. 1 lakh per month. In 2019, Facebook removed over 11,000 fake or morphed election-related media shared by *Helo* in India.

There was also widespread use of *TikTok* for campaigning by political parties during the recently conducted elections. We have also seen people spreading fake news and malicious content under the guise of freedom of speech, which is impacting our democratic process. Under the garb of a light-hearted application, *TikTok* and its affiliates pose a serious threat to India.

So, I would request the Government of India to take appropriate action to ban *TikTok* and other such similar Apps in the country and to direct Google, Apple, Android etc., to remove such Apps from their platforms.

Thank you, Sir.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश में हम लोग अभी चुनाव लड़कर आए हैं। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कोई-न-कोई कानून बना रखा है। लेकिन, फेसबुक के माध्यम से, जैसा कि अभी जयदेव गल्ला जी बोल रहे थे, विभिन्न ऐप्स या नेट के माध्यम से प्रत्येक जिले और प्रत्येक ब्लॉक में पत्रकार खड़े हो गए हैं, जो आपके सामने माइक लगा देते हैं और आपकी प्राइवैसी पर हस्तक्षेप करते हैं। इनसे तबाह होते हुए, अभी सारे मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव लड़कर आए हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया एक गाइडेड कानून के तहत देश में काम कर रहे हैं, उसी तरह से गुगल, फेसबुक आदि जो पेड न्यूज़ या जिस प्रकार के भी न्यूज़ के माध्यम हैं या सोशल मीडिया है, इनको कंट्रोल करने के लिए सरकार को एक कड़ा कानून बनाना चाहिए ताकि लोगों की प्राइवैसी पर हस्तक्षेप न हो सके।

माननीय अध्यक्ष: यह बहुत अच्छा विषय है और सदन की चिन्ता का विषय है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। यदि आप नियम 193 के तहत चर्चा के लिए सूचना देंगे, तो हम इस पर चर्चा कराएंगे।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री एस.सी.उदासी, डॉ. राजदीप राय एवं श्री दुष्यंत सिंह को श्री निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी (मल्काजगिरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तीन दिनों से अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए thank you very much.

महोदय, एक बहुत गंभीर समस्या है। लगभग सौ साल से अधिक से यह समस्या लगातार बनी हुई है। सरसाला विलेज, कागज़नगर मण्डल, कोमाराम भीम आसिफ़ाबाद जिला, तेलंगाना में चार दिनों से एक मामला चल रहा है। फॉरेस्ट में प्लांटेशन के लिए जो ऑफिसर्स जा रहे हैं, तो वहाँ आदिवासी लोग फॉरेस्ट ऑफिसर्स को मार रहे हैं। 30 तारीख को वहाँ पर ऑफिसर्स गए हुए थे, तो पूरे आदिवासी लोगों ने ऑफिसर्स को मारा, जिसके कारण ऑफिसर्स के हाथ टूट गये हैं।

Komaram Bheem, who was the first Indian Tribal Guerrilla Warier, वे इसके लिए निज़ाम सरकार के खिलाफ लड़कर शहीद हो गए। लेकिन, आज सौ साल के बाद भी यह समस्या वैसी ही बनी हुई है। जहाँ गोदावरी प्रांत है, वहाँ पर राज्य सरकार चुनाव हार गई। अभी राज्य सरकार में जो पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ अभी चुनाव में भाजपा को वोट दिया गया है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स को वहाँ भेजा जा रहा है और आदिवासियों को कहा गया कि ये वही लोग हैं, ऐसा कहकर उन फॉरेस्ट ऑफिसर्स को मारने-पीटने के लिए सुझाव दे रहे हैं। ...(व्यवधान)

इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से कहना चाहता हूँ कि there is no coordination between the Forest Officers and the Revenue Officers.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको बोलने की इजाजत नहीं दी गई है। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी : सर, रेवेन्यु डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ...(व्यवधान) वहां कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ...(व्यवधान) कल भी जो सदस्य बोले थे, उनके इलाके में और मुलकलापल्ली, भद्राचलम और खम्माम डिस्ट्रिक्ट में कल भी फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ आदिवासियों ने मारपीट की। ...(व्यवधान) इसका मतलब है कि यह पांच लाख हैक्टेयर की समस्या है। ...(व्यवधान) ये आदिवासी जंगलों में जी रहे हैं। ...(व्यवधान) इन लोगों को जंगल से निकालने के लिए यह सरकार कोशिश करे, इसलिए मैं आपके माध्यम से फॉरेस्ट मिनिस्टर और गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि फिफ्थ शेड्यूल में जो आएगा, वह ...* पूरा ठेकेदार है। ...(व्यवधान) आप ...* को यह आदेश दीजिए कि वे इसका इमिडिएट रिव्यू कर के इसमें जो-जो लोग शामिल हैं, उन सब को न्याय मिले। ...(व्यवधान)

श्रीमती लॉकेट चटर्जी (हुगली) : स्पीकर महोदय, नमस्ते।

मैं आज सदन में बंगाल में जो हो रहा है, उसके बारे में बोलना चाहती हूं। ...(व्यवधान) श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल आज जल रहा है। ...(व्यवधान) हुगली से, गुराप से लेकर गायघाट और गंगारामपुर से लेकर गंगासागर, सब जगहों पर आज जय श्री राम(व्यवधान)

** Sir, today from Gurap to Gaighata, Gangarampur to Ganga-sagar, whoever is chanting 'Jai Sri Ram' is being gunned down like a terrorist by the police and Trinamool ... * They hit Joychand Mallick and Sagar Baul Das in Gurap with bullets today. I wish to tell you that 'Jai Sri Ram' is the clarion call of India, Sri Ram is the heartfelt chant of the Indians 'Jai Sri Ram' is the symbol of honesty, indicative of good governance, and justice. It brings people together, irrespective of caste, creed or religion. ... * gets down from her car and rushes towards the persons

* Not recorded.

** English translation of the speech originally delivered in Bengali.

who raise the 'Jai Sri Ram' slogan. Police cases are filed against them. In Ramayan, we find Hanumanji chanting the Jai Sri Ram slogan. ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती लॉकेट चटर्जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कोई भी आपत्तिजनक शब्द रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही तीन बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.37 hrs

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Thirty Minutes past Fifteen of the Clock.

15.32 hrs

*The Lok Sabha reassembled after Lunch at Thirty -Two
Minutes past Fifteen of the Clock.*

(Shrimati Rama Devi in the Chair)

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है व जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामले के पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा, जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया है। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

* Treated as laid on the Table.

**(i) Regarding flood control measures in Misrikh Parliamentary
Constituency, Uttar Pradesh**

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मल्लावां-बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र गंगा नदी से बाढ़ प्रभावित इलाका है। यहां पर प्रत्येक वर्ष गंगा नदी में बाढ़ आने पर कटरी -कछदु-परसौला-छिबरामऊ सहित काफी गांवों की न केवल फसल बर्बाद हो जाती है बल्कि उनके मकान भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं जिसके कारण वे आवास विहीन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कृषि उपज बर्बाद होने पर जहां उनकी जीविका का सहारा समाप्त हो जाता है वहीं वे बेघर भी हो जाते हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गंगा नदी से बाढ़ प्रभावित ग्रामों का उच्चीकरण कराने, पानी का फैलाव रोकने, आवास विहीन ग्रामीणों को आवास की व्यवस्था कराए जाने तथा प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से बचाए जाने हेतु एक बांध मेंहदीघाट से होते हुए राजघाट सड़िया पुल तक केन्द्रीय आवंटन से बनाए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाएं और प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के लिए राहत और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।

**(ii) Regarding pending projects of Godda Parliamentary
Constituency, Jharkhand**

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): Deoghar has been included in the list of prominent cities and has been declared as mega tourist destination by the Ministry of Tourism, Government of India. Deoghar is the unique and extremely revered site of one of the 51 Shaktipeeths and also of Dwadash Jyotirlinga in the country. It is a religious and cultural capital of Eastern India which catapulted the holy place to the International level and is visited by over 5 crore pilgrims every year.

I wish to submit the following level points for your kind consideration:-

- (1) Regarding the requirement of land for the proposed Military Station, the area available will be approximately 400 acres to 500 acres which can be reduced or increased once the feasibility is done. The land will be near the ongoing DRDO centre project at Deoghar (Jharkhand).
- (2) DRDO Lab at Deoghar.
- (3) Ordnance Factory or any defence infrastructure project at Deoghar.
- (4) Sainik School at Godda (Jharkhand).
- (5) Defence recruitment centre at Deoghar.

As we know well that large parts of the state are affected by Naxalism and terrorism. The spread of Naxalism and terrorism is an indication of the sense of desperation and alienation that is sweeping over large sections of

Jharkhand's Santhal Pargana region, which has not only been systematically marginalized but also cruelly exploited and dispossessed.

Jharkhand Government is more than willing to extend a helping hand for the above mentioned projects.

**(iii) Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Kekri in Ajmer
Parliamentary Constituency, Rajasthan**

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): मेरे संसदीय क्षेत्र अजमेर के केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित एक भी केन्द्रीय विद्यालय स्थापित नहीं होने से क्षेत्रवासियों एवं छात्र-छात्राओं में रोष व्याप्त है। इस विधान सभा क्षेत्र में 51 ग्राम पंचायतें, 2 नगर पालिका, 2 पंचायत समिति, 4 तहसील, 1 उपतहसील तथा 4 पुलिस थाने स्थापित हैं। इस क्षेत्र में लगभग 2,55,000 मतदाता हैं। केकड़ी शहरी मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, पं.स. कार्यालय, तहसील कार्यालय, अति. पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय, उपकोषाधिकारी कार्यालय, सहायक निदेशक कृषि कार्यालय, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, 3 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं 5 निजी महाविद्यालय, 3 बीएड कॉलेज सहित 25-30 निजी विद्यालय संचालित हैं। केकड़ी परिक्षेत्र में भारतीय सेना के 700 पूर्व व वर्तमान सैनिक परिवार भी निवास करते हैं लेकिन अजमेर जिले में अजमेर शहर, किशनगंज, नसीराबाद एवं ब्यावर में केन्द्रीय विद्यालय संचालित होने से केकड़ी परिक्षेत्र के वाशिंगटन, छात्र-छात्राओं एवं सैनिक परिवारजनों को उक्त स्थापित केन्द्रीय विद्यालय की 70 से 80 कि०मी० की दूरी पर स्थित होने के कारण इनमें शिक्षा अध्ययन का समग्र लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर गत 15 वर्षों में केकड़ी परिक्षेत्र के आसपास बीसलपुर बांध डूब क्षेत्र के सैंकड़ों गांवों के परिवारजन भी बस गये

अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि केकड़ी (अजमेर) परिक्षेत्र की उक्त वस्तुस्थिति विभागीय स्तर पर अवलोकन कराकर यहां पर केन्द्रीय मानव संसाधन विभाग की विभागीय योजना वर्ष 2019-20 में एक नवीन केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना को स्वीकृत करवाने का कार्य करायें।

(iv) Regarding drinking water problem in Jhunjhunu Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री नरेन्द्र कुमार (झुंझुनु) : झुंझुनु (राजस्थान) के विधानसभा क्षेत्र उदयपुर व सूरजगढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र में पानी की कमी है। शहरों व ग्रामों में विभागीय पेयजल व्यवस्था है जो पूर्णतः भू जल पर आधारित है। जल स्रोत नलकूप/हैंडपंप सूख रहे हैं। पेयजल की समस्या के स्थाई समाधान हेतु सूरजगढ़ एवं उदयपुरवाटी विधान सभा क्षेत्र के 85 ग्रामों व ढाणियों हेतु कृमशः राशि रूपये 718.41 करोड़ रुपए एवं 61 2.25 करोड़ रुपए की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 25.04. 2016 राज्य सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है। वर्ष 2016-17 के बजट घोषणा में इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से मिले वित्त पोषण के माध्यम से कार्य प्रारंभ करवाने की घोषणा की गई। दिनांक 1 6.5.20 1 8 को भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय (MOWS) द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (DEA) की स्वीकृति हेतु भिजवाई गई थी। जायका की बाह्य वित्तीय सहायता हेतु इस संबंध में दिनांक 22.4.2019 को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में Department of Economic Affairs के निदेशक श्री अविनाश कुमार मिश्रा द्वारा जन स्वा.अभि.विभाग जयपुर राज. जायका के साथ बैठक कर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है व दिनांक 01.06.2019 को जायका मिशन द्वारा जाय वित्तीय सहायता प्रदान करने जायका के रोलिंग प्लान में शामिल करने हेतु सूरजगढ़ व उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा भी किया जा चुका है। अतः सरकार से साग्रह अनुरोध है कि क्षेत्र में पेयजल समस्या की गंभीरता को देखते हुए इस संबंध में त्वरित आवश्यक कार्यवाही कर मेरे संसदीय क्षेत्र की पेयजल संकट से जूझती जनता को राहत प्रदान करने का कष्ट करें।

**(v) Need to establish a head post office in Kaushambi district,
Uttar Pradesh**

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): कौशाम्बी 4 अप्रैल 1997 को इलाहाबाद से अलग होकर नया जनपद बना जहां अब तक प्रधान डाकघर नहीं बन पाया है जिसके कारण पत्राचार में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रधान डाकघर न होने के कारण पत्र पहुंचने में देरी होती है एवं विदेश मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना प्रत्येक जनपद में पासपोर्ट सेवा केन्द्र की भी शुरुआत मेरे यहां नहीं हो पा रही है एवं आधार कार्ड भी बनवाने में परेशानी होती है। जनपद कौशाम्बी में प्रधान डाकघर न होने से कौशाम्बी की जनता सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभ से भी वंचित हो रही है।

अतः मैं माननीय मंत्री दूरसंचार से आग्रह व मांग करता हूँ कि जनपद कौशाम्बी में जल्द से जल्द प्रधान डाकघर खुलवाने की कृपा करें।

**(vi) Need to implement AMRUT scheme in Jhansi Parliamentary
Constituency, Uttar Pradesh**

श्री अनुराग शर्मा (झांसी): मैं बुंदेलखंड के झॉसी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि मेरे क्षेत्र में बहुत समय से वर्षा नहीं होने के कारण पानी की अत्यधिक समस्या है जिसके कारण पीने के पानी हेतु भी काफी दूर तक जाना पड़ता है। पानी की कमी के कारण खेती एवं रोजमर्रा के जीवन में मुश्किल हो रही है। लोग अपना घर छोड़ कर पलायन को मजबूर हो गये हैं। कबीर साहब की पंक्ति मेरे क्षेत्र पर सटीक बैठती है

रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून।

पानी गये न ऊबरे, मोती, मानुष, चून।।।

मेरा सरकार से निवेदन है कि अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफोर्मेशन अमृत योजना को जल्द से जल्द पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने की कृपा करें। इस योजना से समग्र बुन्देलखंड के विकास को सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई और अन्य कृषि पद्धतियों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो, जिससे स्वच्छ पेयजल की कमी की गंभीर समस्या का हल हो सके।

**(vii) Need to construct a pucca bridge on river Ganga between
Prayagraj and Bhadohi districts in Uttar Pradesh**

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी (इलाहाबाद) : प्रयागराज से दो नदियों का प्रवाह है - गंगा व यमुना नदियां । इस जनपद का ग्रामीण क्षेत्र दो भागों में बंटा है - गंगापार व यमुनापार । मेरा संसदीय क्षेत्र इलाहाबाद 80 प्रतिशत यमुनापार में है । संगम से जब गंगा नदी मिर्जापुर की ओर बढ़ती है तो 100 किलोमीटर तक नदी पर कोई पुल नहीं है जिसके कारण यमुनापार व गंगापार के बीच सम्पर्क केवल या तो प्रयागराज नगर अथवा मिर्जापुर से सड़क मार्ग द्वारा ही संभव होता है । इसमें लगभग 50 से 100 किलोमीटर का अंतर आता है । इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र को गंगापार से जोड़ने के लिए मेजा तहसील में पीपे का पुल बनाया जाता है । यह लगभग एक किलोमीटर लम्बा होता है । प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में इसे हटा लिया जाता है और आवागमन हेतु लोग नाव का सहारा लेते हैं । विगत वर्षों में नदी में डूब कर कई जानें जा चुकी हैं । 2001 से लगातार पन्टून पुल बनाया जाता है, वह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सीतामढ़ी व बाबा महाराज को भी आपस में जोड़ता है ।

अतः प्रयागराज जनपद को मेजा तहसील स्थित मदरा व भदोही जनपद के टेला स्थित छोर पर पक्का पुल का बनाया जाना अति आवश्यक है ।

(viii) Regarding compensation to farmers

SHRI BHAGWANTH KHUBA (BIDAR): The Karanja major irrigation project is in my district. Farmers who lost their land due to this project have not received any compensation. I would like to urge the government to take immediate action on this issue by providing relief to many poor farmers.

(ix) Regarding drinking water problem in Rajsamand Parliamentary Constituency, Rajasthan

सुश्री दिया कुमारी (राजसमन्द) : मैं सरकार का ध्यान मेरे लोकसभा क्षेत्र राजसमंद की पेयजल संबंधी समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

मेवाड़ क्षेत्र में सरकार द्वारा पेयजल की आपूर्ति के लिए चम्बल भीलवाड़ा परियोजना शुरू की गई। इस योजना से भीलवाड़ा व उसके आस-पास के क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति की जाने की योजना है। इस योजना से मेरे संसदीय क्षेत्र राजसमंद के भीम व देवगढ़ तहसील के कुछ गांवों को भी जोड़ा गया है।

चम्बल नदी में पानी की पर्याप्त आवक को देखते हुए उक्त परियोजना का संवर्द्धन कर बाकी गांवों को भी पेयजल आपूर्ति से जोड़ा जा सकता है।

अतः मेरा माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय से निवेदन है कि चम्बल-भीलवाड़ा परियोजना फेज-2 पैकेज-1 का संवर्द्धन कर राजसमंद जिले की भीम और देवगढ़ तहसील के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति कराने की कृपा करें।

(x) Regarding Tribal health care in the country

DR. (PROF.) KIRIT PREMJBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST) : I want to raise the pertinent issue of tribal health in the country. According to the expert committee report called Tribal Health in India by the health and welfare ministry, 104 million tribal people are heavily marginalised and discriminated against who account for 8.6% of country's population. Not only are tribal communities socio-economically discriminated by the mainstream Indian populace, they also face a host of structural inequalities, with access to healthcare being one of the biggest. According to expert committee report 42% of tribal children are underweight, 1.5 times higher than non-tribal children. They constitute 8.6% of the total population but report 30% of the malaria cases. And 50% of all malaria related deaths are in the tribal population. I urge the Government to release an annual budget equal to 2.5% GDP per capita basis for tribal healthcare.

(xi) Need to expedite construction of Gulbarga - Latur new railway line

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): सड़क रेल रोड जैसे बुनियादी ढांचे समाज एवं क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। किसी भी समाज एवं क्षेत्र के विकास की परिकल्पना बिना रोड, रेल और अन्य किसी जुड़ाव के बिना नहीं की हो सकती।

मेरा संसदीय क्षेत्र लातूर जो की महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में है। और यह सर्वविदित है की मराठवाड़ा एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। यंहा पर कृषि सूखे के कारण काफी प्रभावित हुई है एवं रोजगार के भी प्रयास साधन न होने से स्थिति दिन प्रतिदिन विकट होती जा रही है।

रेल मंत्रालय ने इस क्षेत्र के लोगो की सुविधा के लिए एवं आर्थिक तथा व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गुलबर्गा - लातूर रेल लाइन का प्रस्ताव दिया है। यह नई रेल लाइन गुलबर्गा - अलंद -ओमेगा - निलंगा - शिरूर अनन्तपाल - भाटांगली को जोड़ेगी एवं महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के 2 जिलों के 4 तालुकाओं को लाभान्वित करेगी। मार्च में हुई घोषणा के बाद भी इस नई लाइन का सर्वे अभीतक पूरा नहीं हो पाया है। यह नयी परियोजना न सिर्फ उत्तर एवं दक्षिण भारत को नई कनेक्टिविटी प्रदान करेगी बल्कि हमें इस योजना से काफी आशाएं है की यह हमारे क्षेत्र की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति में बहुत ही मददगार होगी।

माननीय रेल मंत्री इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश देंगे एवं जल्द ही इसपर कार्य का प्रारम्भ करवाएंगे ऐसी हमारे क्षेत्र के लोगो की आशा एवं प्रार्थना है।

**(xii) Regarding closure of HMT Factory at Ranibagh in
Nainital district of Uttarakhand**

एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र नैनीताल-ऊधमसिंह नगर के जनपद नैनीताल के रानीबाग स्थित एच.एम.टी. घड़ी कारखाना की ओर दिलवाना चाहता हूँ। जो दुर्भाग्यवश प्रबंधन की गलत नीतियों के कारण उक्त कारखाने को दिनांक 22 मार्च 2019 को अवैधानिक तरीके से रात के अंधेरे में बंद कर दिया गया जबकि इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के विकास के साथ-साथ बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करना था।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूँ कि जब श्रम मंत्रालय द्वारा कर्मचारियों के देयकों के भुगतान के बिना नीलामी न किये जाने के स्पष्ट आदेश दिये गये थे, उसके बावजूद उक्त कम्पनी के कलपुर्जा एवं मशीनों के विक्रय की ई. टैण्डरिंग प्रक्रिया प्रारंभ किया जाना उक्त संयंत्र के कर्मचारियों के साथ विश्वासघात है। इस आशय से पत्र उप सचिव, श्रम विभाग, भारत सरकार, सचिव, भारी उद्योग, भारत सरकार व अध्यक्ष एवं प्रबंधन एच.एम.टी. बेंगलुरु के पास कार्यवाही हेतु विचाराधीन है।

उचित होगा कि भारत सरकार द्वारा इस संस्थान में रक्षा उपकरण बनाने संबंधी कारखाने की स्थापना की जाये, ताकि उक्त संयंत्र में स्थानीय युवकों को रोजगार प्रदान किये जाने के साथ ही एच.एम.टी. कारखाने के कर्मचारियों को भी समायोजित किया जा सके, जिससे क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी, एवं रोजगार को बढ़ावा मिल सके।

(xiii) Regarding construction of a railway line between Chapra and Muzaffarpur, Bihar

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): For a very long time, there is a proposal to construct a railway line between Chapra and Muzaffarpur. Initially, the cost of the project was estimated to be Rs 400 crore. For acquiring land, a portion of the money was given to the state government. The construction works at several places have been initiated. Recently, I had an inspection of that place and I have found that at places some amount of work has been done. There are issues relating to the acquisition of land both in the district of Saran and Muzaffarpur. It has come to my notice that the budget for the project has gone up to Rs. 2600 crore. I would like the Indian Railways to :-

- (1) Speed up the process by enhancing the cost outlay of the project as put up by the Railways to Rs 2600 crore.
- (2) Land acquisition issues as with respect to both Chapra and Muzaffarpur should be put up for discussions with the state government and involve the district administration for acquiring and disbursal of money.
- (3) It is a project which is long over-due, therefore, I urge the Government to complete this project at the earliest which will provide a major relief to lakhs of people especially the people of Chapra and Muzaffarpur.

**(xiv) Need to construct an airport at Dhalbhugarh in Jamsheedpur
Parliamentary Constituency, Jharkhand**

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): मैं सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरा संसदीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हजारों उद्योग स्थापित हैं एवं प्रचुर मात्रा में खनिज सम्पदा उपलब्ध है। यहाँ पर टाटा जैसे बड़े उद्योग होने के कारण देश के विभिन्न भागों से लोग रोजगार हेतु यहाँ निवास करते हैं एवं उनका आना-जाना हमेशा बना रहता है। कोल्हान प्रमण्डल एक ऐसा प्रमण्डल है जहाँ भारी मात्रा में खनिज सम्पदा उपलब्ध है और इस प्रमण्डल का मुख्य केन्द्र बिन्दु जमशेदपुर होने के कारण विकास का भारी स्कोप है। जहाँ प्रचुर मात्रा में आयरन, यूरेनियम, कॉपर, मैंगनीज, गोल्ड, कार्बोनाइट इत्यादि जैसे बहुमूल्य धातु की उपलब्धता के साथ-साथ उद्योग से निर्मित उपकरणों का आयात निर्यात होता है। इससे देश-विदेश के बड़े-बड़े व्यापारियों का आना-जाना हमेशा बना रहता है। एयरपोर्ट की सुविधा का अभाव होने के कारण पूरे कोल्हान प्रमण्डल का विकास रूका हुआ है। यहाँ पर खनिज सम्पदा उपलब्ध होने के कारण देश विदेश से निवेशक निवेश हेतु आते हैं लेकिन एयरपोर्ट की सुविधा न होने के कारण वे वापस लौट जाते हैं। इसके अलावा यहाँ के उद्योग जगत के लोगों को भी एयरपोर्ट नहीं होने से काफी असुविधा हो रही है। ज्ञातव्य है कि 1942 ई0 के द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत धालभुगढ़ एवं चाकुलिया में दो बड़े एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था जो आज पूरी तरह से खाली है और वह प्रयोग में नहीं है। वहाँ की वर्तमान सरकार ने धालभुगढ़ एयरपोर्ट का जनहित में सदुपयोग हेतु केन्द्र सरकार से एन0ओ0सी0 लेने हेतु सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद लगभग 6 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार एवं तत्कालीन नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा जी ने शिलान्यास किया था लेकिन अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है।

अतः मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है कि अविलम्ब धालभुगढ़ एयरपोर्ट का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाये।

(xv) Regarding shelter homes for homeless people in Mumbai

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): भारत सरकार ने शहरी क्षेत्र बेघरों सहित शहरी गरीबों को चरणबद्ध रूप से आधारभूत सेवाओं से युक्त शरणस्थल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आजीविका मिशन (NULM) की शुरुआत की थी। मुम्बई शहर काफी सघन आबादी वाला शहर है और यहाँ देश के कोने-कोने से लोग अपनी जीविका अर्जित करने आते हैं। आज मुम्बई शहर की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ 20 लाख है। यदि हम 2011 की जनसंख्या 1 करोड़ 25 लाख को भी ले तो इस शहर में 125 शरणस्थल होने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2010 में इस संदर्भ में संज्ञान लेते हुए कहा था कि महानगरपालिका इसकी व्यवस्था करें। परन्तु अब तक मुम्बई शहर में बेघरों के लिए शरणस्थल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाई है। महानगरपालिका अभी 6-7 शरणस्थल चला रही है जो विशेष रूप से बच्चों के लिए है। अभी बारिश का मौसम आने वाला है और मुम्बई में अत्यधिक बारिश होती है। इस मौसम में बेघर लोगों की समस्याएँ काफी बढ़ जाती हैं इसलिए यहाँ बेघरों के लिए शरणस्थलों की अत्यधिक आवश्यकता है।

अगर तुरंत इसकी स्थायी व्यवस्था न हो पाए तो मुम्बई शहर में तुरंत अस्थायी शरणस्थल का निर्माण करना चाहिए। साथ ही स्थायी शरणस्थल के निर्माण करने की दिशा में तुरंत प्रयास शुरू करना चाहिए। मेरा आवासीय एवं शहरी विकास मंत्री जी से विनम्र मांग है कि इस कार्य के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध करायी जाए ताकि मुम्बई शहर के सभी बेघरों को एक शरणस्थल उपलब्ध हो सके।

**(xvi) Regarding construction of a dam under Pachnada Project
in Uttar Pradesh**

डॉ. रामशंकर कठेरिया (इटावा): मेरे लोक सभा क्षेत्र इटावा में लोगों को सिंचाई के लिए पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यमुना-चम्बल पचनदा परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 26 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की थी जिसमें भारत सरकार का भी सहयोग था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को अवगत करना चाहता हूँ कि यमुना-चम्बल पचनदा परियोजना पर एक बांध बनाया जाए जिससे कि इटावा, जालौन, कानपुर, औरैया की जनता को कृषि कार्य हेतु सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके और इस परियोजना के माध्यम से बिजली उत्पादन का कार्य भी किया जा सके जिससे मेरे लोक सभा क्षेत्र की जनता और उसके आस-पास के स्थानीय लोगों के लिए पानी और बिजली की समस्या का समाधान किया जा सके।

**(xvii) Need to construct flyover at Hanspal on NH- 16
in Bhubaneswar, Odisha**

SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR): There is a need for a flyover at Hanspal on NH 16 in Bhubaneswar, Odisha. Many communications have been sent to NH authorities in this regard. However, there has been no response.

Due to highway cross traffic at Hanspal and absence of a flyover, there are accidents on a regular basis. I have personally visited the spot and interacted with all the residents there. The flyover should start from Kuakhai river bridge and should run up to the end of Pahala. This is a matter of urgent public importance.

**(xviii) Regarding formal border trade along the
Indo-Bangladesh border**

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): The district of Murshidabad in West Bengal is recognized as a poor and backward district in the country. It has been included in the list of aspirational district. Lakhs of poor people migrate to the other parts of the countries and also go to the gulf region. As it is a porous district bordering the neighbouring country Bangladesh, a substantial number of people are involved in illegal trade which can safely be called smuggling with Bangladesh. More often than not, this kind of illegal trade entails a conflict between BSF and common men who are involved in smuggling under the duress. Simply it is a way of their livelihood. However both India and Bangladesh government want to enhance trade and other business activities. In this regard my proposal to government is to facilitate formal border trade along the Indo - Bangladesh border by establishing "border huts" which may change the economic scenario and more so it will contribute to government kitty. The so called smugglers could be converted into traders.

(xix) Regarding construction of railway line projects from Tindivanam to Nagari and Tindivanam to Thiruvannamalai in Tamil Nadu

DR. M.K. VISHNU PRASAD (ARANI): About 10 years back, two railway line projects, one relating to construction of railway line BG from Tindivanam to Nagari and the second one from Tindivanam to Thiruvannamalai had been sanctioned. Unfortunately, due to step-motherly treatment, adequate funds were not provided to these projects and the work is going at snail's pace. The delay in implementing has drastically increased the project cost from Rs.450 crore to Rs.600 crore.

All the formalities like land acquisition and detailed project reports are complete. The rail line construction is also going on and only a small portion of it is pending. However, Tindivanam to Thiruvannamalai, which is hardly 68 kms in length is still pending.

If these rail line projects are completed, the people in and around the area would be highly benefited leading to economic activities in our region. Therefore, I urge upon the Government through this august House to expedite the construction of these two rail line projects by allocating sufficient funds in the present Budget.

(xx) **Regarding road connectivity in Bilgaon and Jamuguri
in Golaghat, Assam**

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): The areas between Bilgaon and Jamuguri, in Golaghat of Assam are geographically isolated. The area is having river on one side and a railway track on the other side, thus depriving its citizens of any method of surface connectivity, The inhabitants of the region depend upon agriculture for their livelihood, however, owing to lack of surface connectivity, they are unable to market their produce effectively.

Despite numerous requests, no measures have been taken to augment the surface connectivity of the region. There is an urgent need to construct a level crossing between Bilgaon and Jamuguri railway station to remove the transportation barrier currently faced by the people. In addition to this, the provision of an authorized stop of the Special Train at Jamuguri will largely help to alleviate the sufferings of the local people. I urge the Government to take steps in this regard.

(xxi) Need to construct lower under subway at Kodumudi Railway Station in Tamil Nadu

SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE): I would like to draw the attention of the Minister of Railways towards the fact that Kodumudi in Erode District is a temple city in western region of Tamil Nadu. Holy Cauvery river and Magudeeswarar Temple attracts thousands of pilgrims daily.

Kodumudi Railway Station is situated in the middle of the Kodumudi town. There is a Railway crossing near Om Kaliammam Koil and southern side of Kodumudi Railway station. Railway lines are electrified and enroutes the Erode — Trichi & Erode — Kanyakumari in which Super-Fast, Passenger & Goods trains are crossing round the clock. Due to this reason, the Railway crossing is always closed for heavy traffic. Public in Kodumudi are very much suffering to cross the Railway crossing to go across to Kodumudi town.

Hence, I request the Hon'ble Minister to look into the matter and arrange to construct a Lower Under Subway (LUS) near Om Kaliammam Koil, on the southern side of Kodumudi Railway station.

(xxii) Need to complete one side Railway platform of Chandkhali Halt Station in West Bengal

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): I would like to inform the Hon'ble Railway Minister that during 16th Lok Sabha, I had raised the issue regarding incomplete one side platform of Chandkhali Halt station on Sealdah - Canning line on the floor of the House on four occasions, which falls under my parliamentary constituency Jaynagar. In this regard, I personally met both the then Railway Ministers and submitted letter to them. Not only that I had talked with the officer of Railway department on different occasions but all my efforts were in vain. The condition of the said pending work remains the same.

I would like to request the Hon'ble Railway Minister to take necessary steps to complete the above mentioned work which would be a boom for thousands of local people. Kindly note that opposite side to the platform was constructed more than 8 years ago. Sir, action will be highly appreciated for the greater interest of the people.

(xxiii) **Regarding Special Economic Status to Andhra Pradesh**

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI (ELURU): The promise of Special Economic Status was the glimmer of hope, it was a life line for the people of divided Andhra Pradesh. Of course we now for the last past 5 years have realized that our hopes have been shattered and the promise not fulfilled. Being a new Parliamentarian, I want to know why the assurances made in the House have not been implemented although by and large, the general public believe that assurances made on the floor of Parliament are invariably implemented. Then why assurances to grant special status to Andhra Pradesh have become elusive so far. I also fail to understand that when assurances are not met then how can a new member be serious about the discussions/debates. or what should a member do to be serious on the floor. I don't mean any disrespect to the House but as said earlier I will fail the people of my state who believed in my leader. We should bring this matter to the notice of the house, to the Government and the people of this great country that the Parliament has a word to keep and we have a right to demand.

**(xxiv) Regarding setting up of National Investment Manufacturing
Zone in Nagpur, Maharashtra**

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक) :केन्द्र सरकार द्वारा देश में 14 जगह पर NIMZ (National Investment Manufacturing Zone) बनाने की घोषणा की थी, जिसमें नागपुर जिला भी शामिल था। यह प्रोजेक्ट नागपुर में 6280 हेक्टर पर निर्माण होने वाला था एवं इस प्रोजेक्ट के कार्यान्वित होने से 60,000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं दो लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होने वाला था। इस प्रोजेक्ट से विकास के नये रास्ते खुलेंगे।

मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि यह प्रोजेक्ट फिलहाल किस स्थिति में है एवं इसके पूर्ण रूप से कार्यान्वित होने में कितना समय और लगेगा तथा सरकार ने इस प्रोजेक्ट की जल्द से कार्यान्वित करने के लिए क्या उचित कदम उठाये हैं।

**(xxv) Need to develop N.H. 104 between Sitamarhi and Sursand in Bihar
as per laid down norms**

श्री सुनील कुमार पिंटू (सीतामढ़ी): राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-104 में सीतामढ़ी से सुरसंड की ओर जाने वाली सड़क का उन्नयन निर्धारित मानदंडों के अनुकूल नहीं हो पाया है जिससे आए दिन वहाँ सड़क दुर्घटना व यातायात की समस्या बनी रहती है, जबकि एक बड़ी आबादी से गुजरने वाली यह सड़क नेपाल से सटे बिहार के उन सीमावर्ती इलाकों को भी जोड़ती है जो शिक्षा, व्यापार, पर्यटन व सामरिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है।

अतः इस सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्धारित मानदंडों के अनुकूल तत्काल विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

(xxvi) Need for laying underground cables instead of erecting overhead high voltage power lines by Power Grid Corporation Ltd. in Tamil Nadu

SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR): The Power Grid Corporation of India Limited and the Tamil Nadu Transmission Corporation Limited have undertaken the work of erecting Overhead High Voltage Power lines over the farm lands in Tamil Nadu. Farm lands in 7 districts of Tamil Nadu are included in this project. These towers are erected to facilitate transmission of high tension electricity. This project involves bringing electricity from Raigarh in Chhattisgarh to Pugalur in Tiruppur district and from there to Thrissur in Kerala. The farm land provides livelihood to the farmers. Erection of High voltage Power lines on the farm land will render the land untenable for the purpose of any farming activity. It will also devalue the cost of land. The farmers of 7 districts of Tamil Nadu are up in arms against this project ever since it started in the year 2015. Plenty of petitions have been submitted but no official has so far scrutinized any petition. Instead of looking into their complaints, they are being harassed, intimidated, threatened and thrashed by the officials with the help of police. The Power Grid Corporation. of India Limited should assess the feasibility of laying underground cabling for transmission of power. Underground cabling plays crucial role in power transmission with resilience in severe weather conditions. Though the underground cabling is expensive, nothing can be more expensive than the cost of lives of the people. After all, the development should aim at improving

the standard of living of the people and it cannot be at the cost of their lives and sustenance.

Therefore, I urge upon the Government to immediately direct the Power Grid Corporation and the Tamil Nadu Government to stop forthwith the activity of erecting overhead High Voltage Power Lines in Tamil Nadu and try for underground laying of cables.

15.34 hrs

DENTISTS (AMENDMENT) BILL, 2019

माननीय सभापति : आइटम नं. 11, माननीय मंत्री जी ।

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR.

HARSH VARDHAN): I beg to move:

“That the Bill further to amend the Dentists Act, 1948, be taken into consideration.”

माननीय सभापति महोदया, डेंटिस्ट एक्ट, 1948 आजादी के तुरंत बाद बनाया गया था । इस डेंटिस्ट बिल में कुछ अमेण्डमेंट्स करने के लिए मैंने यह अमेण्डमेंट एक्ट पेश किया है ।

जब डेंटिस्ट एक्ट-1948 बनाया गया था, उस समय देश में केवल तीन डेंटल कॉलेजेज़ थे और इस डेंटिस्ट एक्ट के माध्यम से ही देश की पहली डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी । इस डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की कुछ मूलभूत जिम्मेदारियां थीं, जैसे डेंटल प्रोफेशन को रेगुलेट करना, डेंटल एजुकेशन को रेगुलेट करना, डेंटल एथिक्स को रेगुलेट करना । इसी तरह से डेंटिस्ट की ट्रेनिंग के लिए करिकुलम को बनाना, जो डेंटल हाइजीनिस्ट्स, डेंटल मैकेनिक्स होते हैं, इन के लिए करिकुलम बनाना । नए कॉलेजेज़ की अगर जरूरत है तो उनको खोलने के लिए रिकमेंडेशन करना । इसी तरह से जो हायर कोर्सेज़ होते हैं, जैसे ग्रेजुएशन के कोर्स को बी.डी.एस. कहते हैं । एम.डी.एस., डिप्लोमा कोर्सेज़ को प्रारम्भ करने की अनुमति देना और साथ ही साथ जो कॉलेजेज़ हैं, उनके अंदर एडमिशन की कैपेसिटी को बढ़ाना । साथ ही साथ जो लोग विदेश की डिग्री लेकर आते हैं, उनकी डिग्रियों को भारत के अंदर क्या डेंटल की फील्ड में रिकग्निशन दिया जा सकता है या नहीं? उस समय ये मूल प्रिंसिपल थे, जिसके ऊपर डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने काम करना शुरू किया । जब डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया पहली

बार बनी तो उस समय देश के अंदर जितने भी डेंटल सर्जन्स थे, उनका एक रजिस्टर बनाया और उस रजिस्टर को इंडियन डेंटिस्ट्स रजिस्टर कहते हैं। उसमें सब प्रकार की एंट्रीज़ होती थीं। उसके 2 पार्ट होते थे- एक पार्ट-ए और एक पार्ट-बी। उस समय देश के कुछ क्वालीफाइड डेंटिस्ट्स, जैसे बी.डी.एस., एम.डी.एस. या डिप्लोमा होल्डर्स को पार्ट-ए के रजिस्टर के अंदर रखा गया क्योंकि उस समय देश में केवल तीन डेंटल कॉलेजेज़ थे। दांत के चिकित्सकों की कमी थी। भारत में बहुत सारे लोग पार्टिशन के कारण आए। कुछ बांग्लादेश से या बाद में सिलोन, बर्मा से रिपैट्रिएट हुए। ऐसे बहुत सारे लोग जिनके पास औपचारिक डिग्री नहीं थी, लेकिन अपनी रोजी-रोटी और अपनी गुजर-बसर करने के लिए वह दांत चिकित्सा की प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने 5 साल से ज्यादा प्रैक्टिस की हुई थी। उनको भी उस समय डेंटिस्ट एक्ट-1948 के अंदर रजिस्टर के पार्ट-बी में रखा गया। जो डेंटिस्ट एक्ट-1948 बनाया गया, उसके तहत डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में 6 नॉमिनेशन्स भारत सरकार किया करती थी। इसी तरह से स्टेट्स की जो काउंसिल्स होती थीं, उनमें भी नॉमिनेशन्स होते थे और एक ऐसे ज्वाइंट स्टेट डेंटल काउंसिल्स की कल्पना की गई जहां दो स्टेट्स मिलकर अपनी डेंटल काउंसिल बना लें। उसमें एक प्रोविजन बनाया गया कि भारत सरकार जो नॉमिनेशन्स करती थीं, उनमें रजिस्टर के पार्ट-ए से 4 लोग और रजिस्टर के पार्ट-बी से 2 डेंटल सर्जन रखे जाते थे।

इसी प्रकार से स्टेट की जो डेंटल काउंसिल्स होती थीं, उसमें पार्ट-बी से चार लोग होते थे और पार्ट-ए से दो लोग होते थे। इसी तरह से जॉइंट स्टेट डेंटल काउंसिल्स होती थीं, उनमें दो लोग इस पार्ट-बी से हुआ करते थे। पार्ट-बी में केवल वेस्ट बंगाल, केरल, दिल्ली, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और पुद्दुचेरी के लोग होते थे। वर्ष 1972 के बाद पार्ट-बी में कोई डॉक्टर रजिस्टर नहीं हुआ है। इसमें 28 मार्च, 1948 के पहले के लोग थे, जो उस समय रजिस्टर हुए थे। बाद में जो लोग अप्रैल 1957 से लेकर मार्च, 1972 के बीच में भी कुछ लोग रिपैट्रिएट हुए थे, जब बांग्ला देश का वॉर हुआ था। उस पार्ट-बी में वे लोग भी शामिल थे। आज विषय यह है कि रजिस्टर के पार्ट-ए में लगभग 2 लाख 70 हजार डॉक्टर्स का नाम है और इसी तरह से पार्ट-बी में केवल 979 डॉक्टर्स

का लिस्ट में नाम है। अगर इसको परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं तो यह केवल .4 परसेंट के करीब होता है। वर्ष 1948 में उस समय की परिस्थिति के हिसाब से कानून बनाया गया था। उसमें पार्ट-बी के जो डॉक्टर्स थे, उनके लिए 33 परसेंट रिजर्वेशन मंडेटरी था जबकि उनकी संख्या केवल 490 थी, ए-रजिस्टर से चार लोग रखे जाएंगे और बी-रजिस्टर से दो लोग रखे जाएंगे। हमारी सरकार ने वर्ष 2014 से काम करना शुरू किया और मुझे ध्यान है कि हमारी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में देश के प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि देश में जितने भी कानून हैं, हम उनका अध्ययन करें। उनमें से ऐसे कानून, जिनका आज के समय के हिसाब से रिलेवेंस खत्म हो गया है, कम हो गया है या समय ने यह सिद्ध करके दिखाया है कि वे पीपल-फ्रेंडली नहीं हैं, उनकी उपयोगिता नहीं रह गयी है या शायद वे कानून लोगों को तकलीफ देने, लोगों को एक्सप्लोइट करने में सहायक होते हैं। इंस्पेक्टर राज को प्रमोट करते हैं। उस समय में उन्होंने पहली या दूसरी कैबिनेट में कहा था कि आप अपने डिपार्टमेंट्स में ऐसे कानून स्टडी कीजिए और जिन कानूनों की आवश्यकता नहीं है, हम इस पार्लियामेंट में उन कानूनों को लाएंगे। मैं समझता हूँ कि अगर आप पिछले पांच साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो जहां तक मैं जानता हूँ, लगभग डेढ़ हजार से ज्यादा कानूनों को एक प्रकार से डस्टबिन का रास्ता दिखाया है। सौ-सवा सौ के करीब, सौ का आंकड़ा तो पहले ही हो चुका है, यह सौ-सवा सौ के करीब नये कानून और एकदम मॉडर्न लेजिस्लेशन और पुराने कानूनों में भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स इन पांच सालों में इंट्रोड्यूस हुए हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसेस को जितना रेथ्रलाइज किया जा सकता था या उसमें जो रिड्नेंसी को समाप्त करने की प्रक्रिया के तहत और उसी सोच के साथ आज तीन सैकशन्स में अमेंडमेंट्स हैं। इसमें एक मंडेटरी क्लॉज़ है कि पार्ट-बी में से भी आपको जरूर रखना है। पार्ट-बी में से भी कोई आ सकता है, लेकिन वह शायद डिसप्रोपोशनल है और जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, जिनकी संख्या 2 लाख 70 हजार है, वे अगर फेयरली अपने रेश्यो के हिसाब से रिप्रेजेंट होते हैं तो शायद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो काम है, डेंटल एथिक्स और सारे एजुकेशन को रेगुलेट करने का, यह बहुत ही महत्वपूर्ण काम है।

शायद वह रिप्रजेन्टेशन एक बैटर रिप्रजेन्टेशन हो सकता है, ऐसी सरकारी की सोच है। इसको पिछले समय में यहां पर बनाया गया था, संभवतः दिसम्बर 2018 में इस लोक सभा में इसको इंट्रोड्यूज भी किया गया था। लेकिन यह किसी वजह से उस समय टेक अप नहीं हो पाया था। इसलिए सरकार इसे कैबिनेट में पास करने के बाद दोबारा यहां पर लेकर आई है। इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकैलटीज़ नहीं हैं। यह बहुत साधारण-सा विषय है। यह टोटली रेश्नल विषय है। एकदम ऑब्जेक्टिविटी के साथ इसको किया गया है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से यह अनुरोध है कि आप इसके ऊपर जो भी अपने विचार रखना चाहें, उसे रखें। अगर आप इसको सर्वसम्मति से पास करेंगे, it will give more sense to this amendment.

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

DR. M.K. VISHNU PRASAD (ARANI): Thank you, Madam. This being my maiden speech, I would like to thank my leader, Shri Rahul ji, Smt. Sonia ji, my State's alliance leader, Thiru M.K. Stalin and the magnificent people of Arani, who elected me and made it possible to present their views in this august House.

At the outset, I would like to recall certain facts. In 1960, the statistics on dentists to population ratio were collected, that is, how many dentists were there to treat the population. For 3,00,000 people, there was only one dentist in 1960. In 2016, similar statistics were taken and it was found that for 10,000 people, there was one dentist. So, this gap was narrowed by the relentless effort and phenomenal contribution by the Congress Party and the UPA Governments in the past years.

Madam, I am going to talk on the Dentists (Amendment) Bill, 2019. As the hon. Minister said that there is not much of technicality in this Bill, I do agree that there is no scope at all but still the Government has to bring a comprehensive Bill because just passing this Bill is not going to solve the problem. There is a saying that tortures are of various kind. Some tortures are physical and some are mental. But if there is one with both physical and mental, then it has to be dental.

Madam, this is a very important issue. Why did this Dental Act come in 1948? It is a very serious subject because in saliva you can find stomach ulcer and stomach carcinoma. So, it has come under NCDA, that is, oral care. The main point is that in 1948, they thought that they should set up a Dental

Council of India (DCI) under the Dental Act. At that time, they also thought to have a registry. In that registry, the State Government should register the dental practitioners who are either educationally qualified or are not qualified but still practicing for five years.

Here, we also have to mention about the fake doctors. I am not here to stop their livelihood. But, unfortunately, it is dealing with life. The tooth extraction leads to bleeding, some sympathetic shock and infection. So, this has to be taken care of and the Government has to take a serious note of this issue.

Madam, dentists who were educationally qualified were registered in the Part A and those who were not educationally qualified dentists but still practicing were registered in Part B. But after 1972, this registration did not take place. So, it has become redundant now.

Now, the point is, in the Dental Council of India, two members are taking part in Part B. They are dental practitioners. I want to know from the hon. Minister as to what will happen to these posts. Are they going to be vacant or are they going to be replaced by the members belonging to Part A? For example, in Kerala, there are 30,000 dentists practicing. Proportionally, in Tamil Nadu, it can be a little higher also.

The hon. Minister said that around two lakh to 2.4 lakh dentists are registered in Part A. Yesterday, the same hon. Minister brought an amendment Bill on MCI. He raised the number from seven to twelve, thereby increasing five members into the MCI. Similarly, does the Government have any plan to

replace these two members who are left out in Part B with Part A members? Similarly, the State Dental Council and Joint Dental Council, who can be elected among themselves, should also be represented from Part A. Otherwise, the bureaucratic nominee will outnumber the dental practitioners. This is a serious subject because dental practitioners are in regular touch with the patients. They know about the latest equipment, curriculum and difficulties faced by the dental practitioners. So, this is my humble submission to revise this Bill and bring back a new Bill accommodating the members from Part A and also increase the number from two in the MCI and four in the Dental Council of India.

Moreover, the amendments in the Bill are a welcome move since it removes provisions which have become redundant over a period of time, thus also clearing any administrative roadblocks in the correct constitution of Dental Council of India and State level bodies.

Sir, it is shocking that in February, 2017, the CBI booked the Director of Dental Council of India and three others for alleged cheating and corruption for favouring a dental college in increasing seats. This highlights the urgent need ...*(Interruptions)* It is not an expected thing from the hon. Member here, but still, I am not surprised by this reaction. This highlights the urgent need to reform the Dental Council of India. The Government must not restrict itself to mere removal of blemishes because we are talking about dentists and dentists always get to the root of the problem.

The Government must take strict measures to ensure transparency and formulate an anti-corruption policy to deter any instances of corruption in future. These members, who go for an inspection, know about the curriculum, patients' inflow, infrastructure and many other things involved. So, I humbly suggest to the hon. Minister to re-create or re-frame the Dental Council of India which is the need of the hour, beyond which there are almost 88 members, out of which only 34 are notified by the Government while they have to examine, verify and validate the membership of the remaining 54. Otherwise, it becomes a mess and we will not have any control on this body. There are, in fact, members from private universities also and it has to be taken into serious consideration.

While the Medical Council of India is on the path of a complete overhaul, reforms for the Dental Council of India are nowhere in sight. Members of the profession have demanded that a body should be formed to review its functioning and to scrutinise illegal membership. There is a syndicate of dental college owners. They have managed to establish dental colleges. There used to be a clause that anybody can start a dental college even if he does not have a dental hospital; they can affiliate with a nearby hospital within 10 or 15 kilometres of radius. In order to prevent coming up of any new dental college, the syndicate or the cartel of dental colleges has managed to get a clause stating that a new dental college can come up, but it should have its own hospital. This is not feasible. As it is, the rural-urban dentist population is highly varied. There is mushrooming of colleges in urban areas, but there are no

takers. As you know, a dentist, after adopting the profession after the college, earns a maximum between Rs. 15,000 and Rs. 20,000 per month. This is a sad state. In fact, for PG seats also, there are no takers. But in the rural areas, there are no dentists. We have to make a mandatory step here by appointing a dentist compulsorily in all the PHCs as well as train all the ASHA workers and village health workers and teach them about the basic oral healthcare so that they will give an adequate and appropriate guidance to the patients.

My humble submission is that this clause of 10 km. radius should be taken into consideration seriously so that a lot of dental colleges can come in the rural areas also. We should serve our nation in a wider angle.

Finally, I would like to state that I am here partly to welcome the Bill. But I would be appreciating if the Government listens with a motherly heart and come back with a revised and comprehensive Bill which will take care of dental education and profession largely.

My last submission is this. I come from Arani which is a very backward district and a very backward constituency. So, I would like the hon. Minister to establish a dental college with a research centre in my Arani Parliamentary Constituency. Thank you very much.

श्री निहाल चन्द (गंगानगर): सभापति महोदया, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। दन्त चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2019 पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं अपनी तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी और आदरणीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने पहली बार इस बिल को संशोधन के लिए पार्लियामेंट में पेश किया है। सन् 1948 के बाद इस बिल को पहली बार सन् 2017 में हम यहां पर ले कर आए हैं। सन् 1993 से पहले यह अधिकार राज्य के पास हुआ करता था, लेकिन सन् 1993 के बाद पहली बार यह अधिकार केन्द्र के पास आया। मैं समझता हूँ कि सन् 1948 में जब यह बिल बना था, तब कॉलेजों की संख्या तीन थी और आज बढ़ कर 313 हुई है। अगर इसके पीछे मैं जाना चाहूँ तो यह दन्त चिकित्सक बिल, जो डेन्टिस्ट एक्ट, 1949 का है, इसके पीछे अगर किसी का भला होने वाला है तो गांव के गरीब का भला होने वाला है। अगर इसके पीछे किसी का भला होगा तो गांव के अंतिम छोर पर बैठे उस व्यक्ति का भला होगा जो शहर में नहीं पहुंच पा रहा है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो बिल वे ले कर आए हैं, इस बिल में एक परिषद् बनाई गई है और उसमें सात सदस्य नॉमिनेट करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। मैं समझता हूँ कि यह बिल उतना ही महत्वपूर्ण बिल है, जितना नेत्र चिकित्सा का बिल होता है। यह बिल उतना ही महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदया, सन् 1948 के तहत यह दन्त चिकित्सा परिषद् यानी डीसीए का गठन हुआ था। उसके बाद राज्य सरकारों की परिषदों का गठन हुआ है। मैं समझता हूँ कि इसके पीछे देश की सरकार की यह सोच है कि आज दन्त चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम काम कर रहे हैं, उन्हें और ज्यादा आगे बढ़ने के मौके मिलें। इस बिल में स्वीकृति परिषद् के गठन के लिए दो या दो से अधिक राज्य आपस में समझौता कर सकते हैं। यह सबसे बड़ी बात है। इस बिल में बीडीएस या एमडीएस जो डिप्लोमा करने वाले लोग हैं, उनके लिए पांच साल से अधिक के लिए आजीविका के मुख्य साधन के रूप में इस बिल को ले कर आए हैं। मैं माननीय मंत्री जी का और

सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने बताया है कि जिस तरह से ए पार्ट में 2 लाख 7 हजार और बी पार्ट में मात्र 979 डॉक्टर्स इससे जुड़े हुए हैं, उनको और आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा और सिर्फ यह कह सकता हूँ कि दन्त चिकित्सक और उनके सहायकों की बड़ी कमी आज गांवों और शहरों में देखी जा रही है। इसको पूर्ण करने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। पहली बार इस शिक्षा पद्धति से जुड़े, इस शिक्षा पद्धति में पारदर्शिता ला कर, इस देश में एक नया काम करने का काम माननीय मंत्री जी ने किया है, जो इस परिषद् का गठन हो रहा है। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज से पहले, सन् 2016 से पहले नीट के माध्यम से प्रवेश योग्यता मिला करती थी। पहली बार यह सामान्य परामर्श के माध्यम से या नीट के माध्यम से एक पारदर्शिता का काम करने का काम अगर किसी ने किया है, तो वह भारत सरकार ने किया है।

16.00hrs

स्वस्थ मुफ्त सेवा नीति के लिए मुफ्त इलाज हर शहर में, हर हॉस्पिटल में, हर ग्रामीण क्षेत्र में हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। मैं अपनी तरफ से सरकार को बधाई देना चाहूंगा। मैं यह कह सकता हूँ कि आज से पहले ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उनमें डॉक्टरों की बहुत कमी है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रूरल क्षेत्र में कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी हॉस्पिटल में दंत चिकित्सक नहीं होने की वजह से वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पेशेंट को शहर जाना पड़ता है। शहर जाते वक्त उसका कितना टाइम और कितना पैसा खर्च होता है, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूँगा...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): महोदया, माननीय सदस्य फिर पीछे चले गए। सदन की अवहेलना हो रही है। उनको वापस बुलाइये।

माननीय सभापति : आप बाहर आइये।

श्री राजीव प्रताप रूडी : बाहर बुलाइये। सदस्य को पीछे से बुलाइये।

श्री निहाल चन्द : मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस बिल में ऐसा प्रावधान हो कि गाँव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भी दंत चिकित्सक हों। ऐसी सुविधा मुहैया करानी चाहिए।

16. 01 hrs (Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि कम से कम जिला मुख्यालय में मैकिज़लोफेशियल सर्जरी के लिए एक पोस्ट होनी चाहिए। आज मैकिज़लोफेशियल सर्जरी के लिए जिला मुख्यालय में एक भी पोस्ट नहीं है। ग्रामीण अंचल में तो दूर जिला मुख्यालय में भी नहीं है। अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाए और ऐसा कोई केस आ जाए, तो उस केस को जिला मुख्यालय के अलावा कैपिटल में या राजधानी में ले जाना पड़ता है। मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूँ, उस प्रदेश में मैकिज़लोफेशियल सर्जरी की एक ही पोस्ट जयपुर में है और जयपुर जाते वक्त उस पेशेंट का क्या होगा, अगर एक्सीडेंट पेशेंट है, उसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। पहली बार गाँव के ग्रामीण के लिए यह फैसिलिटी बने, सरकार ने ऐसी सोच पैदा की है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि मैकिज़लोफेशियल सर्जरी की एक पोस्ट जिला मुख्यालय में होनी ही चाहिए, ऐसी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे एक्सीडेंट हो जाए तो उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल की जो फीस है, उसका अंदाजा हम लोग लगा नहीं सकते। मैं आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ इतना निवेदन करूँगा कि एमबीबीएस का सिलैबस और बीडीएस का सिलैबस एक जैसा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि बीडीएस के लिए ब्रिज कोर्स अलग से हो तो आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में आने वाले बच्चों पर एक अलग से इफेक्ट पड़ेगा। इसमें ब्रिज कोर्स अगर इनक्लूड होगा तो उसका फायदा गाँव के बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्र के अंचल में आने वाली प्रतिभा को जरूर मिलेगा। मैं यही निवेदन करूँगा।

सभापति महोदय, मैं आपसे एक आग्रह करूँगा कि इसकी एक चेयर होती है। दंत हॉस्पिटल एक ऐसा होता है, जिसकी एक चेयर होती है, उसी पर सारा काम होता है। अगर यह चेयर ग्रामीण क्षेत्र में हो, जिला मुख्यालय में हो और वहाँ पर डेंटल डॉक्टर हो तो मैं समझता हूँ कि

उनको एक बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। गांव में रहने वाले लोगों को एक बहुत बड़ा इसमें सहयोग मिल सकता है।

सभापति महोदय, यहाँ पर एमबीबीएस कॉलेज या बीडीएस कॉलेज में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसमें आरक्षित सीट होना बहुत जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे निकलते हैं, राजकीय स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी स्थिति हम लोग जान सकते हैं। अगर बड़े शहरों में बच्चे पढ़े-लिखे हो, बड़े स्कूलों में हो, प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों में और ग्रामीण क्षेत्र के जो राजकीय स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनमें दिन-रात का फर्क है। राजकीय स्कूल में जो बच्चा पढ़ कर आता है, उसकी स्थिति आप जान सकते हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि इसमें भी आरक्षित सीट हो। ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय स्कूलों से जो बच्चे पढ़ कर आते हैं, उनके लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान हो तो मैं समझता हूँ कि उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, गाँव की प्रतिभा अगर आगे आएगी तो मैं समझता हूँ कि देश और ज्यादा मजबूत होगा। प्रधान मंत्री जी का नारा 'सब का साथ, सब का विकास' उसमें अगर हम लोग जोड़ें तो गाँव की प्रतिभा को और ज्यादा मौका मिलेगा।

मैं इस मौके पर आपसे सिर्फ यह निवेदन करूँगा कि इसको हम लोग एनआरएचएम में भी जोड़ सकते हैं। एनआरएचएम एक ऐसी स्कीम है, जो गाँव के ग्रामीण और ग्रामीण अंचल तक जुड़ी हुई है। हम उसमें भी डेंटल डॉक्टर्स की पोस्ट्स को जोड़ सकते हैं। गाँव में जो एनआरएचएम के डॉक्टर्स हैं, बाकी अन्य लोग हैं, अगर हम उनके साथ इन्हें भी जोड़ दें तो गाँव, शहर में इसका बहुत बड़ा लाभ लोगों को मिलेगा और सरकार पर भी बोझ थोड़ा कम होगा। आज डेंटिस्ट की जो स्थिति है, वह कहीं किसी से छिपी हुई नहीं है। दांतों के डॉक्टर्स शहर के किसी भी अस्पताल में नहीं मिल रहे हैं। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 10 हजार लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन यह स्थिति कैसी है, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं देश के प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस देश को ही नहीं, पूरे विश्व को जोड़ने के लिए एक योग थेरेपी की कोशिश की थी। इसका सबसे ज्यादा चलन पैदा हुआ है। योग थेरेपी के साथ-साथ आयुर्वेद थेरेपी, एक्यूप्रेशर

थेरेपी और सुजोक थेरेपी को भी हम इस सब्जेक्ट के साथ जोड़ सकते हैं। हमारी जो प्राचीन सभ्यता थी, जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति थी, जिसे हम नेचर थेरेपी बोलते हैं, जो फिजियोथेरेपी है, यह भारत की बहुत प्राचीन कला थी। इसे हमसे चाइना ने लिया था और आज हम लोग इसमें पीछे रह गए हैं। चाइना आज इस पद्धति में हमसे आगे निकल गया है। बिहार एक ऐसा राज्य है, जहाँ प्राकृतिक चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, नेचर थेरेपी को एक डॉक्टर माना गया है। इस पद्धति को वहाँ डॉक्टर की श्रेणी में लिया गया है और इसमें गवर्नमेंट जॉब दी जाती है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर देश के सभी राज्यों में इस नेचर थेरेपी को हम सरकार से जोड़ दें, डॉक्टर से जोड़ दें और कॉलेजों से जोड़ दें, तो इसका एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। बिहार में इस विषय को सरकार के साथ जोड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूँगा कि पूरे देश में इसे सरकार के साथ जोड़ना चाहिए।

महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं इस बिल के लिए माननीय मंत्री जी, माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। मैं उन्हें शुभकामनाएं दूँगा कि उन्होंने इस विधेयक के महत्व को समझा और इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। मैं पूरे सदन से आग्रह करूँगा कि सभी लोग इस बिल का समर्थन करें।

महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. T. R. PAARIVENDHAR (PERAMBALUR): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for the time given to me to speak on the Dentists (Amendment) Bill, 2019.

At the outset, I would like to thank my Constituency people who voted in large numbers to allow me to win with a thumping majority. At this juncture, I would also like to thank my alliance Party Leader, *Thalaivar Thalpathi Thiru Stalin*, who gave me an opportunity to contest from the Perambalur Parliamentary Constituency in Tamil Nadu.

My approach to this Bill may be a little different because I am in the field of education for the last 40 years as I do run medical, dentistry and so many other institutions. In my opinion, a dental college, dental hospital and dental institution should be together at one place only. I do not know when it happened that the hospital is elsewhere and the college is somewhere else. I think that it might be an old practice, but we are not talking about it now. We are discussing about the 2019 Bill. Those are all old cases.

These are all old cases. This Dental Bill to be passed is very simple and clear. When there are qualified dentists – about 2 lakh and odd dentists are there – there is no need to have unqualified people. The idea is that we have got enough number of dentists and there is no need for unqualified people. That is the crux of the Bill. In this respect, I support the Bill.

Instead of criticising the Bill, I would like to talk about the problems being faced by the dental colleges, getting professors at the senior level and at the post-graduate level. These problems are there since time immemorial. Still we find a number of dental colleges in many States, in general, and in Tamil Nadu,

in particular. Tamil Nadu has a huge number of medical and dental colleges. Due to this, Tamil Nadu has become a hub for medical and dental education. My idea here is that the Dental Council has to be sure and careful about the selection of first four Members, and also two other Members as substitute.

The genuineness of the Members in the Council is very important. We have seen enough problems in medical field. Dental Council is nothing but a brother of Medical Council. Both are similar in nature. Therefore, instead of talking more about the Bill, we have to talk about the quality of Council Members we are going to take. Rules, laws, etc. are there. How are they going to be interpreted by the Council Members?

Actually, running a medical or a dental college is really a torture. I used to say at one point of time that if parents or ancestors of somebody had committed a sin - I am talking about management – only that person would start a medical or a dental college. Apparently, people think that those who are running a medical or a dental college are looting money, or making money, or they are charging more, etc. because they are not in the seat. If they go, sit and run it, they would find the difficulty.

On the other hand, choose the right, capable and clean hand, and watch them. Of course, there is a doubt or a fear among the Members. If the number of Members is going to be increased by two – already four Members are there – you should make sure whether these Members would discharge their duties as per law. Our apprehension is that the remaining Members should be absorbed from the bureaucracy of this Government. I know that bureaucrats

always really harm rather than do good. If Ministers carry out some difficult things, it is not that the Ministers were doing, but it is only on the advice of the bureaucrats, the Ministry are doing such things. Therefore, my suggestion is that pay full concentration to the selection of the initial four Members, and then the two Members of the Council.

As I said, basically I am an educationist, running some universities and colleges. In the initial days, dental education was a part of medical education. A step taken in 1920 was considered as the first milestone in the progress of dental education as a separate entity in India.

The first full-ledged autonomous dental college was founded in Calcutta by the late Padma Bhushan Dr. Rafiuddin Ahmed, the 'Grand Old Man of Dentistry'.

Dentistry was, unfortunately, one of the neglected subjects in earlier days. During that time, infrastructure was lacking. No post graduation was possible due to lack of infrastructure. Currently, there are 313 dental colleges with a total number of 26,000 seats for UG, 6,228 seats for PG and total number of dentists currently in our country is 2.7 lakhs. Majority of dental colleges are offering post-graduation courses, the number keeps on increasing further. The faculty position in dental colleges is not good. Today, most of the institutions have wonderful infrastructure on par with foreign institutions and their quality of education is outstanding.

We had great leaders who have contributed to the growth of the profession, like late Dr. B. P. Rajan who was from my State and was the President of the Dental Council of India.

The survey by Indian Dental Association sounded an alarm and expressed the need to affirm once again – ‘Oral health is very vital to general health and well-being.’

Hon. Chairman, Sir, through you, I would ask the hon. Minister of Health & Family Welfare, Shri Harsh Vardhan ji, to consider favourably the proposal of the Dental Council of India and the NITI Aayog that dentists be allowed to study a bridge course and practise modern techniques in dental care. I strongly recommend the Government to take a decision on the request of Dental Council of India immediately.

Sir, the UG curriculum was revised in 2007 and has not been updated till date, though the proposals have already been made to the Government. The Government should also bring in dental insurance for all in the country. ‘Mouth is the mirror of the body’ instils the importance of oral health among all strata of population. The Government should encourage rural dental practice among the dentists by giving attractive incentives to dentists to practise in the rural regions.

There is an increasing evidence that oral health plays an important role in overall health. Hence, the Government may consider appointing dentists at the Primary Health Centres. It will also create job opportunities for young dentists.

HON. CHAIRPERSON : Kindly conclude now. Your time is over.

DR. T. R. PAARIVENDHAR : The dental equipment at present are costly because of high duty. The duty on the purchase of equipment should be at par with other equipment.

For more transparency and to avoid corruption, the Dental Council may be scraped in line with the Medical Council. Any corrections may again end up in corruption like in the case of Medical Council. So, you may abolish the Medical Council also along with this.

Sir, I have been in the field for the last several years. I have observed that whenever Inspectors come, whether for medical or dental college, they are from a particular State. I have researched on that. How does it happen that they all come from one particular State? The Inspectors coming to the premises or campuses for inspection, they keep in touch with somebody away and they expect a signal whether to allow a college to continue or to close. That is what is happening. Hon. Minister, please see that there is uniformity. Throughout the country we have got specialists in medical as well as dental fields. So, the Inspectors should be selected from all parts of the country, not from one State or one particular town which is the case now. The hon. Minister knows very well about it. Thank you very much, Sir.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Thank you, Sir, for giving me this opportunity speak on the Dentists (Amendment) Bill, 2019.

Sir, health is wealth, and respected doctors are the resources to make a society wealthier in terms of health. There are several Acts in the Constitution which encompass this sector. Oral health is equally crucial as any other part of our body. However, it is neglected by the majority of the people. Better awareness and Acts are required to change this notion.

The Dentists Act, 1948 came into existing from 29th of March 1948. Since then it has been modified several times subsequently. Basically, the Act provided for two groups of dentists classified under Indian Dentists Register. Part-A is of the ones possessing proper qualification and Part-B is of Indian citizens practising dentistry without technical education at least five years prior to the registration date notified. Here it is very important to note that the situation then was completely different. There was a dearth of proper dental institutes. There hardly existed any dental institution that could take care of the dental health of the masses. This is the major reason for provision under Part-B and as to why a lenient approach was opted, and persons displaced or repatriated from the neighbouring country, as mentioned in the Act, were given a chance to carry on their means of livelihood.

The last registration that took place in Part-B was in 1972. At that point of time, representation in the Central Council required a certain sense of equality and hence the provision ensured two dentists of Part-B along with four others from the Government side. But today the Ratio of Part-A and Part-B is 2,07,950.

This certainly does not require any form of safeguard. Hence the Dentists (Amendment) Bill, 2019 seeks to remove from the legal framework the representation of dentists who do not have technical education.

It is also to be noted that since the last registration occurred in the year 1972, the age of those doctors will be around 70 to 75 years. Being members of a responsible society, it is our duty to give opportunities to the younger population since they will lead the country forward. Thus, the subject matter of the Bill is justified.

However, I severely oppose this Bill on the ground that the Members will be nominated by the Government. The essence of democracy lies in empowering its people by giving them the right to choose. By denying this right to the Council, the Government is trying to break the pillars of the democratic spirit. If members of the Council are nominated, transparency will be lost and the ruling party will always favour members related to them. This should be amended and all the members must be elected.

The Act provides a Central Council which ensures curriculum in institutions, registering the pass outs of dental colleges, and very importantly, secures ethical code of conduct. Thus, it is the backbone of the dental health of our country.

On this note, I would like to ask the Minister through you, Sir, whether the Government seeks to fix a minimum qualification for the members of the Council. This is so because in the present scenario, the members do not have any minimum requirement whereas the Council being a regulatory body needs

experienced and highly qualified members. In the absence of a minimum requirement, the doctors who have not pursued MDS or highly experienced are also allowed to have a say in the syllabus and all other crucial matters. This simply cannot add value in the functions that are to be discharged by the Council. Thus, we see that the question of 'whether' does not arise rather it is an urgent requirement to fix a minimum criteria.

It is also important for us to provide support to this sector. Out of 310 dental colleges, only 40 are Government institutes. A major setback is the uneven distribution of colleges. Certain States like Jharkhand, North-Eastern States, etc., have very few colleges when compared to other States.

Again, as per World Health Organisation, the provision of oral healthcare in rural parts of India is negligible. Various studies have concluded that the unmet treatment need of the population is very high and the services present are inadequate. Record also shows that only 5 per cent of graduates are employed in the Government sector whereas the rest 95 per cent is employed in the private field among which very few afford the expensive latest technology. Private practice clinics require a heavy investment which is unavailable to the young doctors.

Thus, I would like to conclude by saying that the proposed amendment is a small step forward which requires a big leap. Our prime focus should be to spread awareness amongst the people, provide better job opportunities, improve the infrastructure of the institutions and most importantly, recruit the truly deserving candidates in the Central Council.

Thank you, Sir, for allowing me to express my views on such an important matter.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Thank you, Sir, for allowing me to voice my views on The Dentists (Amendment) Bill, 2019.

This Bill seeks to make the Dental Council of India more effective. This amendment seeks to reduce redundancy by restructuring the Dental Council. The representation of the Central Government members and elected members would no longer be made mandatory in the Dental Council and thus it will help restructure the Dental Council. The representation of dentists registered in Part B as Central Government nominees in the DCI and the election of four or two members from Part B to the State or the Joint State Dental Councils under the respective clauses in the Act has lost its relevance now. I want to ask the hon. Minister what will happen to these two or four members? Will it be added to Part A?

I am glad that our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji and his able Government has finally decided to end the autonomy enjoyed by the DCI in constituting its own Governing Board. Set up in the post-independence era, I wonder, how such a law, relevance of which does not make sense in the modern world could subsist and occupy a central place and nobody seems to be bothered about it – not for a year or two but for more than four decades.

There were widespread allegations on the functioning of the DCI and the autonomy enjoyed by it. The 'hand in gloves' approach of the policy-makers along with the power centres of the Council had a huge contribution in demeriting and truncating the condition of dental education in this country.

Every now and then, one would hear of some scam or corruption that took place in some part of the country; sometimes in the name of allowing a non-complying institution to start operating; sometimes in the name of increasing the number of seats of a dental college and sometimes in the name of giving admission. The dental education industry acting through the Dental Council of India was always in the news but not for the right reasons. The Dentist (Amendment) Bill 2016 was also a very welcome step, the primary purpose of which was to introduce a uniform entrance examination for all the dental colleges for the undergraduates and postgraduate degree.

As this august House is aware, the Dentists (Amendment) Bill provides for the constitution of the Dental Council of India to regulate permission to start colleges, courses or increase the number of seats, registration of dentists and standard of professional conduct of dentists. If you go by the existing situation of dentists in our country, it seems the Dental Council of India has failed miserably. There is acute unemployment among dentists. New dental graduates are going jobless. In India, we have 310 dental colleges which give us about 36,000 dentists every year. In 2010, there were 30,570 dentists, whereas in 1970, you would get to see only 8,000 dental students graduate annually. There is a huge disproportion between the urban and the rural areas. I think these dental graduates should be placed properly. New dental graduates have very low job prospects. Starting one's own practice requires huge finances apart from the space and infrastructure. The major cause of unemployment of dentists is mushrooming of dental colleges. It is a most

urgent call of dentistry profession to streamline the dental education keeping in view the demand and ensure that those who pass out as dental graduates, if not provided with jobs, should at least be provided with conducive environment to practice dentistry. I also want to suggest that the dental treatment should be included under the cashless health insurance scheme. Hence, I urge upon the Government to make necessary provisions for major reforms in the Dentists (Amendment) Bill and bring a Bill like the Indian Medical Council (Amendment) Bill that we discussed yesterday.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Hon. Chairperson, I stand here today to support this Bill. I would definitely like to congratulate the hon. Minister who himself is a very good doctor and has worked for years on polio as well as oral cancer. So, he is very sensitive to these issues, but there are a few facts which I would like the hon. Minister to clarify.

Actually, we need an intervention on two points. One is the registration in Part A and Part B. In clause 3 and 4 in section 21 and 23, the hon. Minister has talked about removing the registration. So, what will be the final number of representations? I will give you a case of Maharashtra. There are 39 ex-officio members in our Dental Council in which every college has representation. There are 35,000 practitioners. So, if there are four on this side and the number of registrations in Part B becomes zero out of Part A and Part B, how would the formula work? It will be completely lopsided. There will be more people who will run colleges as administrators vis-à-vis people who are practitioners. If you could kindly throw some light on that, that would really be of help.

I would not take too much time of the House but I do like to repeat a point which is about the insurance that is required. Nowhere in the world you get dental insurance. Today, probably one of the highest costs of medical treatment is in dental treatment. We have friends who actually go for tourism all over the world. They fly to India get dental treatment and go back. It is because globally the dental treatment is very expensive. The education is not expensive but I think an entire infrastructure is needed for a dentist. They don't

need too much space but I think everything is taxed because most of the things a dentist needs are imported from outside India. But somehow, when compared to global market, it is cheaper. I would also like to repeat a point that we need oral care. I have had the fortune of working with the hon. Minister on oral cancer. Oral hygiene is one of the most important aspects in oral cancer. Tobacco and *gutka* are real issues, but there is a substantial population in India today which is suffering with oral cancer purely because of bad oral hygiene.

If to give you an example, about 35 per cent of people in India would die of cancer, 35 per cent are due to oral cancer. It is probably one of the highest in the world. As a part of that, I would like to draw the attention to the hon. Minister that a lot of young children are using dentures. If you are using dentures for a very long time – he is aware of all the data – and if you do not get good oral hygiene, it could lead to oral cancer. Every five hours, there is one death due to oral cancer in India and it is one of the highest in the world as I mentioned earlier. So, what intervention can be done? This is not just about making a change in the Bill but this is far more important. I come from a cancer-survivor's family. I know how difficult it is.

The doctors are excellent, the infrastructure is excellent but it is the access for each human being which needs to be taken care of. There are many good hospitals in the country, Tata Memorial being one of them which is in my State but if you go and see, you would find that oral cancer issues are on the rise and we need to bring in awareness about it and the required money.

There is some data. Last year, on the 17th July, when Shrimati Anupriya Patel was a Minister, there was a programme called Oral Health Programme which the Government of India had started. In all the data I have received, I see that the money is sent but the spending shows almost zero or is minimal. Is the Central Government asking, if you are giving Rs. 5,000 crore or Rs. 6,000 crore to the States, is it getting spent or not? Assam has allotted money but given more. Maharashtra has spent only Rs. 25 lakh. This is what the data is saying. I am sure it is a statistical mistake but it is very important. India does not take oral healthcare very seriously but today it is one of the largest causes of deaths and 35 per cent people die of oral cancer in this country. We need bring this up and speed it up with a big awareness programme. This is not just about a dental community to be represented. I think, we as a society need to rise to the occasion. These health-related Bills are not UPA vs. NDA issues. I do not think they think any differently from what we think about healthcare.

I think there should be some programmes with unanimous support in the interest of this country. I have full faith in this Minister that he will deliver superior results because he had done it in polio. I have very high expectations from him. There is just one disappointment. With these health-related Bills, I would urge the Parliamentary Minister that though you took up two Bills for health which is a very good step, we should have a discussion under rule 193 on the death of 150 children who died due to whatever reason. Somebody said it was because of litchi. Shri Rajiv Pratap Rudy clarified that litchi was blamed unnecessarily. I agree with him. It has nothing to do with litchi; it was purely

due to malnutrition. I proudly share that I come from a State which had done an exceptional amount of good work on malnutrition. Let us look at health more holistically and practically. I think, if the Government rises to the occasion on any good suggestions, we would be happy to share good practices in building a good and healthy nation.

Thank you.

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): सभापति महोदय, सदन जरूर सोचता होगा कि आखिर इस विषय पर बोलने का मेरा क्या औचित्य है? मैं कोई डॉक्टर नहीं, लेकिन पेशेंट जरूर हूँ। हम सभी कभी न कभी पेशेंट बने हैं। इसलिए यह बड़ी चिंता का विषय है।

महोदय, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, जो अपने आप काम करते हैं, जिनके बारे में चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सोए रहें या जगे रहें, वे सब काम करते रहते हैं। लेकिन, दांत कमाल की चीज है। हम सुबह उठकर इसकी सेवा करते हैं, रात को सोने से पहले इसकी सेवा करते हैं, जो सेवा नहीं करते हैं, वे दुःख में रहते हैं, क्योंकि यह सब हमें बचपन से सिखाया गया है। मेरी माँ अभी 85 साल की है, वे नीम का दातुन लेकर दांत धोती हैं। उनका दांत ठीक-ठाक है। अभी सुप्रिया जी बोल रही थीं और जब-जब हंस रही थीं, सुन्दर सा दांत दिख रहा था तो मन खुश हो रहा था। संजय जायसवाल जी से मुझे समय लेना था, लेकिन जब तक वे मुंह बंद किए हुए थे तब तक मुझे मौका नहीं मिल रहा था। जैसे ही उन्होंने मुंह खोला, उनके दांत दिखे, वे खुश हुए और हमारा काम हो गया। भगवान ने एक ऐसी चीज बनाकर दी है, जिसकी सेवा करना बहुत जरूरी है और यह हमारी प्राथमिकता से बाहर है।

महोदय, डॉ.साहब यह बिल लेकर आए हैं। स्वास्थ्य विभाग तो पिछले दो दिन से छाया हुआ है। कल भी आप थे, आज भी आप हैं। सरकार ने, प्रधान मंत्री जी ने बड़ा अच्छा निर्णय किया है, हम धीरे-धीरे इस दिशा में बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य का काम स्वास्थ्य से संबंधित व्यक्ति को, विदेश का काम विदेश से संबंधित व्यक्ति को, इससे सचमुच एक अच्छा रास्ता दिख रहा है।

उस ज्ञान का लाभ हमारे सदन को भी मिल सके। महोदय, यह साधारण सा बिल है, पता नहीं ऐसी चीजों को सुधारने में इतने साल क्यों लग जाते हैं। एक कुर्सी पर वह बैठा है जो क्वालिफाइड एम.बी.बी.एस. है, दूसरा है, जिसको देहात में हम क्वैक कहते हैं और उसके बाद उसको भी उसमें वही अधिकार मिल चुका था। आश्चर्य की बात है कि चार-पांच राज्यों ने ही इसे लागू किया था, इसमें पश्चिम बंगाल, केरल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी इत्यादि राज्यों ने

किया था। चैप्टर-बी पर रजिस्ट्रेशन पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा था, बड़े राज्यों में कहीं नहीं था, सिर्फ छोटे राज्यों में था।

महोदय, आज थोड़ा इतिहास में भी जाना जरूरी है, क्योंकि जब से मानव जाति का अवतार हुआ है, डेंटिस्ट्री लगभग 7000 बी.सी. से है। सबसे पहले डेंटिस्ट्री के बारे में जानकारी तब मिली, जब हड़प्पन वाली सिविलाइजेशन में बहुत सारे औजार मिले, जिसमें दांत निकालने के भी उपकरण वगैरह थे, उस समय से डेंटिस्ट्री की बात की जा रही है। सुमेरियन सभ्यता में 5000 बी.सी. से, दांत के बारे में ट्रीटमेंट में चाइनीज ने सिल्वर भरने का काम 2000 बी.सी. से शुरू किया और हिप्पोक्रेट्स, जिनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, ने इसका लगभग 400 बी.सी. में जिक्र किया था। भारत के सुश्रुत ने 400 बी.सी. के आसपास किस प्रकार से दांत निकाला जाए, किस प्रकार से दांत का ट्रीटमेंट हो, यह शोध किया तो इसका बड़ा इतिहास है और यह सभी को प्रभावित करता है, पहले फ्रांस में जो नाई होते थे, वे दो कैटेगरी के होते थे। वे बाल काटने के साथ-साथ दांत की भी सेवा करते थे और जो फ्रांस में उच्च श्रेणी का नाई होता था, वह दांत उखाड़ता था। इसका इतिहास इतना रोचक है कि अगर इसमें जाएं तो आज समय कम पड़ जाएगा। आज हम इस विषय में निर्णय करते हैं, लेकिन आज संख्या की चिंता का विषय इसके साथ उभकर आता है। भारत आज सवा सौ करोड़ का देश है। इतने बड़े देश में डॉक्टर्स की संख्या की तुलना करें, तो आज 350 मिलियन के बीच में लगभग 2 लाख डॉक्टर्स हमारे पास हैं। जापान की आबादी 13 करोड़ है, जो हमसे 13 गुना कम है, वहां पर 1 लाख डॉक्टर्स हैं। इटली, जिसकी आबादी 6 करोड़ है, वहां लगभग 50 हजार डॉक्टर्स हैं। फ्रांस की आबादी साढ़े छः करोड़ है, वहां 43 हजार डॉक्टर्स हैं। युनाइटेड किंगडम की आबादी 7 करोड़ है, वहां 34 हजार डॉक्टर्स हैं और इसी प्रकार से संख्या क्रमशः कम होती जा रही है। यहां तक कि कोरिया की 5 करोड़ की आबादी है, वहां भी 24 हजार डेंटिस्ट हैं।

महोदय, यह बहुत चिंता का विषय है कि सवा सौ करोड़ के लिए क्या पर्याप्त संख्या में हमारे पास डेंटिस्ट हैं? एक सवाल है इसके बारे में, जो रजिस्टर्ड लगभग 1 लाख 80 हजार डेंटिस्ट हैं

इसमें से मात्र 80 फीसदी ही डेंटिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं बाकी डॉक्टर्स की इसमें रुचि नहीं है। पहले के जमाने में अधिकांश डेन्टल कॉलेजेस प्राइवेट सेक्टर के थे इस कारण बड़े घरों के बच्चों ने डेंटिस्ट्री का काम किया जिनकी इस काम में कोई रुचि नहीं है। तो यह भी एक विषय बनता है कि जितना बड़ा आँकड़ा हमारे पास है, उतनी बड़ी संख्या में लोग हैं भी या नहीं। भारत का जो इतिहास है, डॉक्टर अहमद जिनको वर्ष 1920 में पद्म भूषण मिला। कलकत्ता का पहला डेन्टल मेडिकल कॉलेज बना, जो बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय में आकर जुड़ा। भारत में बहुत से मित्रों ने बताया कि लगभग 8000 लोगों पर शहरी क्षेत्र में सिर्फ एक, और देहाती क्षेत्र में डेढ़ लाख से तीन लाख लोगों के बीच में एक डेंटिस्ट है। यह बड़ा संकट का विषय है, क्योंकि यह संख्या का विषय है और कई बार उस दांत की बीमारी के कारण, मसूड़ों की बीमारी के कारण कई प्रकार की बीमारियां और होती हैं, जो सामान्य रूप से एन्टीबायोटिक खाकर के देहातों के लोग उसको खत्म कर लेते हैं। आज देखें तो पूरे भारतवर्ष में प्राइवेट डेन्टल कॉलेज अधिक हैं। लगभग 292 के आस पास हैं और सरकारी 40 हैं। अब यह अनुपात किस दृष्टिकोण से है? अधिकांश कर्नाटक में हैं, तमिलनाडु में हैं, महाराष्ट्र में हैं, कुछेक और राज्यों में भी हैं। तो यह कहीं न कहीं बड़े व्यापार का केन्द्र बिन्दु बना रहा, जिसमें एडमिशन देना, इनका नियंत्रण करना, तो शायद इस पर भी विचार करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। आजकल यह टेक्नोलॉजी बहुत जबर्दस्त हो गई है। मुझे याद है कि मैं बचपन में स्कूल में था, तो मेरे दांत में पेरशानी हुई। बचपन में मिठाई, चॉकलेट खाने की आदत बहुत थी और मैं जब पटना के पी.एम.सी.एच में गया और डॉक्टर ने मशीन मेरे दांत में लगाई तो मशीन आग की तरह भभक रही थी और गोल-गोल घूम रही थी, उस दिन से मैंने तय किया कि कभी दांत के डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा।

आज जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या उपकरण हैं साहब, क्या ट्रीटमेंट का तरीका है। ... (व्यवधान) खान मार्केट नहीं, एक और अच्छा सा डॉक्टर लाजपत नगर में, न्यु फ्रेंड्स कॉलोनी में है, मैं उसके पास जाता हूँ।

महोदय, 'कोन बीम टेक्नोलॉजी' एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, जिसमें एक छोटी-सी एक्स-रे चिप मुंह में डालते हैं और सामने स्क्रीन पर आपके पूरे दांत का पोर्शन दिखता है, फिर उसमें वे इंटरवेंशन्स करते हैं। आजकल पेन फ्री डेंटल केयर आ गया है, पता नहीं यह कितने लोगों को मिलता होगा, कितने लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। छोटे डाक्टरों के पास भी जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, जिसके बारे में जानकारी फैलाने की आवश्यकता है - Microscopic root canal therapy and all. बाकी जगह स्पेशलाइजेशन होती है, लेकिन हर डेंटिस्ट अपने आप में सर्जन भी होता है, यह बड़ी बात है। उसे दोनों चीजें समझनी पड़ती हैं, उसे दांत निकालना भी पड़ता है, उसे स्टिच भी करना पड़ता है और यह एक मल्टीपल जॉब रोल है। भारत में गुटखे का प्रभाव होता है। जो लोग सिगरेट पीते हैं, उनके लिए बड़ा खतरा है आने वाले दिनों में। देश में माउथ कैंसर की यहीं से शुरुआत हो रही है, जिसके डिटेक्शन का अभाव है। अगर डेंटल सर्जन्स और डेंट्रिस्टी केयर भारत में बढ़ता तो शायद ओरल कैंसर के डिटेक्शन का पार्ट हम आसानी से समझ पाते। मुंह में जो छाले पड़ते हैं, दर्द होता है और एंटीबायोटिक्स और ऑफ-द-रैंक दवाई खाकर हम रहते हैं। इसके कारण भारत में एक ग्लोबल बर्डन डिजीज की एक स्टडी हुई, उसमें ओरल डिजीज, आज दुनिया की लगभग सात या आठ बिलियन आबादी है, it is affecting almost 3.58 billion people in the world. As oral dentistry, oral health is something which is catching up with the world. Like many other diseases, it goes mostly unnoticed.

महोदय, आज भारत में 90 से 95 प्रतिशत लोगों को मसूड़ों की तकलीफ है। हमें समझ में नहीं आता है जब पायरिया होता है या कोई अन्य बीमारी हो जाए। इसकी वृद्धि पूरे भारतवर्ष में हो रही है। The Indian Dental Association calls it a silent epidemic which possibly

we may not be realising, but it is happening in a very big way, especially in rural areas.

Now, I come to children's dental care. Oral diseases like oral cancer, caries, periodontal diseases, and sports injury are all preventable. ये सभी प्रिवेंटिबल हैं। अगर हम इन पर अच्छे तरीके से इलाज उपलब्ध कराएंगे तो शायद इन सभी बीमारियों का समाधान निकल सकता है। आज जब भारत में प्रत्येक साल 26 मिलियन बच्चे आते हैं, स्कूल्स में आंखों के बारे में थोड़ा-बहुत केयर भी करते हैं, लेकिन साथ ही अगर शिक्षा मंत्रालय स्कूल्स में ओरल टेस्ट्स और ओरल डायग्नोसिस पर भी ध्यान दे, अगर हम प्राइमरी स्टेज पर बच्चों का ओरल डेंटिस्ट्री और उसकी हाइजीन के बारे में जानकारी दें तो शायद इसका बड़ा लाभ मिल सकता है। साथ ही, आज यह एक बड़ा व्यापार भी है। आज पूरी दुनिया में ओरल हेल्थ इंडस्ट्री 4.5 बिलियन डॉलर्स की है। जैसा अभी सुप्रिया जी कह रही थीं, आज भारत में एक लाख करोड़ रुपये का मेडिकल टूरिज्म है तो उसमें डेंटल हेल्थकेयर का हिस्सा लगभग दस हजार करोड़ रुपये है। पूरी दुनिया में यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। ... (व्यवधान)

महोदय, मेरा एक अंतिम विषय है, सिर्फ दो प्वाइंट्स हैं। भारत सरकार ने जो आयुष्मान योजना शुरू की, दांत ऐसी चीज नहीं है कि अगर पैसे के अभाव में उसे दस दिन न दिखाएं तो कोई मर नहीं जाएगा, इसलिए लोग उसे टालते रहते हैं। आयुष्मान भारत – जो दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की है। जब 50 करोड़ लोगों के पास हेल्थ कार्ड होगा और भारत सरकार ने जो पैकेज दिए हैं, सामान्य रूप से कोई भी गरीब जाकर आयुष्मान भारत में इस प्रकार का ट्रीटमेंट कराएगा। सदन की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि the fixation of fracture of jaw with closed reduction costs Rs. 5000. The fixation of fracture of jaw with open reduction costs Rs. 12,000. Sequestrectomy costs Rs. 1500. TM Joint Ankylosis costs Rs.15,000.

महोदय, ये सभी ऐसे उपचार हैं, जिनके लिए देश का कोई गरीब, चाहे वह कितना भी बीमार हो जाता, एंटीबायोटिक दवा खाकर, पेन किलर खाकर अपना जीवन बिता लेता, लेकिन कभी ये उपचार नहीं कराता। देश के प्रधान मंत्री जी की ऐसी योजना आई है कि देश के वे 50 करोड़ लोग, इन नौ प्रकार के डेंटल ट्रीटमेंट को भी करा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो हमने कभी नहीं सोचा था। यह 'गोल्डन कार्ड' एक जादुई कार्ड है। यह लोगों को मिल रहा है, अभी बड़ी संख्या में इसे इश्यू किया जाना है।

माननीय मंत्री जी, अगर आप पूछेंगे कि क्या इस बिल से मैं खुश हूँ, तो मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि एक छोटा सा परिवर्तन हो रहा है। 50 साल बाद आपको मौका मिला है।

विस्तार से ओरल डेन्टिस्ट्री, ओरल इश्यूज, ओरल हाइजीन पर और इसकी देख-रेख के लिए विस्तार से बिल लेकर आएंगे तो हम आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि आप पेशे से डॉक्टर हैं, आप जानकार हैं। आप एक बड़ा बिल लेकर आइए, जिसमें हम सब आपकी तरह खूबसूरत दिखें, आपकी तरह स्वस्थ दिखें। आपकी स्माइल के साथ हमारी भी स्माइल, दुनिया की स्माइल, भारत की स्माइल से जुड़ सके। आपसे आग्रह है कि आने वाले दिनों में विस्तार से ओरल हेल्थ केयर के लिए एक बड़ा विधेयक लेकर आएँ, जिसका सदन स्वागत करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपके इस विधेयक में संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BEHRAMPUR): Sir, the proposed Bill seeks to amend the Dentists Act, 1948 so as to take away the mandatory requirement of representation of Part B dentists in the Dental Council of India, State Dental Councils and Joint State Dental Councils. On behalf of our Party, Biju Janata Dal, I support the proposed amendment in the Bill.

If I remember correctly, during my student days, I had seen Chinese people treating dental patients in Odisha. They were dentists. Mostly, people do not go to them because if there is any pain in tooth, they go for desi medicines like *labanga* or some oil or something else. That used to be the treatment earlier. But now things have changed. A lot of dental colleges have come up. They are mostly in private sector. People have also become aware of dental care. As most of my colleagues have said, फेस में दांत सबसे ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि anything we take, we take through mouth. So, dental care is required for everybody. I hope this Bill will help people in coming years.

There are some lacunae. Our degrees like Bachelor in Dental Surgery or Master in Dental Surgery are not recognised in the UK and the USA. They have to study there first and have to take the whole course. I would like to know whether we recognise the degrees which people get from the UK or the USA.

In Odisha, our leader, hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik has taken steps in this regard. In most of the Primary Health Centres, we have dental surgeons. He is making provisions to have dentists in all the PHCs. In the cities, there are a lot of practising dentists but in rural areas, people do not

get this facility. Our leader, Shri Naveen Patnaik Ji, has taken care of appointing dentists in almost all the PHCs.

In the present scenario when medical science is progressing and new researches and developments are taking place, there is no relevance of this provision. There has been no registration in Part B after 1972. I hope, with this amendment, the Dental Councils will be restructured and become more effective to deal with the challenges being faced by the Dental science sector, like severe shortage of dentists in the country. The oral statistics published by the World Health Organisation for the year 2017 says that India has 1,867 dentists per 10,000 people. In absolute numbers, there are only 2,51,207 dentists to take care of our entire population in this country. In the year 2008, the fees for graduate courses for dentists were Rs. 2.5 lakh per annum including material charges etc. In colleges like Manipal, the fees today are close to Rs. 5 lakh to 6 lakh per annum. For MDS, Government colleges charge Rs. 50,000 to Rs. 2,00,000/-, whereas in private colleges the fee ranges from Rs. 10 lakh to Rs. 14 lakh per annum. Why I am saying this is because most of the dental colleges are in the private sector. So, Government should take the initiative to set up more Government run dental colleges so that we will have more dentists in the country in the future.

Overall, employment of dentists is projected at 19 per cent by 2026, must faster than the average of all occupations. Demand for dental services will increase as the population ages. The ageing population will need dental care.

Hon. Chairperson, there are approximately 950 dentists registered in Part B. I would like to suggest here that for the dentists registered in Part B there should be a crash course through which they can update themselves with the latest technologies, developments and researches in dentistry. Part B now has no relevance because so many dental colleges have come up and there are now a number of degree holders in the field.

I support this Bill. Many of my colleagues in this House are doctors and yesterday also when the Medical Council Bill was discussed some of our colleagues suggested to have representation of Members of Parliament in the Governing Body and Councils. So, I would like to suggest to the hon. Minister consider having at least 2 to 3 Dentists from amongst the Members of Parliament in the Dental Council of India.

Thank you.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Hon. Chairperson, thank you for giving me this opportunity to speak on the Dentist (Amendment) Bill, 2019. While we support the Bill, we should improve the quality of various Councils, namely, the Dental Council of India, the State Dental Councils and the Joint State Dental Councils by removing the Part B dentists which have become obsolete.

I cannot help but wonder why this Bill is so limited in its scope when the dental needs of our people, especially our brothers and sisters living in rural areas, are going largely unmet as many people have already mentioned and even my friend Rudy ji has explained in great detail.

Sir, since my time is so limited, I have one question to ask and two suggestions to make. My question is this. How will you actually increase the number of Part A dentists to meet the shortage especially in the rural areas? That is a big question and I think, this is what all of us would like to know.

I have two suggestions. First one is that in many countries, schools require -- make it mandatory -- to have annual dental check-ups and annual medical check-ups. One suggestion is to make it mandatory to have these medical and dental check-ups in the school itself so that from a young age the children not only are being given the care and attention but also are given the exposure and knowledge, and create a habit -- and exposure to create a culture -- of looking after their health needs and dental needs. Can we not somehow integrate dental care into the PHCs that we have all over the country as that will help reach the rural population much better? My second suggestion is to include dental care also in all PHCs in the country.

17.00 hrs

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Sir, on behalf of YSRCP, I welcome the Bill.

We are happy over the introduction of Dentists Bill and the proposed amendment in the Parliament. Under the Act, the register of dentists is maintained in two parts, namely Part-A and Part-B. I would not like to discuss it at length because the hon. Minister has explained the features of the Bill and many Members have also mentioned their views.

Using this opportunity, I would like to say a few words about my State. In Andhra Pradesh, our then Chief Minister, Shri Y.S. Rajasekhara Reddy, introduced Aarogyasri Programme for the benefit of the poor people, SCs, STs and other communities residing in the villages. Under Aarogyasri Programme, lakhs of people have been benefitted by getting treatment. Also, the present Government led by Shri Y.S. Jaganmohan Reddy is continuing the YSR Aarogyasri Programme in Andhra Pradesh.

17.01 hrs

(Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

I would like to request the hon. Minister on certain points. Three Sections are to be amended in the Bill. The omission of Part B is welcome but increase of dentists under Part-A is very much essential to fill the gap.

There should be an increase in the number of representatives of dentists in Dental Council of India and State Dental Councils as there is a huge increase of dentists (which is approximately 2.7 lakhs) as compared to what was passed in 1948. This is as regards the dentists part.

Though oral health is included under non-communicable diseases, least priority is given to oral health awareness. The hon. Member, Shri Rudy, and another hon. Member also have explained in detail about oral health awareness and oral cancer.

I am very particular that oral awareness camps should be conducted in the villages under the National Health Mission. It is very important to conduct such camps. Dental surgeons need to be appointed in every PHC as oral health is very much important. As per the World Health Statistics, dentist population ratio is 1:1,50,000 in rural areas.

In India, for the development of healthcare, the Central Government has initiated Ayushman Bharat Programme which is useful and beneficial to the poor people but allotment of funds to the Health Department should be enhanced.

I have read in a book that, BRICS countries, other than India, are investing 5 to 8 per cent of their budget on health whereas India's investment is just 1.3 per cent. In India, personal investment of public on health is higher than the allotment of funds by the Government of India towards healthcare for its people.

Finally, I request the hon. Minister that all Government schemes should lay stress on oral health awareness and focus on prevention rather than treatment of diseases.

Already, we have more than 2,70,000 dental doctors. So, sanction of new dental colleges should be stopped for at least a few years because there is already a surplus production of dental doctors. Sir, with these words, I once again support the Bill. Thank you.

डॉ. सुभाष सरकार (बांकुरा) : माननीय सभापति महोदय, दन्त-चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2019 के समर्थन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वर्ष 2014 से हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का काम शुरू हुआ है। इस काम पर विश्वास कर के भारत की जनता ने बहुत भारी मत से नरेन्द्र मोदी जी और उनके नेतृत्व की टीम को यहां पर दोबारा पहुंचा दिया है।

सभापति महोदय, दुनिया में करप्शन के ऊपर सर्जरी करने वाली सबसे एक्सलेंट टीम नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की सबसे बड़ी कैबिनेट टीम है। आप देखिए कि एक एक्सलेंट सर्जन की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। यह कहा जाता है कि उसके पास 'लॉयन्स हार्ट' होता है, उसके पास 'ईगल्स आई' होती है और उसके पास 'लेडीज़ फिंगर' भी होती है। नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट है, उसका डिटरमिनेशन ऐसा ही है। उसका डिटरमिनेशन 'लॉयन्स हार्ट' के बराबर है। उसकी 'ईगल्स आई' भी है, अर्थात हम भ्रष्टाचार की एक छोटी सी बूंद को भी नहीं छोड़ेंगे। हम उससे निपटकर देश को उससे मुक्त करेंगे। यह हमारा चिंतन है। आप देखिए कि आज इस सदन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कितने अच्छे शब्दों में यह बिल रखा है, यह लेडीज़ फिंगर है।

सभापति महोदय, पार्ट-ए और पार्ट-बी के बारे में माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छे से चर्चा की। वर्ष 1948 में ज़्यादा डेंटल सर्जिस नहीं थे। हम देखते हैं कि बाजार में कोई आर्टिफिशियल डेंचर बनाता है, कोई टूथ-एक्सट्रैक्शन करता है, उसको भी हमने रजिस्ट्रेशन का मौका दिया था। आज साइंस बहुत आगे बढ़ गई है। इस कारण हमारे देश में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेज़ खुले। वर्ष 1948 में जो कॉलेज शुरू हुआ था, आज उसे 71 ईयर्स हो गए, इंडिपेंडेंस को 72 ईयर्स हो गए। वर्ष 1972 में उनका रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो गया, इस बात को 47 ईयर्स हो गए। आपके पास क्वालिफाइड डेंटल सर्जन की संख्या है।

हमारे पास 2.5 लाख क्वालिफाइड डेंटल सर्जिस हैं। इसके हिसाब से पार्ट-बी वाले केवल 950 हैं। अभी तक यह होता था कि डेंटल काउंसिल में हर बार चार-पांच सदस्य इस पार्ट-बी से आ जाते थे। इसकी क्या जरूरत थी? जिसका कोई स्टैंडर्डिज़ेशन नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन

नहीं है, उसे कॉलेज में क्या करना है, इसकी भी जानकारी नहीं है, तो उसे इसमें रखने का कोई कारण नहीं है। इससे शायद टेबल के इस पार और ट्रेजरी बेंच के उस पार जो सदस्य हैं, वे सभी सहमत हैं, मुझे ऐसा लगता है। वर्ष 2011 में मास-स्केल पर ये कॉलेजेज़ बनते थे। इसके कारण डेंटल काउंसिल में भ्रष्टाचार हुआ। ट्रेजरी बेंच के उस पार के हमारे मित्रों को भी यह पता है। वर्ष 2011 में डेंटल काउंसिल के ऑफिस में सीबीआई की कार्रवाई हुई थी। 10 सालों में 264 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज़ बने और सिर्फ 49 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज़ बने। यह कैसे व्यापार बन गया, यह सबको मालूम है। उसके बाद आप देखिए कि 8 वर्षों में केवल 21 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज़ बने और 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज़ बने। हमने इसके ऊपर रोक लगाई।

सर, मैं अभी कन्क्लूड कर रहा हूँ। हमने यह कर दिया, लेकिन इसको डेण्टल काउंसिल का, मेडिकल डेण्टल एजुकेशन कैसी हो, डेण्टल प्रोफेशन कैसा हो, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए यह अमेण्डमेंट बिल है। हमारी अपील है कि सदन में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सभी इसको सपोर्ट करें। माननीय राजीव प्रताप रूडी जी ने बताया कि डेण्टल साइंस में नौ प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। कोई ट्रौमा में आता है। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी होती है। डेण्टल की स्ट्रीम में मैक्सिलोफेशियल सर्जन होता है। गम के अंदर पल्प से स्टेम सेल्स बनता है।

महोदय, आपने मुझे ज्यादा समय नहीं दिया है, दो मिनट और दे दीजिए तो मैं अपनी बात कम्प्लीट कर दूँ। डेण्टल स्ट्रीम में नौ प्रकार हैं। ओरल मेडिसिन एण्ड रेडियोलॉजी भी है। सदन में इतने लोग नहीं आए हैं, लेकिन सब समझते हैं कि डेण्टल के बारे में बात चल रही है, हमको नहीं रहना है। मान लीजिए Oral cavity is the gateway of India. गेटवे ऑफ इण्डिया आप नहीं मानेंगे तो इसे गेटवे ऑफ हैल्थ बोलना चाहिए। यह गेटवे ऑफ हैल्थ जरूर है।

Sir, there are streams like Conservative Dentistry, Prosthetic Dentistry, Paediatric Dentistry, Periodontics, Orthodontics, Oral and Maxillofacial Pathology etc. Lastly, there is Public Health Dentistry and diseases in this dentistry can be controlled by preventive and social medicines. We can

prevent oral cancer. My friend gave the suggestion that a Dental Surgeon should be posted in every Primary Health Centre and I support this suggestion.

में एक फिर सभी मित्रों को अनुरोध करता हूं और जो टेबल के उस पार के मित्र हैं, उनको भी अनुरोध करता हूं कि सभी सहमत होकर इस बिल का समर्थन करें।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Chairman, Sir, I thank you for affording me this opportunity to speak on this Bill and I support this Bill. This is a harmless Bill in which a minor amendment is being made. By this amendment, Dentists registered in Part B of a State Register shall be omitted.

Sir, when we talk about Dentistry and when we talk about the Dentists Act, 1948, the Dentists who were practising in India five years before 1948 were given recognition. The Dentists who repatriated from Bangladesh, Burma and Ceylon from 1957 to 1971 were also given recognition. Now there is no scope for having Part B Dentists in our country. That is why, Sections 3, 21 and 22 have to be amended. We are deleting these Clauses and Part B is being omitted.

I have submitted three amendments to the three clauses. When we delete these clauses, I would submit that opportunity may be given to fill up those vacancies by the teaching faculty. In my second amendment, I have suggested that the Dentists who are registered in a particular State should be given an opportunity so that they can be represented in the State Council. My third amendment is that if two States join together to form a Joint Dental Council, then the Dentists who are registered in those States should be given an opportunity so that they can be represented in that Council. So, my main suggestion is that the Part B may be replaced by the teaching faculty or the Dentists who are practising in a particular State may be allowed to be represented in the State Dental Council so that the strength of the Council may not be decreased. These are the three positive amendments which I have

proposed. I hope the hon. Minister will look into the matter and take necessary steps to accept these amendments.

Sir, almost all the hon. Members have mentioned that dental colleges are mushrooming like anything these days in our country. There is too much commercialisation of medical education in the country and it has reached an alarming situation.

Yesterday also, when we talked about Medical Council of India (Amendment) Bill, we had talked about the quality of education. Similarly, the same thing has happened in the case of dental medical education. As we know, dentistry is a special branch of medical science and the impact of other organs will definitely reflect in the mouth, teeth and other areas also. So, the dental protection and dental rehabilitation are required for maintaining the general health of a person. These two are very important as far as this area is concerned because dental protection, dental care as well as dental rehabilitation are highly essential to maintain general health of a person. So, dentistry is a fast-developing branch of medical science in the country. That is why, the number of medical practitioners in the field of dentistry is also increasing, but the quality has to be maintained.

As Supriya Sule has rightly stated that premalignant lesion and oral cancer are being reported like anything. India is having the highest number of oral cancer patients due to smoking and due to chewing of *pan parag* and so many other things. The number of oral cancer patients is increasing. If it is found at the primary stage, it can definitely be rectified or it can be cured. As

some of my friends have rightly said, at least at the community health centres, I am not even suggesting for the primary health centre, a dentist post may be allocated, so that oral cancer can be identified at the primary stage and it can be cured. This is one of the suggestions that I would like to make.

...(Interruptions)

Another branch in the dentistry is facial cosmetic surgery. The facial cosmetic surgery comes under the purview of the dentistry. That is also there. So, my suggestion to the hon. Minister is this. When he deletes the clause of 'B' Class practitioners, which means those who do not possess any registered qualification, then let it be replaced by teaching faculty and the dentists who are registered in a particular State. I would like to urge upon the hon. Minister to educate people and bring awareness so as to avoid the surgical incision of oral cancer in this country. These are my suggestions.

With these suggestions, I would like to support the Bill.

श्री संतोष पाण्डेय (राजनंदगाँव) : माननीय सभापति महोदय, दंत चिकित्सक संशोधन विधेयक, 2019 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वास्तव में, आज और कल ये दोनों दिन चिकित्सा जगत और पूरे भारत के लिए बहुत गौरवमय हैं। कल भी विचार मंथन हुआ। आज दंत चिकित्सक संशोधन विधेयक पर हम सभी चर्चा कर रहे हैं। माननीय रूडी जी यहां से चले गए हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी शुरुआत की। वास्तव में-

शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम्।

यदि यह शरीर है, तो सब प्रकार के धर्म, कर्म, देश-दुनिया सब-कुछ है। शरीर के साथ ये जो दांत हैं, जब हम खुश होते हैं, उसको भी दिखाते हैं और कभी-कभी दांत के कारण बहुत-कुछ हो भी जाता है। हम जब गुस्सा होते हैं या कहीं आवेश में आ जाते हैं तो दांत को ही खतरा रहता है। अभी तक इस देश में 1947 से लेकर विभाजन तक जो भी हुआ और दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 में संशोधन हेतु जिस प्रकार से यह विधेयक लाया गया, और पूर्व में दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 में संशोधन भी हुए। फिर भी वर्तमान में इसमें पुनः संशोधन की पर्याप्त गुंजाइश और आवश्यकता है। हमारे विद्वान, आदरणीय डॉ. हर्षवर्धन जी ने इसमें जितने भी बिंदु लाए हैं, वे सभी पास करने लायक हैं। इसके पूर्व में एक शेर याद आता है, जिसकी दो शानदार पंक्तियां हैं-

छला गया था मांझी पहले अपनी ही पतवारों से।
डोली लुटी राह में सहसा धोखेबाज़ कहारों से।।

हमारे जो दंत चिकित्सक, डेंटिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के जितने भी पदाधिकारी थे, उन्होंने जिस प्रकार का कारनामा किया है, उससे देश के लिए बहुत अच्छा चित्र उन्होंने प्रदर्शित नहीं किया।

आज चाहे उनके रजिस्ट्रार हों, उनकी टीम हो और जिस प्रकार से भी उन्होंने किया है, पूरा देश उससे परिचित है। इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए यदि किसी ने बीड़ा उठाया है और यह

कहें कि “मोदी है तो मुमकिन है।” आज भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के आने के बाद से यह फिज़ा बदली है।

महोदय, भ्रष्टाचार और रिश्त लेने के आरोप में फंसे दिल्ली डेंटल काउंसिल के रजिस्ट्रार को निलंबित किया गया। इसके अलावा उनके एडवोकेट को भी काउंसिल से हटाने का फैसला किया गया। सीबीआई ने काउंसिल के वकील को गिरफ्तार भी किया। इस दौरान रजिस्ट्रार के लॉकर से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से जुड़ी करोड़ों की बेनामी सम्पत्ति के दस्तावेज बरामद होने की बात सामने आयी। इसी क्रम में यह तथ्य भी सामने आया था कि दिल्ली सरकार ने राज्यपाल द्वारा मनोनीत तीन सदस्यों का मनोनयन रद्द कर अपने खास डॉक्टर्स को काउंसिल का सदस्य मनोनीत किया। इसके बाद नियमों को दरकिनार कर उन्हें रजिस्ट्रार भी बना दिया गया। काउंसिल की बैठक में कई सदस्यों ने डेंटिस्ट एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि रजिस्ट्रार सरकारी पद है, फिर भी निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स को यह पद दिया गया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। डीडीसी की टीम प्रभावित रही और अर्थ के प्रभाव में अनर्थ किया गया। उन पर पूरा दबाव था, चाहे पैसे के माध्यम से हो, किसी अन्य प्रभाव के कारण या किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण अनेक गवर्नमेंट कॉलेजेज को जीरो ईयर घोषित कर दिया गया। उन्हें पीजी सीट्स नहीं दी गयीं। इससे गवर्नमेंट कॉलेजेज प्रभावित हुए और प्राइवेट कॉलेजेज को फायदा पहुंचाया गया। मूलभूत बात यह है कि काउंसिल के प्रति किसी भी तरह से प्रभावित न होते हुए पारदर्शितापूर्ण इस बिल को बड़े दिल के साथ पास किया जाना चाहिए। मैं यह मानता हूँ कि काउंसिल का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो और पढ़ाने के लिए नंबर ऑफ फैकल्टीज़ हों। अप्रोप्रिएट फैकल्टी संसाधन होने चाहिए, इक्यूपमेंट्स होने चाहिए, वेल-इक्यूपमेंट संरचना रहे, इन्हीं बातों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री एम. बदरुद्दीन अजमल (धुबरी) : महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस इम्पोर्टेंट इश्यू पर बोलने का मौका दिया। मैं इस बिल के पक्ष में खड़ा हुआ हूँ।

सर, हमारे मुल्क में डेंटिस्ट्स की बहुत जरूरत है। देश में इनकी बहुत कमी है। कल पूरे दिन एमबीबीएस डॉक्टर्स पर बात होती रही। आज डेंटिस्ट्स के बारे में हो रही है। मैं इसके लिए डॉक्टर साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मुल्क में जो हालत हैं डेंटिस्ट्स की इतनी कमी है कि आप एक शहर में लेंगे तो भी हजारों पर एक पड़ता है और गांवों में जाएंगे तो पचासों हजार मरीजों पर एक डॉक्टर पड़ता है। इसलिए इसको बढ़ावा देने की जरूरत है। अगर कहीं प्राइवेट डॉक्टर्स हैं तो उनके पास मशीनरी नहीं है, इक्वूपमेंट्स नहीं हैं। दाँत ऊपर वाले की एक खास नेमत है, अगर कोई कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन उसके पास दाँत नहीं है तो उसकी सारी खूबसूरती वहीं खत्म हो जाती है। आज यह दाँत कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। इनमें बड़ी-बड़ी बीमारियां हो रही हैं। पानी की खराबी की वजह से दाँत बर्बाद हो रहे हैं। हमारे असम में हल्दीहाटी एक जगह है, जहां का एक पूरा गांव पानी की वजह से बर्बाद हो गया है। इस किस्म की जगहों पर डॉक्टर साहब को खास ध्यान देने की जरूरत है। हमारे मुल्क में इस प्रोफेशन का बढ़ावा देने की जरूरत है क्योंकि वहां इनकी बहुत कमी है। इस मामले में बहुत लापरवाही हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब के नेतृत्व में इस पर ध्यान दिया जाएगा। पूरे मुल्क में इस पर ध्यान दिया जाएगा और खास तौर से हमारे भाईसाहब ने अभी एक सजेशन दिया था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर भी डेंटिस्ट्स की फैकल्टी को लाजिम कर दिया जाए। वहां एक-दो डॉक्टर्स कम से कम रहें। उनके पास सारी चीजें हों ताकि गरीब आदमी, किसान और मजदूर उनके पास आए तो उसके इलाज के लिए हर चीज उसके पास मुहैया हो। इन चीजों का डॉक्टर साहब ख्याल रखेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री भगवंत मान (संगरूर) : सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यहां बहुत ही गंभीर विषय पर डिबेट चल रही है। मैं इस बिल का सपोर्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब जो बिल लाए हैं, मैं इसके पक्ष में हूँ। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डब्ल्यू एचओ - एक हजार के पीछे एक डॉक्टर है। लेकिन यहां पर बीस हजार के पीछे एक डेन्टिस्ट है, जो कि बहुत ही कम है। अगर ऐसा बिल लाया गया है, तो मैं इसका सच्चे दिल से सपोर्ट करता हूँ। अगर मैं विपक्ष में हूँ, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ निंदा ही करनी है। अगर कोई अच्छी बात होगी, तो मैं तारीफ भी करूंगा। आज मैं तारीफ करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मसूडों की बीमारी के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। उसके इलाज के बारे में भी कोई अवेयरनेस नहीं है। अगर ऐसा बिल लाया जा रहा है, जिससे लोगों को उनके दांतों की बीमारी के बारे में अवेयर किया जाएगा, उनको अवगत कराया जाएगा, तो यह अच्छी बात है।

महोदय, बहुत से पंजाबी अमेरिका, कनाडा और इंग्लैण्ड में बसते हैं। वहां पर बहुत महंगा इलाज है। वहां पर जो डेन्टिस्ट्स हैं, वे बहुत महंगे हैं। उनका इंश्योरेंस भी नहीं होता है। उनको टिकट भी सस्ती पड़ती है कि वे यहां पर आकर अपने दांतों का इलाज करवाएं और चले जाएं। वे रिश्तेदारों से भी मिल लेंगे और उनके दांतों का इलाज भी हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारे यहां पर जो इलाज है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। मैं इस बात को मानता हूँ। मैं एक बार बंगलौर के जेएनआई में गया था, वहां पर एक बात लिखी हुई थी। वह बात कैन्टीन में लिखी हुई थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि 'आंत के दांत नहीं होते, चबाओ, चबाने के बाद खाओ।' जेएनआई जो बंगलौर का एक नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट है।

आप लोगों के जरिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर अमेरिका और कनाडा से लोग यहां अपना इलाज करवाने के लिए आ सकते हैं, तो हम इसको और भी बेटर कर सकते हैं। अभी तक जो डेन्टल इंश्योरेंस नहीं है, वह किया जाए। रूरल डेन्टल इंश्योरेंस की तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आखिरी में, मैं संसद में यह कहना चाहता हूँ कि आपके संरक्षण में भगवंत मान भी बच जाए और हमारे देश की मुस्कान भी बच जाए।

DR. BHARTI PRAVIN PAWAR (DINDORI): Thank you so much, Sir. यह मेरी मैडन स्पीच है। मैं मेरे पार्टी लीडर्स और मेरे क्षेत्र के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। I stand here to support the Dentists (Amendment) Bill, 2019. The purpose of this Bill is to make the Dental Council of India more effective. The amendment will help restructure the Dental Councils and the representation of Central Government members and elected members would no longer be made mandatory in the Dental Councils. This process will reduce redundancy.

The objectives of this Bill are to maintain uniform standards of dental education, both, at under-graduate and post-graduate levels; to inspect the dental colleges for granting permission to start a dental college, to increase the number of seats and start new P.G. courses; to prescribe the standard curricula for training of dentists, dental hygienists, dental mechanics and condition of such trainings; and the overall supervision of the dental institutions to ensure that they maintain the prescribed standards.

महोदय, आज अवेयरनेस बढ़ गया है। डेन्टल हाइजीन और कास्मेटिक डेन्टिस्ट्री की डिमांड है। डेन्टिस्ट शहरों में तो सेवा दे रहे हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे कि मेरा ढिंढोरी क्षेत्र है, मैं जहां से आती हूँ, वहां पीएससी हो या आरएच हो, वहां पर आज भी डेंटिस्ट्स नहीं हैं। अभी जैसा कि सभी ने बताया है कि ओरल कैंसर बढ़ रहा है, जब वह लास्ट स्टेज पर डायग्नोसिस होता है, तब तक समय निकल जाता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि डेंटिस्ट आरएच हो या पीएससी हो, उनमें होने चाहिए। शायद पेमेंट, जो कि सिटी की प्रैक्टिस से कम्पैयर करते हैं तो वह इन्क्रीमेंट होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर बच्चे हों या फिर सीनियर सिटीज़ंस हों, उनको दिक्कत होती है, तो यह सेवा मिल नहीं पाती है। इसीलिए यह सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़े। कॉस्मेटिक डेन्टिस्ट्री का काम जैसे सिटी में हो रहा है, वैसे

ग्रामीण क्षेत्रों में भी होना चाहिए। बच्चों में जो ज्यादातर डेंटल डिफॉर्मिटीज़ हैं, वह ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ रही है, उसके लिए डेन्टिस्ट्स का होना आवश्यक है। अवेयरनेस कैंप्स की जरूरत है, जो कि ओरल हेल्थकेयर के लिए जरूरी है और जो लास्ट स्टेज में ओरल कैंसर डायग्नोसिस होते हैं, उनके लिए अवेयरनेस कैंप्स बढ़ने चाहिए। 'आयुष्मान भारत योजना' एक बहुत ही अच्छी योजना है, जो लोगों के लिए एक वरदान बनी है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस माध्यम से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि Please increase the number of dental colleges. हो सके तो उसमें मेरे नासिक जिले का विचार हो। And increase the number of undergraduate and post-graduate seats.

सर, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री, मोदी साहब एक स्वस्थ भारत, एक मज़बूत भारत, एक सक्षम भारत और एक हंसता हुआ भारत चाहते हैं। यह विधेयक इस दिशा में लिया गया एक और कदम है। इसका स्वागत करते हुए, मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ और माननीय मंत्री साहब को धन्यवाद देती हूँ।

धन्यवाद

***DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM):** Hon Chairman Sir, Vanakkam. I thank wholeheartedly for this opportunity to speak on the Dentist Amendment Bill, 2019. When we make a comparison with the countries of the world, especially the developed countries are far better than India in creating awareness among general public on dentistry and dental hygiene. We in India lack awareness in this field. 'If we loose our tooth, we loose our speech, there goes a Tamil proverb. Human teeth help to break down food by grinding chewing and swallowing it inside besides ensuring better looks for our face. Tooth is necessary to speak. Protection and maintenance of teeth besides having awareness about oral health care are important. In rural areas people have the practice of using sand and charcoal powder for brushing or whitening their teeth. As a result the gums are weakened and people in their young or middle ages loose their teeth . The Government should take responsibility in addressing this issue. Today many corporate companies are engaged in marketing their tooth pastes and tooth powder. It is matter of fact that those toothpastes and toothpowders are also not protecting our teeth. Government should give importance to dentistry and dental hygiene in the first instance. It is my appeal that extra attention should be given to this field of health science At the national level many dental colleges should be opened and Government should grant permission in this regard.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

My humble request is that Dentists should be appointed in all the Rural Primary Health Centres as a mandatory feature. This is an historical truth that the sticks of Banyan and Neem trees are used for brushing and strengthening of teeth. Because of failing to protect their teeth, the youth of this country loose their teeth and ultimately their speech. I welcome the Dentists Amendment Bill aimed to upgrade the dentistry and dental hygiene. In the Part A Register, more than 2,70,000 persons are registered as qualified Doctors. The number of Members in the Register should be increased. Instead of 4 Members or 6 Members, the number of representation of Members of the Dental Council of India should be increased at any cost. In the Part B Register, as many as 950 Members have been registered . The decision regarding not to appoint any Member from the 950 Members found in Part B Register of the Dental Council of India should be reconsidered as this number is it a small one. My appeal is that at least one Member from this Group of 950 members should be given representation They should be protected. They should not be neglected as it is a Group of 950 persons. They should get adequate representation. Thank you for this Opportunity. Thank you.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, fifty per cent of our population in India do not even use the toothbrush and paste. In the age of digital economy of five trillion, if 50 per cent of our population is not habituated of using brush and toothpaste, then, you can easily assume the gravity of the situation. So, please do something so as to make public aware of using the toothbrush and paste. मैं यह कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन में करिकुलम में लाइए। बच्चों लोगों को ओरल हेल्थ, ओरल हाइजिन कैसे किया जाए। यह हमारी भविष्य की पीढ़ी के लिए है। दूसरा, यह जो फ्लोराइड प्रोडक्ट्स होते हैं, ये हमारे दाँत को मजबूत करते हैं। क्यों न हम यह जो मिड-डे-मील गरीब बच्चों को देते हैं, उसमें फ्लोराइड फोर्टिफिकेशन क्यों न किया जाए। जैसे कि बचपन से लोगों के मसूड़े, दाँत को हम मजबूत कर सकें।

सर, आज के जमाने में फूड हैबिट के चलते हमारे दाँत और खराब हो रहे हैं। आप किसी डेंटिस्ट के पास जाइए, दाँतों की वाइट साइनिंग कराने के लिए बड़ी लम्बी कतार है। लेकिन दाँत के ऊपर क्यों ऐसा स्टिग्मा होते हैं, क्यों ऐसे दाँत खराब होते हैं। ऐरेटेड ड्रिंक्स, शुगर वगैरह-वगैरह हमारी जो फूड हैबिट है, इस फूड हैबिट के चलते हमारे दाँत खराब होते हैं। इन दो-तीन चीजों को लेकर आप ज़रा कार्रवाई करें, क्योंकि अगली पीढ़ी कम से कम डेंटल हेल्थ को बचाने में वे लोग सफल रहें।

DR. HARSH VARDHAN : Sir, I saw at least 18 Members participating in this debate, and I am very happy कि सभी लोगों ने बहुत गहरी-गहरी बातें की हैं और सभी लोग ओरल हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हैं। जो बहुत सारी बातें सामने आईं, उसमें शायद लोगों के मन में अभी भी स्पष्टता नहीं है कि यह जो हमारा अमेंडमेंट है, इसमें केवल एक पार्ट 'बी' का जो मैन्डेटरी प्रोविजन है, हमने एक तरह से उस मैन्डेटरी शब्द को हटा दिया है। उसमें और कोई परिवर्तन किसी भी तरह से नहीं हुआ है। इसमें हम अपने मन में कोई कन्फ्यूजन न रखें, यह किसी के खिलाफ नहीं है, यह किसी के पक्ष में नहीं है। लेकिन मैन्डेटरी होने के कारण, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि पॉइंट 4 परसेंट को 33 परसेंट रिप्रजेन्टेशन मिलता था, जैसे कहते हैं कि समय के साथ एक अब्रेशन हो गई थी, उसे करेक्ट करने की कोशिश इसमें की गई है। मैंने सभी लोगों की बातचीत सुनी, उसमें ब्रॉडली सभी ने इसे सपोर्ट किया है, इसकी स्पिरिट को भी सपोर्ट किया है। हमारी बहन प्रतिमा जी ने कहा कि मैं सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मैं अपोज भी करती हूँ और उन्होंने अपोज करने का कारण यह बताया कि इसके अंदर भारत सरकार जो नॉमिनेशन कर रही है, अगर वे नॉमिनेशन करेंगे, तो वे अपने आदमियों को रख देंगे, अपने रिश्तेदारों को रख देंगे। मैं उनकी नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा and, I think it will enlighten others also कि यह जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसकी टोटल लिस्ट में करीब 89 मैंबर्स हैं। अगर आप इन 89 मैंबर्स का ब्रेकअप देखेंगे, तो जो 18 मैंबर्स हैं,

“(i) one registered dentist possessing a recognised dental qualification elected by the dentists registered in Part A of each State Register.”

It has nothing to do with us.

“(ii) one member elected by the members of the MCI;

(iii) not more than four members elected by the Principals, Deans, Directors and Vice-Principals of dental colleges;

(iv) one member from each university established by law in the States.”

Of course, it includes your State also.

“(v) one member nominated by each State from among the persons registered either in a medical register or a dental register.”

It is a State Government nominee और ये इसमें करीब 27 हैं ।

“(vi) One member from each university established by law in the States.”

वे 39 हैं । इसके बाद,

“(vii) Six members nominated by the Central Government, of whom at least one shall be from the UT’-- Part-A-- ‘and at least two from Part-B registered dentists.”

जिसके बारे में यह बिल है, जिसमें मैन्डेटरी प्रोविजन को हटाने की बात की गई है । एक है the Director General of Health Services as an *ex-officio* member और ऐसे करके ये 89 होते हैं । आप अपने मन में किसी तरह का कोई ऐप्रिहेन्शन न रखें । पहली बात तो यह है कि सभी काउंसिल्स में, यह तो बहुत छोटा सा हिस्सा इसका नॉमिनेटेड है and we can promise that हमारी जो सरकार है, वह पूरी ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्टिविटी के प्रिंसिपल्स पर काम करती है । हमारे लिए कोई भाई-भतीजावाद नहीं है, कोई अपना-पराया नहीं है, सब हमारे हैं और हम सबके हैं, सबका साथ-सबका विश्वास । आप इसके संदर्भ में अपने मन में कोई दुविधा न रखें । मुझे सबको धन्यवाद कहना है कि आप सभी ने इसे सपोर्ट किया है । मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात पर हुई कि बहुत सारे लोगों ने ओरल हेल्थ केयर के बारे में यहाँ पर चिंता व्यक्त की है ।

खासकर, सुप्रिया जी और कुछ लोगों ने ओरल कैंसर के बारे में चिंता व्यक्त की है । यह विषय मेरे लिए भी एक पैशन का विषय रहा है । मैं स्वयं एक ई.एन.टी. सर्जन हूँ । अगर मैं इसमें practicing in life को देखूँ तो it is almost 36 years, जिसमें वह समय कम कर दूँ, जब मैं

मंत्री बन गया। शायद कानून है कि I cannot go to my operation theatre. उसमें मैंने 36 साल गुजारे हैं। अपने मुँह और गले को देखने के लिए दाँत के रास्ते जाना पड़ता था।

हमारे इतने सीनियर डॉक्टर अब्दुल्ला साहब यहां बैठे हैं। इतने सारे केसेज मैंने स्वयं अपने जीवन में देखे हैं। किसी को जुबान का कैंसर, किसी को लिप का कैंसर, किसी को लैरिंग्स का कैंसर, किसी को ओरोफैरिंग्स के कैंसर को मैंने देखा है। मुझे अपने हाथों से बहुत सारे लोगों की सर्जरी करने का मौका मिला। बहुत सारे ऐसे मरीजों को भी देखा, जिन्हें हम जीवन भर कहते रहे कि भाई, सिगरेट पीना छोड़ दो, तम्बाकू खाना बंद कर दो, पान-मसाला वगैरह का इस्तेमाल करना बंद कर दो, इससे सबम्युकस फाइब्रोसिस हो जाएगी। बाद में कैंसर भी हो जाएगा। वर्षों-वर्षों तक इलाज करते हुए मैंने ऐसे मरीजों को देखा। बहुत सारे मरीजों ने हमें सुन लिया तो उनका ल्यूको प्लेकिया भी रिवर्ट हो गया और शायद वह एक प्रकार से रहा तो भी उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई कैंसरस चेंज नहीं हुआ। लेकिन, बहुत संख्या में मैंने ऐसे लोगों को देखा। मैं तो क्लीनिक में उनके एड्रेस और टेलिफोन नम्बर्स के साथ लिस्ट बनाकर रखता था और जब कोई रोगी आता था तो मैं उसे कहता था कि जरा, इन लोगों से मिल कर आओ, जिन्होंने हमारी बात नहीं मानी और फिर किसी भी जुबान काटनी पड़ी, किसी का गला काटना पड़ा, किसी की लैरिंग्स निकालनी पड़ी।

महोदय, सदन की जो चिंता है, जिसे सुप्रिया जी ने विशेष रूप से हाइलाइट किया और मैं समझता हूँ कि उन्होंने स्वयं इसकी पीड़ा को नजदीक से महसूस किया है। इसके कारण उन्होंने अपने जीवन में इसके ऊपर बहुत काम भी किया है। इन मरीजों को देखते-देखते मुझे भी अपने जीवन में 'टोबैको फ्री सोसायटी' के लिए काम करने के लिए पैशन विकसित हुआ। सौभाग्य से, मुझे वर्ष 1998 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्ट जनरल के हाइएस्ट अवार्ड को भी ब्राजील में जाकर प्राप्त करने का मौका मिला। मैं जानता हूँ कि जो ओरल हेल्थ है, ओरल केयर है, ओरल कैंसर है, ये पीड़ादायक है। इसमें केवल ओरल कैंसर ही नहीं, बल्कि सभी प्रकार के कैंसर कष्टदायक हैं, पीड़ादायक हैं। इसके कारण भी हमारे जो दाँत हैं, इसकी चिंता करनी चाहिए क्योंकि

ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। हम जब गले का ऑपरेशन करते हैं तो दाँतों के ऊपर गैग लगाकर मुँह को खोलकर उसके अन्दर ऑपरेशन करना पड़ता है। इसलिए दाँतों का बहुत महत्व है। इसके साथ-साथ स्माइल का जो सम्बन्ध है, उसे भी सभी लोग जानते हैं। आप सभी लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आपकी कंस्टीट्यून्सी के लोगों के लिए आपकी स्माइल का कितना महत्व है, यह आप सब भली-भाँति समझते हैं। किसी का काम आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर अपनी मुस्कान से थोड़ा उससे प्रेम से बात कर ली तो वह कम से कम दुखी नहीं होगा, नाराज नहीं होगा।

डेन्टल काउन्सिल ऑफ इंडिया के सन्दर्भ में और उसकी वर्किंग, फंक्शनिंग, वहां के करप्शन इत्यादि के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं, उन्हें हाइलाइट किया है। अभी उसके बारे में यहां पर मैं कोई बड़ा व्याख्यान नहीं करना चाहता, लेकिन आप सबकी भावनाओं के साथ जुड़ कर मैं भी उसके बारे में उतना ही चिन्तित हूँ, कंसर्नड हूँ। हमारे प्रधान मंत्री जी भी उसके बारे में सोचते हैं। वे चाहते हैं कि जो भी इस तरह की संस्थाएँ हैं, वे पूरे पारदर्शी तरीके से, पूरी ईमानदारी से, पूरे कमिटमेंट के बाद देश हित के लिए, समाज हित के लिए, प्रोफेशन हित के लिए जनहित में काम करें।

उस दिशा की ओर आगे जैसे-जैसे आवश्यकता होगी, वैसे-वैसे काम किया जाएगा। आप जानते हैं कि डेन्टल कॉलेजेज के सेलेक्शन के लिए भी पिछले समय में नीट की जो प्रक्रिया है, उसको लागू किया गया है। उसके अंदर जितने भी गुणात्मक सुधार किए जा सकते हैं, उस दिशा में सरकार बढ़ रही है। आप में से बहुत सारे लोगों की बातों से मुझे ऐसा आभास हुआ, आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात की शायद जानकारी नहीं है कि प्राइमरी तथा सेकेन्डरी हैल्थ केयर में हमारे ओरल हैल्थ केयर का जो कम्पोनेन्ट है, उसकी भी काफी बड़ी सिग्निफिकेन्ट मात्रा है। वर्ष 2014 में जब हमारी सरकार यहां पर आई तो हमने भारत में वर्ष 2014-15 के अंदर नेशनल ओरल हैल्थ प्रोग्राम लांच किया था। It was to strengthen the public health facilities of the country for an accessible, affordable and quality oral healthcare delivery with an aim to ensure improvement in the determinants of oral health – its

example is healthy diets – oral hygiene improvements etc. and to reduce disparity in oral health accessibility in rural as well as urban population, about which many Members have expressed concern in this House. The second objective is to reduce morbidity from oral diseases by strengthening oral health services at sub-district/district hospitals, to start with. The next one is to integrate oral health promotion and preventive services with general healthcare system and other sectors that influence oral health and also promotion of public-private partnerships for achieving public health goals. अभी बहुत लोगों ने ओरल तथा हाइजिन वगैरह के बारे में बात की है। बहुत लोगों ने भोजन के बारे में कहा। हमारा जो एफएसएसएआई है, फूड सेफ्टी से जुड़ा हुआ जो संस्थान है, अभी हम 'ईट राइट – ईट लेस' से संबंधित एक प्रोग्राम सारे देश में मूवमेंट के रूप में विकसित करने वाले हैं। हमारे ऋषि-मुनि भी कहा करते थे –

‘अल्प भुक्तम् बहु भुक्तम्’

If you eat less, you will live longer. अभी संसार में एक स्टडी हुई थी जिसमें सौ-सवा सौ साल से ज्यादा जितने लोग भी जिएं, उनके लाइफ स्टाइल को जब असेस किया गया तो पूरे वर्ल्ड में एक ही कॉमन बात निकली कि वे कम खाते थे। हमारे ऋषि-मुनियों ने यह बहुत पहले कहा था। हम लोग इसको भी एक मूवमेंट के रूप में टेकअप कर रहे हैं।

जैसा अभी मैंने कहा कि आप सब को भी इसकी जानकारी लेना जरूरी है, क्योंकि नेशनल हैल्थ मिशन के अंदर जो कम्पोनेन्ट्स हैं, आप यह भी जानते हैं कि हैल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, अगर आप अपने-अपने जिलों तथा इलाकों से प्रपोज़ल बनवाकर भिजवाते हैं, तो जो प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन है, उसके अंदर सारी मॉनिटरिंग होती है और उसमें पैसा दिया जाता है। उसमें आप अपने-अपने स्थानों पर ओरल हैल्थ केयर के सारे सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। उसमें आप क्या-क्या स्ट्रैन्थेन कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताना चाहूंगा, मुझे यह कहा

जा रहा है कि जरा आप घड़ी का ख्याल रखें। So, I will just run through that. There are two components of this programme. One is NHM component which is for the support of health facilities at the district level and below of the States with the following components of a Dental Unit. The first one is manpower support which includes support for a dentist, dental hygienist and dental assistant. It also includes equipment, including dental chairs. किसी ने यहां कहा कि एक चेयर लगवा दीजिए, लेकिन यह ऑलरेडी इतना बड़ा प्रोग्राम है, It is already working. It is already there in the system. We had started this in 2014.

Then, there is support for consumables for dental procedures. The tertiary component includes designing IEC materials like posters, TV, radio spots, training modules and organising national, regional nodal officers' training programme to enhance the programme management skills and review the status of the programme.

It also includes preparing State and district level trainers by conducting national and regional workshops to train the para-medical health functionaries associated with healthcare delivery. हम इसको सपोर्ट करते हैं। It is the responsibility of the States and the UTs to prioritise and provide comprehensive oral healthcare services to its citizens, including providing braces to children in rural areas. अभी हमारी बहन ने बच्चों के लिए और उन सारी चीजों के बारे में बात कही। All oral healthcare services proposed by the States and UTs in their Programme Implementation Plan, which is popularly called as PIP, are considered in the Department of Health and Family Welfare here. Further, under the NHM component of National Oral Health Programme, States and

UTs can seek support for setting up of dental care units, including the following components, equipment including dental chairs and x-rays, consumables, manpower, including dental surgeons, dental assistants, etc. मैंने इसका जिक्र सिर्फ इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे हमारे नए मैम्बर्स भी हैं। आप अपने-अपने इलाकों में जाकर अपने सिस्टम को स्ट्रेंथेन करने के लिए देखिए कि वहां पर इस प्रकार की कौन-कौन सी फैसिलटीज अगर नहीं है, तो आप अपनी रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, वहां के जो डीएमएस हैं, दूसरे लोगों के थ्रू प्रोजेक्ट बनवाकर उनको नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर, भारत सरकार से उसके बारे में कहें। अभी पिछले तीन-चार दिनों में कुछ एमपीज ने भी इसके संदर्भ में लिखकर दिया है। I can promise we will support and try to strengthen this aspect. As an ENT surgeon myself, I am aware and I realise its importance. ओरल हेल्थ केयर का जो महत्व है, वह कितना इंपोर्टेंट है, दांत का कितना इंपोर्टेंट है और इसके लिए एजुकेशन कितनी इंपोर्टेंट है। अगर आपके क्षेत्र में पचास प्रतिशत लोगों के पास ब्रश नहीं भी है, तो भी अगर लोगों को इतना बता दें कि जितनी बार कुछ खाते हैं, उतनी बार अच्छी तरह से कुल्ली करें और अंगुली से एक बार दांत के ऊपर फेर लें और एक बार जरा गम्स का मसाज कर दें, तो गम और दांत पूरी जिन्दगी स्वस्थ रह सकते हैं। हम केवल इतना भी लोगों को टीच कर दें। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी को ब्रश ही देना जरूरी है। साथ में सबको यह बताते चलिए कि और कुछ भी करो, लेकिन कम से कम सिगरेट, पान, तम्बाकू, बीड़ी, इन सब चीजों से अगर अपने जीवन को बचा सकते हो, तो अपनी ओरल हेल्थ को तुम ठीक रख पाओगे, कैंसर को अपने से दूर पहुंचाने की स्थिति में बेहतर रहोगे और सेफ रहोगे। मुझे लगता है कि उससे काफी कुछ बचत होगी।

सरकार का एक बहुत बड़ा एम्बिथियस प्रोग्राम है, जिसके बारे में सबने चर्चा की है और सबने तारीफ भी की है और सब ऑब्जेक्टिवली तारीफ करना चाहेंगे, तो सब तारीफ ही करेंगे। हमारे प्रधान मंत्री जी ने आयुष्मान योजना लागू की है। उसका जो दूसरा कंपोनेंट है, जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस क्लीनिक्स की बात की गई है। यह बड़ा एम्बिथियस प्रोग्राम है, जिसमें अभी 18-19

हजार के करीब हेल्थ एंड वेलनेस क्लीनिक्स बन चुके हैं। वर्ष 2022 का डेढ़ लाख का टारगेट है, जब प्रधान मंत्री जी के सपनों का नया भारत हम 130 करोड़ लोगों को डिलेवर करना चाहते हैं, जब हर एक हिंदुस्तानी के चेहरे पर मुस्कान होगी, उनके दुःखों का पूरी तरह से निवारण हो चुका होगा।

इस प्रोग्राम के अंतर्गत भी 15 हजार हेल्थ एंड वेलनेस क्लीनिक्स जो ऑलरेडी क्रिएट हो गए हैं, उनमें तीस साल से ऊपर के व्यक्ति का कम्पलसरी ओरल कैंसर के लिए, अर्ली डायग्नोसिस के लिए चेक अप हो रहा है। आने वाले समय के अंदर जितनी ये नॉन-कम्युनिकेबल डिजीजेज़ हैं, सारे प्रोग्राम्स के अंदर जो प्रिवेंटिव आस्पेक्ट है, प्रमोटिव आस्पेक्ट है, पॉजिटिव हेल्थ का आस्पेक्ट है, हेल्थ में जो डॉक्टर लोग हैं, वे सब जानते हैं कि दवाई और अस्पताल का रोल 10 पर्सेंट है, जबकि 90 पर्सेंट रोल हेल्थ एजुकेशन, प्रिवेंशन, प्रमोशन, पॉजिटिव हेल्दी लाइफ स्टाइल का है। जितना ज्यादा हेल्थ का एक पॉजिटिव सोशल मूवमेंट बनाएंगे, जिसमें ओरल हेल्थ भी शामिल होगी, तो मुझे लगता है कि उससे हमारा देश, वह शायद दुनिया के लिए जो हेल्थ फॉर ऑल का सफल मॉडल है, मेरा यह परम विश्वास है कि दुनिया को अगर कभी भी कोई हेल्थ फॉर ऑल, जिसको पहले कहते थे कि Health for all by the year 2000, लेकिन जब भी कभी वह सफल मॉडल अगर कोई दुनिया के अंदर देश दे पाएगा, तो उसकी योग्यता, क्षमता और उसका डीएनए केवल भारत के पास है। केवल हम सबको इसके लिए संकल्प लेना होगा।

18.00 hrs

मुझे कहा गया है कि छह बजे तक खत्म करना है। आपसे फिर कभी लंबी बात करेंगे। प्रधान मंत्री जी चाहते हैं कि स्वास्थ्य के बारे में एक आंदोलन विकसित हो।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, if the House agrees, the time of the House may be extended till the passing of this Bill.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes. ...*(Interruptions)*

DR. HARSH VARDHAN: I will finish in one minute. अंत में, मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ। प्रधान मंत्री जी भी चाहते हैं कि स्वास्थ्य का एक बड़ा पॉजिटिव जन-आंदोलन भारत में विकसित होना चाहिए। उनकी आयुष्मान योजना उसी स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक प्रयास है। आप सभी स्वास्थ्य के मैसेंजर्स बनिए, अपने-अपने क्षेत्र में पॉजिटिव हैल्थ और पॉजिटिव हैल्थ के अंदाज में जीने के लिए लोगों को प्रेरित कीजिए। मुझे लगता है कि इससे आपको पॉलिटिकल लाइफ में भी ज्यादा फायदा होगा। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि हम जो डेन्टिस्ट अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं, उसे सभी ने स्वीकार भी किया है। जैसा हमने कहा कि उसमें ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है और कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं है। अगर आप उसको सर्वसम्मति से पास करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That the Bill further to amend the Dentists Act, 1948, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 Amendment of Section 3

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:

Page 1, lines 7 and 8,-

for 'the words and letter "and at least two shall be dentists registered in part B of a State register" shall be omitted'

substitute 'for the words and letter "and at least two shall be dentists registered in Part B of a State register", the words "and at least two shall be holding an appointment in an institution for the training of dentist as a teaching faculty under the direct control of the State Government" shall be substituted.'. (1)

HON. CHAIRPERSON: I shall now put amendment No.1 moved by Shri N. K. Premachandran to clause 2, to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 Amendment of Section 21

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : I beg to move:

Page 1, line 9,-
for "clause (b) shall be omitted"

substitute "for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-(b) four members elected from among themselves by dentists in the State Register'.". (2)

HON. CHAIRPERSON: I shall now put amendment No.2 moved by Shri N. K. Premachandran to clause 3, to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That clause 3 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.
Clause 3 was added to the Bill.*

Clause 4 Amendment of Section 23

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: I beg to move:

Page 1, line 10,-
for "clause (b) shall be omitted"

substitute "for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-(b) two members elected from among themselves by dentists in the State Register of each of the participating States'.". (3)

HON. CHAIRPERSON: I shall now put amendment No.3 moved by Shri N. K. Premachandran to clause 4, to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That clause 4 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

DR. HARSH VARDHAN: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed”.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That the Bill be passed”.

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet again on Thursday, the 4th July, 2019 at 11.00 a.m.

18.04 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Thursday, July 4, 2019 / Ashadha 13, 1941 (Saka)*
